वार्षिक रिपोर्ट
2010-11

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय वस्तु

अध्याय		पृष्ठ संख्या
अध्याय-I सिंहावलोकन		**1-14**
अध्याय-II संगठनात्मक ढांचा और कार्य		**15-19**
अध्याय-III कंपनी अधिनियम, 1956 और इसका कार्यान्वयन		**20-46**
अध्याय-IV प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2020-नीति, प्रावधान एवं कार्य निष्पादन		**47-53**
अध्याय-V संबद्ध विधान		**54-56**
अध्याय-VI कारपोरेट क्षेत्र की सांख्यिकीय समीक्षा		**57-58**
अध्याय-VII परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर		**59-66**
अनुलग्नक		**67-95**
अनुलग्नक-I	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निर्देशिका	69-76
अनुलग्नक-II	क्षेत्रीय निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों तथा शासकीय समापकों के पते	77-90
अनुलग्नक-III	कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	91-93
अनुलग्नक-IV	कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रमुख पदाधिकारी	94
अनुलग्नक-V	लेखापरीक्षा टिप्पणियां एवं कार्यवाही रिपोर्ट	95

अध्याय–I

सिंहावलोकन

प्रस्तावना

1.1.1 यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 के लिए है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 1956 सहित कारपोरेट क्षेत्र के विनियमन हेतु सांविधियों की एक व्यापक – श्रृंखला के प्रशासन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, यह निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन भी करता है :

(i) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

(ii) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

(iii) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

(iv) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

(v) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

(vi) भागीदारी अधिनियम, 1932

(vii) सोसाइटी निबंधन अधिनियम, 1860

(viii) कंपनी (राष्ट्रीय कोष में अनुदान) अधिनियम, 1951

(ix) एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969 (अब निरसित)

1.1.2 श्री मुरली देवड़ा ने 20 जनवरी, 2011 को केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय में कार्य ग्रहण कर लिया।

1.1.3 दिनांक 31.01.2011 को श्री आर. बंद्योपाध्याय की सेवानिवृत्ति के पश्चात् श्री डी.के. मित्तल ने दिनांक 1 फरवरी, 2011 को सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्य ग्रहण किया।

संगठनात्मक ढांचा

1.2 कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन हेतु मंत्रालय में तीन स्तरीय संगठनात्मक ढांचा मौजूद है, नामतः नई दिल्ली स्थित सचिवालय, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा (उ. प्र.), अहमदाबाद एवं गुवाहाटी में क्षेत्रीय निदेशक एवं राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में कंपनी रजिस्ट्रारों के 20 कार्यालय। विभिन्न उच्च न्यायालयों से संबद्ध 19 शासकीय समापक कार्यालय भी मंत्रालय के व्यापक प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। इन कार्यालयों/प्रतिष्ठानों का संक्षिप्त विवरण अध्याय–II में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम एवं अन्य संबंधित विधियों का पुनरीक्षण

कंपनी अधिनियम में व्यापक संशोधन

1.3.1 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही गतिविधियों के मद्देनजर एवं भारत में कारपोरेट विनियमन के लिए संरचना के आधुनिकीकरण हेतु एवं सूसमाचारित विनियमन द्वारा भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रमुख सुधार विवरण प्रस्तुत करने हेतु वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन का निर्णय लिया गया है।

1.3.2 तदनुसार, कंपनी विधेयक, 2009 को 03 अगस्त, 2009 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया एवं लोक सभा द्वारा इसे माननीय वित्तीय स्थायी समिति को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित कर दिया गया। माननीय समिति ने विधेयक के उपबंधों के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों एवं अंशधारकों के साथ परामर्श किया एवं इसे बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए। समिति ने कई अवसरों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के विचार भी लिए।

1.3.3 विभिन्न अंशधारकों से परामर्श एवं इन सुझावों की जांच के उपरांत सीमित ने अपना प्रतिवेदन 31 अगस्त, 2009 को संसद में प्रस्तुत किया। माननीय समिति के प्रतिवेदन में किए गए विभिन्न अनुसंशाएं मंत्रालय में जांचाधीन है। इन अनुशंसाओं एवं अन्य प्राप्त निर्विष्टियों के मद्देनजर मंत्रालय ने संबंधित अंशधारकों के परामर्श से कंपनी विधेयक, 2009 में सुधार का कार्य प्रारंभ किया है। इन जांचों एवं परामर्शों के पश्चात एवं नियत अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, संशोधित विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों का पुनरीक्षण

1.4 प्राप्त सुझावों एवं कंपनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम एवं फार्म, 1956 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों की मंत्रालय में जांच के आधार पर वर्तमान प्रपत्रों में संशोधन हेतु पुनरीक्षण कार्य किया गया जो एमसीए–21 ई–गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत सेवा प्रदान करने में और सुधार एवं तेजी लाएगा। चार प्रपत्रों नामतः प्रपत्र 1, प्रपत्र 32, प्रपत्र डीआईए 1 एवं प्रपत्र डीआईएन 3 को पुनरीक्षण हेतु लिया गया एवं अंशधारकों के प्रयोग हेतु प्रणाली में लागू किया गया। उक्त प्रपत्रों के पुनरीक्षण का उद्देश्य प्रयोक्ताओं के लिए फाइलिंग को अधिक आसान और स्पष्ट बनाना, प्रयोक्ताओं को तत्काल उत्तर देने के लिए ई–प्रपत्रों की बैक–ऑफिस प्रोसेसिंग को आसान बनाना तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए ई–प्रपत्र में फील्डस परिवर्तन/जोड़कर या उनको हटाकर ई–प्रपत्रों में और सुधार करना है।

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के लिए कानूनी फ्रेमवर्क

1.5.1 हाल ही में अधिनियमित सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 को 31.03.2009 से कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित कर दिया गया है। सीमित देयता भागीदारी नियमावली, 2009 को 01 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित कर दिया गया है। भागीदारी फर्मों, निजी कंपनी एवं असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के एलएलपी में संपरिवर्तन से संबंधित उपबंध दिनांक 31 मई, 2009 से प्रभावी हो गए। एलएलपी कारपोरेट निकाय स्वरूप में व्यापार का एक नया साधन है और इसलिए, इसका अलग विधिक अस्तित्व है जो भागीदारों की देयता उनके सम्मत अंशदान तक सीमित करता है। कोई दो या अधिक व्यक्ति या कारपोरेट निकाय लाभ की दृष्टि से वैध व्यापार करने के लिए एलएलपी का निगमन कर सकते हैं। एलएलपी संरचना किसी विशेष व्यापार, व्यवसाय पेशे या सेवा तक सीमित नहीं है। एलएलपी अपने भागीदारों से अलग एक विधिक स्वरूप है तथा यह स्थायी अनुक्रमण है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एलएलपी के निबंधन के लिए एवं एलएलपी रजिस्ट्रार के पास आगे की विवरणी दायर करने के लिए दिल्ली में एकल केन्द्रीय रजिस्ट्री स्थापित की है एवं ऑनलाइन दायर करने के लिए 1 अप्रैल, 2009 को इसका वेबसाइट *www.llp.gov.in* प्रारंभ की है।

1.5.2 अधिसूचना संख्या या सा.का.नि. 914(ई) दिनांक 15 नवंबर, 2010 के द्वारा केन्द्र सरकार ने एलएलपी नियम, 2010 के फार्म 10 में ''मनोनित भागीदारों द्वारा विवरणों में परिवर्तन की सूचना'' के संबंध में संशोधन किए हैं।

लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समाभिरूपण

1.6.1 लेखांकन मानक, लेखांकन संव्यवहार तथा कार्यों के मूल्यांकन, प्रबंधन, प्रस्तुति तथा प्रकटन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नीतिगत दस्तावेज होते हैं। लेखांकन मानकों का प्रयोजन, वित्तीय विवरणों की असमानता दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न लेखांकन नीतियों का मानकीकरण करना है। इसका मानक लेखांकन नीतियां

उपलब्ध कराना है जो सामान्यता स्वीकृत सिद्धांतों और नीतियों के अनुरूप है।

1.6.2 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) के उपबंधों के अनुरूप कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 को भारत के राजपत्र में दिनांक 7.12.2006 को अधिसूचित किया गया था। इससे पहले, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक मार्गदर्शन के रूप में लागू थे। वर्तमान में, 28 लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निबंधित प्रत्येक कम्पनी द्वारा इन मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

1.6.3 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) को मानकों का ''सिद्धांत आधारित'' सेट माना जाता हैं कि वे प्रमुख नियमों तथा विशिष्ट व्यवहारों को प्रतिष्ठित करते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने संबंधी एक ढांचा भी है। जिसमें आईएफआरएस से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वित्तीय विवरण का उद्देश्य किसी निकाय की वित्तीय स्थिति, उसके निष्पादन तथा उसकी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करना है जो आर्थिक निर्णय करने में विविध प्रयोक्ताओं के लिए उपयोगी है तथा साथ ही किसी निकाय के शेयरधारकों एवं आम जनता को इसके वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए।

1.6.4 भारत ने भारतीय कंपनियों एवं विनियामक निकायों द्वारा अनुपालन के लिए आवश्यक परिवर्तन एवं अंतर्वर्ती अपेक्षाओं के मद्देनजर आईएफआरएस के साथ समाभिरूपता की नीति अपनाई है। अतः 2011 तक आईएफआरएस के साथ समाभिरूपता का लक्ष्य प्राप्त करने कि लिए भारतीय लेखांकन मानकों को आईएफआरएस के अनुरूप बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। भारत ने विभिन्न प्रकार के कंपनियों के लिए (विहित मानकों के आधार पर) समाभिरूपी भारतीय लेखांकन मानकों को 01 अप्रैल, 2011 से शुरु करके चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है।

1.6.5 कंपनियों (बीमा कंपनियों, वित्तीय कंपनियों एवं गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अतिरिक्त) के लिए समाभिरूपी भारतीय लेखांकन मानकों को तीन चरणों में लागू किया जाएगा अर्थात् 1 अप्रैल, 2001, 1 अप्रैल, 2013 एवं 1 अप्रैल, 2014 से। बीमा कंपनियां समाभिरूपी भारतीय लेखांकन मानकों को 01 अप्रैल, 2012 से लागू करने हेतु अपेक्षित हैं। बैंकिंग कंपनियों पर समाभिरूपी भारतीय लेखांकन मानक दो चरणों में लागू होंगे अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से एवं 01 अप्रैल, 2014 से। गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर समाभिरूपी भारतीय लेखांकन मानक दो चरणों में लागू होने अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से एवं 01 अप्रैल, 2014 से।

1.6.6 नाकास से 35 भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) एवं मंत्रालय की संशोधित अनुसूची–VI की अनुशंसा आगे प्रोसेस करने एवं अधिसूचित करने हेतु की है। इनकी जांच करने हेतु मंत्रालय में एक तकनीकी सीमित का गठन किया गया है। इसने तकनीकी सीमित द्वारा यथा निर्णित परिवर्तनों के साथ संशोधित अनुसूची–VI एवं 33 भारतीय लेखांकन मानकों को अंतिम रूप दे दिया गया है। दो भारतीय लेखांकन मानक अर्थात भारतीय लेखांकन मानक 101 ''भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम अधिग्रहण'' एवं भारतीय लेखांकन मानक106 ''खनिज संसाधनों हेतु अन्वेषण एवं उनका मूल्यांकन'' अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

1.7 दिनांक 01.04.0201 से 31.12.2010 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं/परिपत्र/प्रेस नोट जारी किए गए:

क. अधिसूचनाएं:

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	विषय
1.	सा.अ.–913(अ)	22.04.2010	श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष, आईसीएआई के स्थान पर श्री अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई को नामित करने हेतु अधिसूचना।
2.	सा.का.नि.–475(अ)	07.06.2010	अभियोजन दायर करने एवं संचालित करने की प्रक्रिया हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621(1) के अधीन एसएफआईओ के अधिकारियों को प्राधिकृत करना।
3.	सा.अ.–1548(अ)	25.06.2010	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 एवं 237 के अधीन केन्द्र सरकार जिन मामलों में कंपनी के कार्यों की जांच करने हेतु एसएफआईओ के अधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त करती है वहां धारा 240 के संबंध में धारा 637(1) के तहत केन्द्र सरकार के अधिकारियों को निदेशक, एसएफआईओ को प्रत्यायोजन।
4.	सा.अ.–1679(अ)	14.07.2010	नाकास की समय–सीमा को 21.07.2010 से 20.08.2010 तक बढ़ाने हेतु अधिसूचना।
5.	सा.का.नि.–601(अ)	16.07.2010	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक(1) के तहत दवाएं, दवा एवं मिश्रणों की बिक्री हेतु एकमात्र एजेंट नियुक्त करने पर रोक।
6.	सा.अ.–2392(अ)	29.09.2010	नाकास की समय–सीमा को 20.08.2010 से 21.11.2010 तक बढाने हेतु अधिसूचना।
7.	सा.का.नि.–848(अ)	15.10.2010	कंपनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम एवं प्रपत्र नियम, 1956 में संशोधन –प्रपत्र सं. 1 एवं प्रपत्र सं. 32 का पुनरीक्षण।
8.	सा.का.नि.–849(अ)	15.10.2010	कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 (संशोधन) 2010 में संशोधन – प्रपत्र डीएए 1 एवं प्रपत्र डीएएन–3 का पुनरीक्षण।
9.	सा.का.नि. 866(अ)	29.10.2010	क्षेत्रीय निदेशकों के क्षेत्राधिकार के संबंध में कम्पनी विनिमय, 1956 में संशोधन।
10.	सा.का.नि. 867(अ)	29.10.2010	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 के तहत एसएफआईओ के अधिकारियों को अभियोजना दायर करने और चलाने के लिए प्राधिकृत करना।
11.	सा.का.नि. 914(अ)	15.11.2010	एलएलपी नियम, 2010 के प्रपत्र 10 में संशोधन।
12.	सा.का.नि. 2926 (अ)	10.12.2010	नाकास की अवधि को 21.11.2010 से बढ़ाकर 21.01.2011 करने हेतु अधिसूचना।

ख. सामान्य परिपत्र

1.	1 / 2010	26.05.2010	कम्पनी विधि निपटान योजना, 2010।
2.	2 / 2010	26.05.2010	आसान निकासी योजना, 2010।
3.	3 / 2010	10.08.2010	आसान निकासी योजना, 2010 पर स्पष्टीकरण।
4.	4 / 2010	22.11.2010	देर से प्रपत्र दायर करने के लिए लगाए गए अतिरिक्त शुल्क में परिवर्तन।
5.	5 / 2010	22.11.2010	एजीएम द्वारा वार्षिक लेखा स्वीकार करने के पश्चात् उससे पुनः खोलना / पुनरीक्षण।
6.	6 / 2010	03.12.2010	आसान निकासी योजना, 2010।

ग. प्रेस नोट

1	04 / 2009	04.05.2010	भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समाभिरोपन।
2	05 / 2010	28.05.2010	कम्पनी विधि निपटान योजना, 2010।
3	06 / 2010	28.05.2010	आसान निकासी योजना, 2010।
4	07 / 2010	27.07.2010	भारत एवं जापान के बीच समाभिरूपन पर सहमति ज्ञापन।
5.	8क / 2010	04.11.2010	समाभिरूपित लेखांकन मानकों के कराधान निहितार्थ।
6	08 / 2010	22.11.2010	देर से प्रपत्र दायर करने के लिए लगाए गए अतिरिक्त शुल्क में परिवर्तन।

घ) धारा 637ख(ख) के तहत आवेदन

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637ख(ख) के तहत शेयर हस्तांतरण करार के प्रपत्र की वैधता बढ़ाने हेतु आवेदन कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त किए जाते हैं। 1.4.2010 की स्थिति के अनुसार 28 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2010–11 के दौरान 215 आवेदन प्राप्त हुए। 221 आवेदनों को निपटाया गया एवं 31.12.2010 को 22 आवेदन लंबित थे।

ङ) धारा 166 के तहत सरकारी कंपनियों को अनुमति

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166(1) एवं (2) के तहत केन्द्र सरकार के पास अधिकार है कि वह सरकारी कंपनियों को वार्षिक महासभा (एजीएम) की बैठक तीन महीना तक आगे बढ़ाने एवं महासभा की बैठक का स्थान कंपनी के निबंधित कार्यालय स्थल से हटाकर

कहीं और करने की अनुमति दे सके। वर्ष 2009–10 के दौरान समय बढ़ाने एवं स्थान परिवर्तित करने हेतु प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों की संख्या नीचे दी गई हैं:–

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा	आवेदन की प्रकृति (वार्षिक महासभा)	प्रारंभ में लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल (कॉलम 3+4)	वर्ष के दौरान निपटाए गए		31.03.2010 को लंबित
					स्वीकृत अनुरोध	अस्वीकृत अनुरोध	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
166(1)	समय बढ़ाना	0	195	195	194	1	0
166(2)	स्थान परिवर्तन	0	29	29	29	0	0

(च) विभागीय प्रपत्र

कंपनियों द्वारा निजी नियोजन के विनियमन हेतु एक विभागीय परिपत्र सं.1/2010 दिनांक 22.11.2010 को जारी किया गया था।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

1.8 भारतीय प्रति स्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन एवं उसे लागू करने हेतु की गई थी, एवं मार्च, 2009 में इसे गठित किया गया था। आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

(i) प्रतिस्पर्धा पर कुप्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना।

(ii) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे जारी रखना।

(iii) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, और

(iv) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (अधिकरण)

1.9 प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण में निम्नलिखित शक्तियां निहित हैं :

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किसी भी दिशा–निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई एवं निपटान।
- आयोग की जांच से पता चले किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे का निर्णय करना या आयोग की जांच के विरूद्ध अपील पर अपीलीय अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों और इस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करना।

एमसीए–21, ई–गवर्नेंस परियोजना

1.10.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एमसीए–21 ईगवर्नेंस परियोजना को लागू कर दिया है। यह राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना में, पंजीकरण एवं दस्तावेजों को दाखिल कराने सहित कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जा रही रजिस्ट्री संबंधी सभी सेवाओं के समूचे देश में सभी कारपोरेट एवं अन्य अंशधारकों को किसी भी समय उन्हें उपयुक्त लगने वाले तरीके से आसान और सुरक्षित ऑनलाइन मुहैया कराये जाने की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम परिणाम आधारित है और देश में कारपोरेट क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न अंशधारकों की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर केन्द्रित है।

1.10.2 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत भारत सरकार के मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित एमसीए–21 ई–गवर्नेंस परियोजना का मुख्य बल सेवाओं के तत्काल एवं दक्ष वितरण पर है। यह परियोजना सभी 20 रजिस्ट्री स्थानों से पूरी तरह से काम कर रही है। वर्ष 2009 के दौरान एमसीए–21 पोर्टल में ई–स्टाम्पिंग शुरू की गई है। स्टाम्प शुल्क के रूप में एकत्रित राजस्व सप्ताह के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक दिन के अंदर यह राशि संबंधित राज्य सरकार को अंतरित कर देता है।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

1.11 भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना होलिस्टिक थिंक–टैंक, क्षमता निर्माण, सेवा अदायगी संस्थान के रूप में कारपोरेट विकास, सहक्रियात्मक ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से सुधार, भागीदारी एवं समस्या समाधान में मदद करने के लिए एकल–संस्थान मोड में की गई है। संस्थान वर्तमान कारपोरेट संविधियों, नियमों एवं विनियमों के सुधार पुनरीक्षण में मंत्रालय की सहायक करने के साथ–साथ सक्रिय आर्थिक परिदृश्य की अपेक्षाओं के अनुरूप नए नियमों के निर्माण में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, यह भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) के अधिकारियों एवं मंत्रालय में कार्यरत अन्य अधिकारियों के आवश्यक प्रशिक्षण भी देगा एवं संगठनात्मक सुधार के पहलों में मदद करेगा। आईआईसीए, एमसीए–21, कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, निवेशक शिक्षा सुरक्षा आदि जैसे विविध क्षेत्रों सेवा अदायगी में लगातार सुधार में भी मदद करेगा। यह मंत्रालय की पहली प्लान योजना है और इसके लिए 11वीं योजना अवधि में 211.00 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

वर्ष 2009–10 में उपलब्धियां

1. जैसा कि पूर्व में ही कहा गया है कि कारपोरेट क्षेत्र एवं अन्य अंशधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तनशील व्यापार परिदृश्य हेतु एक सक्रिय विनियामक समाधान प्रस्तुत करने में मंत्रालय की मदद करने हेतु एक अद्यतन ज्ञान प्रबंधन, क्षमता निर्माण एवं सेवा अदायगी केन्द्र के लक्ष्य के साथ संस्थान की स्थापना की गई थी।
2. इसके कैम्पस का निर्माण अगस्त, 2009 में शुरू हुआ।
3. एमसीए की ओर से 27 एवं 28 अप्रैल, 2009 को भारत में दिवालियापन के विनियामक मुद्दों संबंधी नीति पर अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।
4. कारपोरेट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर छः कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
5. कारपोरेट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर पांच फोरम आयोजित किए गए।
6. कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी आईआईसीए–जीटीजेड परियोजना को अंतिम रूप दिया गया।
7. आईआईसीए–जीटीजेड पहल पर 24.11.2009 को परिचर्चा आयोजित की गई।
8. कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी प्रारूप स्वैच्छिक मार्गदर्शन पर उद्योग जगत, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं उद्योग परिसंघों के विचार जानने हेतु 10.03.2010 को जीटीजेड–आईआईसीए द्वारा परिचर्चा आयोजित की गई।

वर्ष 2010–11 (दिसंबर, 2010 तक) में उपलब्धियां

1. मंत्रालय मार्च 2011 तक कैम्पस का निर्माण पूरा करने हेतु एनबीसीसी के कार्यों की दैनिक समीक्षा कर रहा है। भौतिक संरचना के पूर्णता के करीब होने के साथ ही नवनिर्मित कैम्पस को सुसज्जित करने हेतु निविदा–प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
2. सिविल सेवा परीक्षा, 2009 के माध्यम से चयनित आईसीएलएस अधिकारियों के प्रथम बैच प्रवेश प्रशिक्षण दिसंबर, 2010 में प्रारंभ हो गई है।
3. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद हेतु खोज–सह–अन्वेषण समिति का

अनुमोदन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त कर लिया गया है। इस पद हेतु भर्ती नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

4. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं।

5. आईआईसीए के लिए 55 पद सृति करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

6. 08 एवं 09 अप्रैल, 2010 को मंत्रालय द्वारा एशियन इनसॉल्वेन्सी रिफार्म्स पर फोरम की सातवीं बैठक आईआईसीए की मदद से आयोजित की गयी थी।

7. आईआईसीए द्वारा सीसीआई के अधिकारियों के लिए द्वितीय प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 08.03.2010 से 16.03.2010 तक किया गया।

8. कारपोरेट संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सात कार्यशालएं/सेमीनार आयोजित किए गए।

9. आईसीएलएस के सेवारत अधिकारियों के लिए कंपनियो की जांच, परिसमापन एवं उन्हें बंद करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

10. विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ कारपोरेट मुद्दों के संबंध में विभिन्न परिचर्चाएं आयोजित की गईं।

अवस्थापना अनुभाग

1.12 अवस्थापना अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है

(i) मंत्रालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु भूमि एवं भवन की खरीद।

(ii) मंत्रालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सभी भवनों (पुराने तथा नए) के निर्माण/नवीनीकरण/अनुरक्षण हेतु पूंजीगत कार्य।

(iii) मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्थानों में भवन लेने संबंधी करारों को अंतिम रूप देना।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष

1.13 मंत्रालय ने निवेशक जागरूकता एवं शिक्षा बढ़ाने हेतु वर्ष 2010–11 में विभिन्न पहलें की हैं, जो निम्नवत् हैं:

1) वेबसाइट, नामतः *www.iepf.gov.in* जो 2007–08 के दौरान माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था, निवेशक जागरूकता एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में जानकारी साझा करने का एक मंच उपलब्ध कराता है। वेबसाइट *www.iepf.gov.in* पर उपलब्ध सामग्री मूलतः अग्रेंजी में विकसित की गई थी। देश में लोगों की वृहत संख्या तक पहुंचने के लिए मंत्रालय ने इसकी सामग्री का हिन्दी एवं 11 क्षेत्रीय भाषाओं यथा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगला, उडिया, असमी, पंजाबी एवं उर्दू में अनुवाद कराया। उम्मीद है कि इन भाषाओं में वेबसाइट की उपलब्धता निवेश निर्णय लेते समय निवेशकों के अधिकारों एवं उत्तरदियत्व को समझने में बड़ी संख्या में निवेशकों की सहायता करेगा।

2) एक इनवेस्टर हेल्पलाइन *www.investorhelpline.in* परियोजना आईईपीएफ के तहत मिडास टच इन्वेस्टर एशोसिएशन के माध्यम से शुरु की गई जिसका उद्देश्य शिकायतों के निपटान के लिए एक प्रणाली प्रदान करना तथा निवेशक जागरूकता सृजित करना है।

3) इसके अतिरिक्त एक अन्य वेबसाइट *www.watchoutinvestors.com* की शुरूआत की गई जो आर्थिक चूककर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री है और जिसमें विभिन्न नियामक निकायों द्वारा दोष सिद्धि की सूचना शामिल है, यह भी न सिर्फ निवेशकों एवं संभावित निवेशकों को बल्कि व्यावसायिकों जैसे, अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिवों को प्रभावी सेवा प्रदान करता है।

4) मंत्रालय ने निवेशक जागरूकता के विषय पर राष्ट्रीय फोकस लाने हेतु 12–17 जुलाई, 2010 के दौरान भारत निवेशक सप्ताह आयोजित किये। भारत निवेशक सप्ताह 2010 का मुख्य विषय जागरूक निवेशक–कारपोरेट भारत की शान था। निवेशकों तक पहुंचने के उद्देश्य से मंत्रालय ने पूरे वर्ष व्यवसायिक संस्थानों, व्यापार एवं उद्योग परिसंघों, स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, आरबीआई, डीपीई आदि के साथ मिलकर कई निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। भारत निवेशक सप्ताह के दौरान 5 महानगरों नामतः कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलौर एवं चेन्नई में 5 राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्रालय की निवेशक शिक्षा वेबसाइट को माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा भारत निवेशक सप्ताह के दौरान असमी, बँगला, तेलुगु, कन्नड़ एवं तमिल में शुरू किया गया। आगे भागीदारी करने वाले संगठनों की सहायता से 'पूंजी बाजार के लिए निवेशक मार्गदर्शन' नामक पुस्तक एवं 'पूंजी बाजार के नव निवेशकों की मार्गदर्शिका' नामक पुस्तिका का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया।

5) मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के लोक उद्यम विभाग के साथ भागीदारी में 28.8.2010 को भुवनेश्वर में 'निवेशक दिन' मनाया। इस अवसर पर मंत्रालय के निवेशक शिक्षा वेबसाइट *www.iepf.gov.in* एवं 'पूंजी बाजार के नवनिवेशकों की मार्गदर्शिका' का उड़िया रूपांतर शुरू किया गया।

6) सभी अन्य संस्थानों एवं संगठनों के सहयोग से निवेशक जागरूकता फैलाने के मंत्रालय की पहलें सुसमाचारित निवेशक के विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने में एक अग्रगामी कदम है और अंततः भारतीय पूंजी बाजार के विकास एवं स्थायित्व की दिशा में योगदान करेगा।

7) निवेशक जागरूकता पर मंत्रालय की पहल में अच्छी प्रगति हो रही है। देश के विभिन्न भागों में नवंबर 2010 तक 3500 से अधिक कार्यक्रम भागीदार संगठनों (व्यवसायिक संस्थाओं यथा आईसीएआई, आईसीएसआई एवं आईसीडब्ल्यूएआई के अलावा) मंत्रालय से बिना किसी वित्तीय सहयोग से आयोजित किए गए।

2010–11 में वास्तविक निष्पादन निम्नवत् रहा

(क) आईसीएसआई, आईसीएआई एवं आईसीडब्ल्यूएआई द्वारा 2010–11 के दौरान प्रत्येक संस्थान द्वारा देश भर में 100 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एक संस्थान को 10 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(ख) आईईपीएफ के तहत निबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या 2010–11 के दौरान बढ़कर 106 हो गई।

(ग) अब तक निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों हेतु आईईपीएफ के तहत आबंटित 5 करोड़ रुपए के बजट में से 2,92,33,981/–रुपए का उपयोग किया जा चुका है। कुल आबंटित राशि का उपयोग वित्त वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा।

(घ) 14–21 दिसम्बर, 2010 के दौरान भारत कारपोरेट सप्ताह का आयोजन किया गया उसका मुख्य विषय सुस्थायी व्यापार था। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14.12.2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। मुख्य विषय पर प्रतिष्ठित कारपोरेट अग्रणियों के बीच विज्ञान भवन में ही एक परिचर्चा भी हुई। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने एक साथ ही निवेशक शिक्षा वेबसाइट को अंग्रेजी, हिन्दी एवं 11 क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किया। उन्होंने इंडिया अनलिमिटेड–ए कारपोरेट जर्नी नामक पुस्तक का लोकार्पन भी किया।

कारपोरेट शासन पर राष्ट्रीय फाउंडेशन

1.14.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एक गैर–लाभकारी न्यास के रूप में राष्ट्रीय प्रतिष्ठान कारपोरेट गवर्नेंस

(एनएफसीजी) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य अच्छे कारपोरेट शासन से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना तथा कारपोरेट अग्रणियों को अच्छे कारपोरेट शासन की प्रथाओं का महत्व समझाना, कारपोरेट अग्रणियों, नीति निर्माताओं, विनियामकों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों तथा गैर–सरकारी संगठनों के मध्य अनुभवों तथा विचारों के आदान–प्रदान में मदद करना हैं।

1.14.2 एनएफसीजी के प्रबंधन हेतु एक त्रिस्तरीय ढांचा है अर्थात् कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में शासी परिषद्, न्यासी बोर्ड तथा कार्यकारी निदेशालय।

1.14.3. एनएफसीजी ने उत्कृष्टता संस्थानों के माध्यम से निदेशकों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम प्रायोजित किए, कारपोरेट शासन की उत्तम प्रथाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता के समर्थन में सेमिनार तथा सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

1.14.4 गत कुछ वर्षों से एनएफसीजी ने निजी निगमों तथा समग्र अर्थव्यवस्था दोनों स्तरों पर कारपोरेट शासन की उत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान एनएफसीजी द्वारा की गई कुछेक पहल इस प्रकार हैं:

1. 20 फरवरी, 2010 को कारपोरेट शासन पर राष्ट्रीय सेमिनार
2. 20 फरवरी, 2010 को कारपोरेट शासनः आगे का रास्ता पर राष्ट्रीय सेमिनार
3. 10 मार्च, 2010 कारपोरेट शासन एवं स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन
4. 20 मार्च, 2010 को सीएसआर– जागरूकता से नेतृत्व तकः सीएसआर को व्यवहार्य व्यवसाय बनाना
5. 24 मार्च, 2010 को समावेशी एवं उत्तरदायी– भारतीय उद्योग का नया चेहरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन
6. 27 मार्च, 2010 को सीमित देयता भागीदारी पर सेमिनार
7. 27 मार्च, 2010 को कारपोरेट अनुपालन प्रबंधन एवं नियत अध्यव्यसाय पर – राष्ट्रीय सेमिनार
8. 28 मार्च, 2010 को सीमित देयता भागीदारी पर सेमिनार
9. लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु कारपोरेट शासन प्रतिमानकों का विकास (जून, 2010 में पूरा किया गया एवं प्रस्तुत किया गया)

मार्च, 2011 तक एनएफसीजी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां पूरा किए जाने की योजना हैः

1. लघु एवं मध्यम उद्योगों में कारपोरेट शासन व्यवहारों पर शोध अध्ययन।
2. कारपोरेट शासन पर मामलों का अध्ययन।
3. कारपोरेट शासन पर शोध कार्य।
4. कारपोरेट शासन से संबंधित क्षेत्रों पर मामलों का अध्ययन।
5. भारत में कारपोरेट शासन अंतः पाशन एवं अच्छे कारपोरेट शासन पर उसका प्रभाव।
6. कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर मामलो का अध्ययन।
7. अच्छे शासन हेतु आंतरिक नियंत्रण में सुधार से संबंधित मामलों का अध्ययन।
8. ए.पी. में एसएलपीई में कारपोरेट शासन व्यवहारों पर शोध अध्ययन।
9. त्रिविध निष्कर्ष पंक्ति एवं कारपोरेट शासन।
10. केन्द्रीय लोक उद्यमों में कारपोरेट शासन।
11. चयनित कम्पनियों के कारपोरेट शासन एवं वित्तीय निष्पादन का गहराई से अध्ययन।
12. लोक उद्यमों में लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड समिति।

13. भारत में समूह कम्पनियों पर शोध परियोजना।

14. परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों में शासन संबंधी मामलों का अध्ययन।

1.14.5 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 28–29 अप्रैल, 2010 के दौरान होटल क्लेरीजेज, नई दिल्ली में प्रादेशिक निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों एवं शासकीय समापकों के दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया एवं तत्पश्चात 13–14 सितंबर, 2010 को सम्मेलन कक्ष, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में एक अन्य दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ। माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री ने दोनों सम्मेलनों में भाग लिया एवं आश्वस्त किया कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी रजिस्ट्रारों/ प्रादेशिक निदेशकों की अवसंरचना संबंधी समस्याओं को दूर करने और हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य स्थितियों में सुधार का प्रयास करेगा।

2010–11 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

1.14.6 2010–11 के दौरान आईआईसीए द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हुए:

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कारपोरेट शासन एवं विनियमन
2. भारतीय कंपनियों हेतु लेखांकन मानकों का अनुपालन
3. कारपोरेट धोखाधड़ी एवं कंपनियों की लेखापरीक्षा
4. पूंजी एवं कारपोरेट विधि
5. कंपनियों का परिसमापन एवं बंद करना
6. कंपनियों का विलय/एकीकरण/पुनर्संरचना
7. निरीक्षण एवं जांच

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

1.15.1 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.01.2003 के नोट को मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिलने के बाद दिनांक 02.07.2003 को एक संकल्प पारित करके की गई है। सीरियस फ्रॉड ऑफिस, यूनाइटेड किंग्डम के अनुरूप भारत में गंभीर तथा जटिल प्रकृति की कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने के लिए नरेश चन्द्र समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद इस कार्यालय का गठन किया गया।

1.15.2 एसएफआईओ बहु–विषयी जांच एजेंसी है जिसमें कारपोरेट धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए बैंक, पूंजीगत बाजार, कंपनी विधि, कानून, न्यायिक लेखापरीक्षा कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र के विशेषज्ञ मिलकर कार्य करते हैं। इस समय, यह कार्यालय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 से 247 के उपबंधों के तहत जांच कर रहा है। तथापि, मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित इस संगठन को पर्याप्त शिक्तयां देने तथा पहुंच प्रदान करने के लिए द्वितीय चरण में एसएफआईओ के लिए एक पृथक विधान पारित किया जाएगा। इस परियोजनार्थ मंत्रालय ने एसएफआईओ से संबंधित मुद्दों की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिश करने के लिए वेपा कामेसम समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2009 में प्रस्तुत कर दी। समिति की सिफारिशों की कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

1.15.3 एसएफआईओ का अध्यक्ष एक निदेशक होता है। यह निदेशक, भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है। निदेशक की सहायता के लिए अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ निदेशक/ सहायक निदेशक है जो दल के रूप में किसी मामले की जांच करते हैं। एसएफआईओ का मुख्यालय दिल्ली में है तथा मुम्बई में एक शाखा कार्यालय है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है।

1.15.4 01 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 के दौरान एसएफआईओ के अधिकारियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के तहत जांच हेतु 6 मामले सौंपे गए थे। अभी तक एसएफआईओ के अधिकारियों को कुल 79 मामले भेजे गए है। दिनांक 31.12.2010 तक 52 मामलों में निरीक्षकों ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 2 मामले न्यायालय द्वारा स्थगित अथवा खारिज कर दिए गए है और शेष 25 मामलों (ऊपर पैरा 3.1 एवं 3.2 के अनुसार) की जांच की जा रही है। वर्ष के दौरान (01.04.2010 से 31.12.2010 तक) सरकार को निम्नलिखित तीन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए हैं।

1.15.5 दिनांक 31.12.2010 तक कंपनियों में धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न अदालतों में अभियोजन के 823 मामले पहले ही दायर किए जा चुके है।

मंत्रालय का वेबसाइट

1.16.1 एमसीए–21 ई–गवर्नेंस परियोजना की शुरूआत से मंत्रालय ने नया पोर्टल *www.mca.gov.in* खोला है। यह पोर्टल मंत्रालय के कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों से संबंधित प्रामाणिक जानकारी का एक वास्तविक माध्यम है। इसके अलावा, यह पोर्टल एमसीए के रजिस्ट्री संबद्ध सभी सेवाओं की सुलभता हेतु वर्चुअल फ्रंट ऑफिस के रूप में कार्य करता है। इस वेबसाइट की कुछ विषय–वस्तु इस प्रकार है:

1. मंत्रालय के अधिकारियों तथा इसके क्षेत्रीय कार्यों से संबंधित सूचना (अबाउट अस) खंड में दी गई है।

2. अधिनियमों, विधेयकों, नियमावलियों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शी सिद्धांतों आदि के ब्यौरे

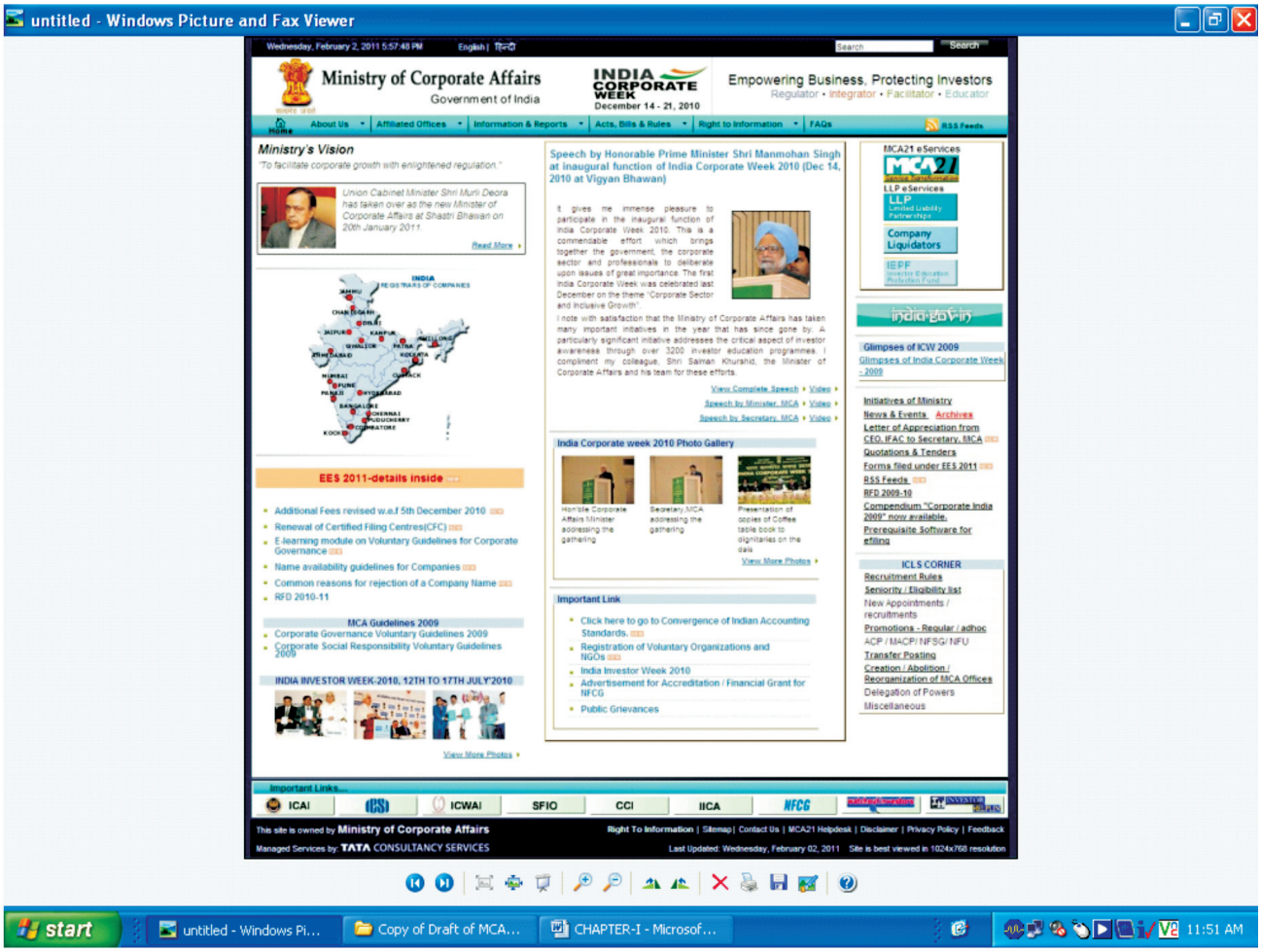

''अधिनियम, विधेयक एवं नियम'' खंड में दिए गए हैं।

3. 'सूचना' खंड के तहत अवधारण दस्तावेज, आईईपीएफ, निधि कंपनियां, प्रेस विज्ञप्ति तथा लुप्त प्रायः और चूककर्ता कंपनियों के ब्यौरे 'ड्रॉप–डाउन' में दिए गए है।

4. कंपनी की वर्तमान तथा विगत वार्षिक रिपोर्ट, प्राप्ति एवं भुगतान विवरण, स्कीम–वार व्यय विवरण ''रिपोर्ट एवं सांख्यिकी'' खंड में दिए गए हैं।

5. वर्गों जैसे ''निधि कंपनियां'' ''धारा 25 कंपनियां'' आदि का ब्यौरा ''सूचना एवं रिपोर्ट'' खंड के अंतर्गत ड्रॉप बाक्स में प्रदान किया गया है।

6. निदेशकों से संबंधित सूचना दो स्थानों पर प्रदान की गई है – पहली आईईपीएफ शीर्षक के अंतर्गत ''सूचना एवं रिपोट'' के तहत ड्रॉप बाक्स में और दूसरी वेबसाइट के दाहिने कोने के ऊपरी भाग में आईकॉन ''आईईपीएफ'' के तहत यह आईकॉन वेबसाइट ''*www.iepf.gov.in*'' की एक लिंक है।

7 डीएआर एवं पीजी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीकृत शिकायत पोर्टल www.pgportal.gov.in के लिए एक लिंक एमसीए के होमपेज पर ''लोक शिकायत'' शीर्षक के तहत दी गई है।

1.16.2 मंत्रालय की दृष्टिकोण वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ (होम पेज) के बांयी ओर दिया गया है।

1.16.3 दृष्टिकोण के नीचे मुख्य पृष्ठ के बांयी ओर भारत के मानचित्र में कंपनी रजिस्ट्रारों के स्थान दिए गए हैं। वांछित स्थान पर कर्सर को ले जाने पर कंपनी रजिस्ट्रारों के ब्यौरे, जैसे पते, दूरभाष संख्या, फैक्स तथा ई–मेल आईडी देखे जा सकते हैं।

1.16.4 एमसीए–21 पोर्टल तक पहुंचने के लिए वेबसाइट के दाहिने कोने के ऊपरी भाग में जाना होगा। वहां पर आईकॉन ''एमसीए–21 सेवाएं'' को क्लिक करने पर एमसीए–21 पोर्टल में जाया जा सकता है, जहां अपेक्षित सेवाएं जैसे डिजिटल हस्ताक्षर, ई–फाइलिंग, डिन आदि का चयन किया जा सकता है। एमसीए–21 पोर्टल के बाएं भाग में ई–फॉर्म, ट्रेकिंग, लेन–देन/भुगतान स्थिति, सार्वजनिक दस्तावेजों, निवेशक शिकायतों, विनियामक सेवाओं आदि को डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है।

1.16.5. महत्वपूर्ण लिंक जैसे ई–स्टैम्प, प्राधिकृत बैंक, प्रमाणित फाइलिंग केन्द्र, सहायता केन्द्र, ई–फाइलिंग के लिए सॉफ्टवेयर पोर्टल के दायी ओर लॉग–इन एवं नए उपभोक्ता पंजीकरण के नीचे दिया गया है।

1.16.6 सम्बद्ध कार्यालयों का ब्यौरा शीर्षक ''सम्बद्ध कार्यालय'' के तहत मुख्य पृष्ठ पर ड्राप डाउन मीनू में उपलब्ध है। इस सूची में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), शासकीय समापक (ओएल) एवं लागत लेखा शाखा (सीएबी)।

1.16.7 मंत्रालय की वर्तमान एवं पूर्व वार्षिक रिपोर्टें, साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण एवं प्रशासन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट मुख्य पृष्ठ पर शीर्षक ''सूचना एवं रिपोर्ट'' में उपलब्ध है जिसे ड्राप डाउन मीनू में ''वार्षिक रिपोर्ट'' क्लिक करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

1.16.8 अन्य रिपोर्टें जैसे प्राप्ति एवं वितरण का विवरण, योजना गत व्यय का विवरण ड्राप बॉक्स मीनू मद ''अन्य रिपोर्टें'' के तहत ''सूचना एवं रिपोर्ट'' के अंतर्गत उपलब्ध है।

1.16.9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो नागरिकों को सरकार के कार्यकरण से संबंधित सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिनियम को अक्षरशः

पालन के लिए वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ पर एक विशेष खंड ''सूचना का अधिकार'' प्रदान किया गया है। यह वेबसाइट नागरिकों को मंत्रालय के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तथा मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पते, संपर्क संख्याओं का ब्यौरा उपलब्ध कराती हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए मुख्य आदेश इस खंड में उपलब्ध है।

1.16.10 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी), वाच आउट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर हेल्प लाइन से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक वेबसाइट के होम पेज के अंत में दिए गए हैं।

मंत्रालय का नागरिक चार्टर

1.17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नागरिक चार्टर की 2010–11 में समीक्षा की गई है और यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बरों, लेखांकन एवं कम्पनी सचिव व्यावसायों, निवेशकों, सांसदों आदि के माध्यम से हितबद्धों के विचार को स्थान दिया है। चार्टर बनाने में हितबद्धों के विचार विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक विचार–विमर्शों के दौरान प्राप्त किए गए थे।

अध्याय–II

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

संगठनात्मक ढांचा

2.1 कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय का 3 स्तरीय संगठनात्मक ढांचा है अर्थात नई दिल्ली स्थित सचिवालय, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा (उत्तर प्रदेश), उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय निदेशालय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कंपनी पंजीयक के 20 कार्यालय हैं और देश में कार्यरत उच्च न्यायालयों से संबद्ध शासकीय परिसमापक के 19 कार्यालय हैं जो मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। उपरोक्त कार्यालयों/संगठनों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

क. मुख्यालय

2.1.1 मुख्यालय के संगठन के अंतर्गत एक सचिव एक अतिरिक्त सचिव, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक लागत सलाहकार, दो निदेशक, निरीक्षण एवं जांच और कानून, लेखांकन, आर्थिक एवं सांख्यिकी मामलों के संबंध में विशेष परामर्श देने वाले अन्य अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त महानिदेशक, कारपोरेट कार्य के एक कार्यालय की स्थापना मुख्यालय एवं छः प्रादेशिक निदेशकों के मध्य प्रशासनिक एवं विधिक/तकनीकी मामलों में मध्यस्थ स्तर के रूप में की जा रही है। मंत्री कार्यालय में कार्यरत तथा मंत्रालय के अधिकारियों के नाम तथा दूरभाष की सूची अनुलग्नक–I में दी गई है।

ख. क्षेत्रीय निदेशक

2.1.2 छः क्षेत्रीय निदेशक अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रभारी हैं, प्रत्येक क्षेत्र में कई राज्य और संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये निदेशक अपने–अपने प्रदेशों में कार्यरत कंपनी पंजीयकों और शासकीय परिसमापकों के कार्यालयों में होने वाले कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं। वे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन संबंधी मामलों के संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकारों के बीच संपर्क भी बनाए रखते हैं। कंपनी अधिनियम, के अंतर्गत केन्द्र सरकार की कुछ शक्तियां क्षेत्रीय निदेशकों को सौंपी गई है। उनको विभागाध्यक्ष भी घोषित किया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 209क के अधीन कंपनियों की लेखा बहियों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय के साथ एक निरीक्षण यूनिट भी है।

ग. कंपनी रजिस्ट्रार

2.1.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 609 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त कंपनी पंजीयकों का संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही कंपनियों के पंजीकरण करने का प्राथमिक कर्तव्य होता है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि ये कंपनियां, अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं का पालन भी कर रही है। उनके कार्यालय वहां पंजीकृत कंपनियों से संबंधित अभिलेखों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं जो निर्धारित शुल्क के भुगतान पर आम जनता द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होते है। केन्द्र सरकार संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है।

घ. शासकीय समापक

2.1.4 शासकीय समापक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। शासकीय समापक क्षेत्रीय निदेशक के प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत आते हैं जो इनके कार्य का केन्द्र सरकार

की ओर से पर्यवेक्षण करते हैं। तथापि, कंपनियों को बंद किए जाने के कार्यों में शासकीय समापक उच्च न्यायालयों के निर्देशों तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत आते हैं। साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 463 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए शासकीय समापकों पर नियंत्रण रखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे निष्ठा से अपनी ड्यूटी करते हैं और वे उक्त अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उन पर लागू सभी अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2.1.5 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 457 में यथा निर्धारित शासकीय समापकों की ड्यूटी तथा शक्तियां मुख्यतः कंपनी को देय ऋण की वसूली के लिए ऋण प्राप्तकर्ताओं के विरूद्ध दावे दायर करना, कंपनी की चल व अचल परिसंपत्तियों की बिक्री, जो शासकीय समापक ने कंपनी के भूतपूर्व निदेशकों के कृत्याकृत्यों तथा विश्वास भंग करने के लिए उनके विरूद्ध अपराधिक मामले और कदाचार ही कार्यवाही शुरू करने के लिए अपने अधिकार में ले ली हैं, ऋणदाताओं से दावे मांगना, दावों का निर्णय एवं निपटान, लाभांश के जरिए ऋणदाताओं को भुगतान, जहां कहीं आवश्यक हो, अंशदाताओं की सूचीका निपटान, ऐसे मामलों में पूंजी के लाभ का भुगतान जिनमें कंपनी की परिसंपत्तियां इसकी देयताओं से अधिक हैं और अंततः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के तहत कंपनी को भंग करना है।

2.1.6 उक्त उल्लिखित कार्यों के अलावा, मंत्रालय, अनेक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कंपनी विधि बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के कार्यकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदार है। मंत्रालय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), जिन्हें कंपनी (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, 2002 के अनुसरण में स्थापित किया जाना था, के संस्थागत ढांचें से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करता है।

2.1.7 क्षेत्रीय निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों व शासकीय समापकों की सूची, उनके वेब पते के साथ अनुलग्न–II पर दी गई हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–III पर और प्रमुख अधिकारियों की सूची अनुलग्नक–IV पर दी गई है।

कंपनी विधि बोर्ड

2.2 संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी विधि बोर्ड एक स्वतंत्र, अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ई के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। कंपनी विधि बोर्ड ने कंपनी विधि बोर्ड विनियमन, 1991 तैयार किया जिसमें बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। केन्द्र सरकार ने कंपनी विधि बोर्ड (आवेदनों तथा याचिकाओं पर शुल्क) नियम, 1991 के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन तथा याचिकाएं दायर करने के लिए शुल्क भी निर्धारित किया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.3.1 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अधिनियम को प्रशासित, कार्यान्वित एवं लागू कराने के लिए की गई थी एवं मार्च, 2009 में इसका विधिवत गठन किया गया था। आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैंः–

(i) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ालने वाली प्रथाएं रोकना।

(ii) बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।

(iii) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, और

(iv) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

2.3.2 अधिनियम के कतिपय उपबंधों को चुनौती मिलने के परिणामस्वरूप और माननीय उच्चतम न्यायालय

की टिप्पणियों के कारण इस अधिनियम में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा संशोधन किया गया।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनलः

2.3.3 प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश (डॉ.) अरिजीत पसायत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय भूतपूर्व न्यायाधीश हैं तथा ट्रिब्यूनल के दो सदस्य श्री राहुल सरीन, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार एवं श्रीमती प्रवीण त्रिपाठी, भूतपूर्व उप–नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक है। प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैंः–

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के विरूद्ध दायर अपील पर सुनवाई करना या उसे निपटाना।
- कमीशन के निष्कर्षों या कमीशन के निष्कर्ष के विरूद्ध अपील में अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश के कारण दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति के दावों पर न्याय निर्णय करना एवं अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आदेश देना।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

2.4.1 एसएफआईओ एक बहुखंडीय अन्वेषण एजेंसी है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार, कंपनी विधि, सामान्य विधि, फोरंसिक लेखापरीक्षा, कराधान सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ कंपनी धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। वर्तमान में एसएफआईओ, कपनी अधिनियम की धारा 235 से 247 के उपबंधों के अंतर्गत अन्वेषण कार्य कर रहा है। तथापि, जैसा कि मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है दूसरे चरण में एसएफआईओ को पर्याप्त शक्तियां दी जाएंगी और इसकी पहुंच बढ़ाई जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा वेपा कामेसम समिति की स्थापना एसएफआईओ के लिए एक पृथक विधान बनाने की आवश्यकता की जांच करने और उपयुक्त सिफारिश करने के लिए की गई जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2009 में दे दी है। समिति की सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

2.4.2 एसएफआईओ उन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच करता है जो– (क) जटिल और अंतर–विभागयी और बहुखंडीय प्रकृति, (ख) पर्याप्त जनहित के अंतग्रर्स्त होने का आकलन धनराशि के गबन अथवा किसी व्यक्ति के प्रभावित होने की गंभीरता के रूप में किया जाता है और (ग) अन्वेषण की संभावना जो प्रणाली, विधि अथवा प्रक्रिया में स्पष्ट सुधार में योगदान देने के लिए हो।

2.4.3 एसएफआईओ का विभागाध्यक्ष एक निदेशक होता है। वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है। उसके नीचे अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक होते हैं जो किसी मामले के अन्वेषण हेतु एक दल का भाग होते हैं। एसएफआईओ का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी एक शाखा मुम्बई में है। एक अन्य क्षेत्रीय कार्यालय पूरे दक्षिणी क्षेत्र हेतु हैदराबाद में स्थापित किया गया है।

2.4.4 वर्तमान में एसएफआईओ में अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक के 18 स्वीकृत पद, उप–निदेशक के 8 पद और वरिष्ठ सहायक निदेशक के 29 पद है वरिष्ठ अभियोजक के 5 पद, सहायक निदेशक के 30 पद एवं अभियोजक–II के 5 पद हैं। इन में से अतिरिक्त निदेशक के चार पद मुम्बई शाखा के कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं। जब भी कंपनी अधिनियम की धारा 235 अथवा 237 के अंतर्गत अन्वेषण हेतु मंत्रालय द्वारा कोई मामला भेजा जाता है तो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए अधिकारियों से एक टीम बनायी जाती है जिसका मुखिया अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक होता है जो उस मामले की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौपता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मंत्रालय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है और तत्पश्चात मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार, एसएफआईओ द्वारा सक्षम न्यायालयों में अभियोजन दायर किया जाता है।

अवसंरचना अनुभाग

2.5.1 अवसंरचना अनुभाग भूमि अधिग्रहण, खरीदी गई भूमि पर भवन निर्माण, तैयार कार्यालय स्थल की खरीद तथा नया रूप देने के लिए इन तैयार कार्यालय स्थल का नवीकरण तथा उनकी साज–सज्जा करके मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किये है।

(i) शासकीय समापक इलाहाबाद के कार्यालय हेतु इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से पट्टे पर खरीदे गए कार्यालय स्थल के नवीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(ii) कटक में कारपोरेट भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के करीब है और कंपनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक, कटक के कार्यालय जल्दी ही उम्मीद है कि नए स्थान से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।

(iii) हैदराबाद में कारपोरेट भवन की चार–दिवारी का निर्माण कार्य पूर्ण होने के करीब है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कहा गया है कि वह वहां शुरू किए जा रहे कार्यालय के स्थान अपेक्षाओं के अनुरूप मुख्य भवन का ले आउट प्लान तैयार करें। भवन योजना को अंतिम रूप जिए जाने के पश्चात निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा।

लागत लेखापरीक्षा शाखा

2.6 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत लागत लेखापरीक्षा शाखा का संचालन भारतीय लागत लेखा सेवा के पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) तथा 233ख से संबंधित कार्य करती है। शाखा, धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों/उत्पादों के लिए लागत लेखा लेखांकन रिकार्ड नियमावली तैयार करती है और इसे अधिसूचित करती है। यह नियमावली उस विधि को निर्धारित करती है जिसमें कंपनियों को विनिर्दिष्ट श्रेणी द्वारा लागत रिकार्ड का अनुरक्षण किया जाना होता है। शाखा द्वारा प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया और लेखांकन मानकों में आए बदलाव को दिखाने के लिए वर्तमान सीआरआर की तर्कसंगत पर कार्य किया जाता है। धारा 233ख के अंतर्गत मंत्रालय की पूर्व अनुमति से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षक से लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियमावली के अनुसार लागत रिकार्ड की लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनियों को आदेश जारी किए जाते हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) निगरानी प्रकोष्ठ

2.7.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय में 05.01.2005 से एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी हेतु अनुरोधों का रिकार्ड रखता है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत समय–सीमा के भीतर ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही/अंतिम निपटान की प्रगति पर निगरानी रखता है। मंत्रालयों, अनुभागों के पुनर्गठन के भाग के रूप में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व दिनांक 08.07. 2008 से समन्वय अनुभाग को सौंपा गया है।

2.7.2 आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार मंत्रालय तथा इसके सभी क्षेत्र/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए सी.पी.आई.ओ. तथा अपीलीय अधिकारी पदनामित किए गए हैं।

2.7.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत 01.04.2009 से 31.03.2010 तक केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत सूचना के अनुसार, मंत्रालय

और इसके सभी क्षेत्र/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुल 3983 आवेदन तथा आवेदन निबंधन शुल्क के रूप में 44,435 रुपए 39,226 रुपए अतिरिक्त शुल्क एवं अन्य शुल्कों के रूप में प्राप्त किए गए। इन आवेदनों में से मंत्रालय एवं इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत 192 अपील स्वीकार किए गए।

2.7.4 मंत्रालय के आरटीआई निगरानी प्रकोष्ठ से संबंधित समन्वय अनुभाग के अन्य कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:–

(क) जैसा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 में अपेक्षित है, आरटीआई से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना रखना।

(ख) मंत्रालय द्वारा आरटीआई के कार्यान्वयन में प्रगति पर सीआईसी को नियमित तथा अद्यतन सूचना देना/रिपोर्ट करना।

(ग) आरटीआई, 2005 से संबंधित मामलों पर सीआईसी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सभी कार्यालय आदेशों/परिपत्रों का मंत्रालय में व्यापक परिचालन।

(घ) मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आरटीआई अधिनियम से जुड़े मुद्दों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।

लिंगमूलक बजट प्रकोष्ठ

2.8 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकार की बजट प्रणाली में लिंगमूलक विश्लेषण को शामिल करने के उद्देश्य से एक लिंगमूलक बजट प्रकोष्ठ स्थापित किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिंगमूलक बजट प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों और संबद्ध कार्यालयों तथा पेशेवर संस्थानों से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में लिंगमूलक प्रतिनिधित्व पर सूचना/डाटाबेस प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में लिंगमूलक बजट प्रकोष्ठ का उद्देश्य कारपोरेट क्षेत्रोन्मुक नीतियां, समानता तथा महिला अधिकारिता के मुद्दों को कैसे प्रभावित करती हैं इसे ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन में लिंगमूलक संवेदनशीलता की बढ़ती जागरूकता में गति लाना है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी)/ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय टिब्यूनल (एनसीएलएटी)

2.9 राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) का अभी तक गठन नहीं किया गया हैं क्योंकि अभी भी एनसीएलटी/एनसीएलएटी के गठन से संबंधित कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 को विधिक चुनौती दी गई तथा इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्णय व्यवस्था दिए जाने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर किए जाने के कारण मामला न्यायाधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने अपना निर्णय दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पर मंत्रालय में विचार–विमर्श संपन्न हो गया है। एनसीएलटी/एनसीएलएटी के गठन का रास्ता साफ करने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्याय–III

कंपनी अधिनियम, 1956 एवं उसका प्रशासन

3.1 किसी भी अर्थव्यवस्था में कंपनियां बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाती है। हमारे देश में, कंपनी अधिनियम, 1956 मुख्य रूप से कंपनियों के निर्माण से परिसमापन तथा उन्हें समाप्त करने तक के कार्यकलापों की सीमा को विनियन्त्रित करता है। अधिनियम में विभिन्न पहलुओं जिनमें कंपनियों के संगठनात्मक, वित्तीय तथा प्रबंधकीय पहलू शामिल हैं, के विनियंत्रित कार्य ढांचे निर्धारित किए गए हैं। फिलहाल समापन संबंधी मामले बृहत रूप से उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कंपनियों के अपने पणधारियों, सांविधिक प्रकटीकरण दायित्वों, निरीक्षण, जांच तथा प्रवर्तन के अधिकारों और विलयन/समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कंपनी की प्रक्रियाओं आदि के प्रति कारपोरेट अभिशासन, संरचना तथा दायित्व अधिनियम के मुख्य केन्द्र बिन्दु (फोकस) को संस्थापित करते हैं। कंपनियों के परिचालन के साथ–साथ निवेशकों तथा शेयरधारकों की सुरक्षा की स्वतंत्रता कारपोरेट क्षेत्र के कार्यकरण में समान रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है। कंपनी अधिनियम अनिवार्य कारपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के लिए उस सांविधिक मंच (प्लेटफार्म) को अधिकार प्रदान करता है जो पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व, विभिन्न पणधारकों के हितों पर ध्यान देने तथा उनका संरक्षण करने के साथ–साथ कंपनियों के कार्यकरण के लिए अनिवार्य होते हैं। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य संक्षिप्त रूप में इस प्रकार हैं:–

(क) जनसाधारण शेयरधारियों के लिए प्रयत्न के माध्यम से संरक्षित किए जाने वाले, शेयरधारियों के हितों को अधिकार प्रदान करना;

(ख) उपयुक्त प्रकटीकरण के माध्यम से ऋणदाताओं, वित्तीय संस्थाओं जैसे अन्य पणधारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना;

(ग) विलयन/समामेलन आदि सहित कंपनी की प्रक्रियाओं के विनियमन के लिए कार्य ढांचा उपलब्ध कराना; और

(घ) सरकार को जनहित में तथा कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, कानून को लागू करने के पर्याप्त अधिकार प्रदान करना ताकि सभी पणधारियों के हितों की अनैतिक प्रबंधन से रक्षा की जा सके।

इन उद्देश्यों की निम्नलिखित पैराग्राफों में यथा वर्णित उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

कंपनियों का विनियमन

3.2.1 कंपनी अधिनियम, 1956 निगमन, अभिशासन तथा परिसमापन/समाप्त करने से संबंधित प्रक्रियाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार को कंपनी की लेखा–बहियों की जांच करने, विशेष लेखापरीक्षा करने के निर्देश देने, कंपनी के कार्यों की जांच के आदेश देने तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के लिए अभियोजन चलाने के अधिकार प्रदान करता है। कंपनियों की लेखा–बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, निरीक्षण एवं जांच निदेशालय और कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये निरीक्षण ये पता लगाने के लिए किए जाते हैं कि क्या कंपनियां अपने –अपने कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार करती हैं अथवा क्या कंपनी उन अवैध/कपटपूर्ण प्रथाओं का आश्रय ले रही है जो शेयरधारकों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों तथा अन्यों के किसी भी हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों। जब कभी किसी निरीक्षण रिपोर्ट से किसी ऐसी सूचना का पता चलता है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य सरकार अथवा भविष्य निधि

प्राधिकरणों जैसे अन्य विभागों अथवा एजेंसियों के हित की हों, तो ऐसी सूचना उन्हें भेज दी जाती है। यदि किसी निरीक्षण से कपट अथवा छल का प्रथम दृष्टया मामला आता है तो कंपनी अधिनियम के तहत जांच के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है।

3.2.2 कंपनी अधिनियम की धारा 235 और 237 में केन्द्रीय सरकार को उनमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के तहत कंपनी के कार्यों की जांच करने के आदेश के अधिकार दिए गए हैं। निरीक्षण करने तथा जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार केन्द्र सरकार का है। कंपनी विधि बोर्ड को भी कंपनी के कार्यों की जांच करने के लिए सदस्यों के आवेदनों पर विचार करने के अधिकार दिए गए हैं। उन परिस्थितियों में जहां कंपनी का कार्य अपने ऋणदाताओं के साथ छल–कपट करने के आशय अथवा गैर–कानूनी प्रयोजन, अथवा इसके किसी सदस्य के लिए कष्टकर रूप से अथवा यदि कोई कंपनी कपटपूर्ण अथवा गैर–कानूनी प्रयोजन के लिए बनाई गई थी, जांच करने के आदेश के अधिकार हैं।

3.2.3 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 ने अभियोजन के अपराध संयोजित करने के लिए कंपनी विधि बोर्ड तथा क्षेत्रीय निदेशकों को अधिकार प्रदान करते हुए, नई धारा 621क प्रवृत्त की है। वे अपराध जो या तो केवल कारावास अथवा कारावास तथा जुर्माने के साथ दण्डनीय हैं, के संबंध में संयोजित करने का अधिकार व्यवहार्य नहीं है।

3.2.4 पब्लिक लिमिटेड अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सहायक है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 (धारा 388 के साथ पठित) के तहत प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति कर सकती है। तथा अधिनियम की धारा 198 और 309 (अनुसूची–XIII के साथ पठित) के तहत यथा–निध ार्रित केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर अपनी ओर से पारिश्रमिक दे सकती है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में एक कंपनी को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। ये परिस्थितियां इस प्रकार हैं:–

1. यदि कंपनी लाभ की क्षति/अपर्याप्त हो और प्रस्तावित पारिश्रमिक कंपनी की प्रभावी पूंजी के आधार पर अनुसूची–XIII के तहत तथा निर्धारित सीमा से अधिक हो।

2. यदि कंपनी लाभ कमाने वाली कंपनी हो, दिया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक एक प्रबंधकीय कार्मिक के मामले में निवल लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक हो तथा एक से अधिक प्रबंधकीय कार्मिक के मामले में निवल लाभ का 10 प्रतिशत से अधिक हो।

3. यदि कंपनी अपने ऋणों (सार्वजनिक जमा सहित) तथा तत्संबंधी ब्याज का भुगातन करने में चूककर्ता रही हो।

4. जहां कंपनी की कोई पारिश्रमिक समिति न हो।

5. जहां नियुक्ति एन.आर.आई. हो।

6. गैर–सरकारी कार्यकारी निदेशकों के मामले में, जहां कोई प्रबंधकीय कार्मिक है, प्रदत्त किया जाने वाला पारिश्रमिक, कंपनी के निवल लाभ का 1 प्रतिशत से अधिक हो, तथा जहां कोई प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति नहीं किया गया है, 3 प्रतिशत से अधिक हो।

7. यदि कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची–XIII के भाग–I में यथा–विनिर्दिष्ट अधिनियम का कोई उल्लंघन किया है तथा प्रस्तावित प्रबंधकीय कार्मिक को कोई दण्ड दिया गया है अथवा संबंधित प्राधिकारी ने ऐसे उल्लंघन के लिए कोई दण्ड लगाया है।

निदेशक शिकायत प्रबंधन

3.3.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय का निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईजीएमसी), जिसे पूर्व में निवेशक संरक्षण प्रकोष्ठ (आईपीसी) के नाम से जाना जाता था,

की स्थापना 1993 में निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए की गई थी। इसका कार्य कंपनियों के अधिकारिक रजिस्ट्रारों के माध्यम से शिकायतों पर कार्रवाई करना है। यह इस मंत्रालय में प्राप्त उन निवेशकों की शिकायतों जो इन एजेंसियों से संबंधित हों, के निवारण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग तथा सेबी के साथ समन्वय भी करता है। व्यापक रूप से, शिकायतें निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती हैं।

1. वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न हो
2. लाभांश राशि प्राप्त न हो
3. आवेदन राशि का वापिस न किया जाना
4. परिपक्व जमा राशियों तथा तत्संबंधी ब्याज का भुगतान न किया जाना
5. शेयरों की अनुलिपि प्राप्त न होना
6. शेयरों के अंतरण का रजिस्ट्रेशन न किया जाना
7. शेयर प्रमाण–पत्र जारी न किया जाना
8. डिबेंचर प्रमाण–पत्र प्राप्त न होना
9. बोनस शेयर अधिकार प्राप्त न होना
10. देरी से भुगतान पर ब्याज न दिया जाना
11. डिबेंचर के शोधन तथा तत्संबंधी ब्याज न दिया जाना
12. परिवर्तन पर शेयर प्रमाण–पत्र जारी न किया जाना

3.3.2 निदेशक/जमाकर्ता मंत्रालय की *www.mca.go.in* नामक वेबसाइट का प्रयोग करते हुए, एमसीए–21 के माध्यम से ऑनलाइन पर संबंधित कंपनियों के रजिस्ट्रारों के पास अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। प्रणाली शिकायत संख्या देकर ऑनलाइन शिकायत को प्राप्ति की सूचना देती है तथा इस शिकायत संख्या को शिकायत की भावी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

3.3.3 निवेशक शिकायत निवारण समारोह में क्षेत्रीय कार्यालयों को सक्रिय रूप से सहयोजित करने के उद्देश्य से, एक पदनामित अधिकारी के नेतृत्व में एक नोडल–दल सभी क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों तथा मंत्रालय के मुख्यालय में स्थापित किया गया है। निवेशक संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर अपनी–अपनी शिकायतों पर चर्चा कर सकते हैं, यदि किसी निवेशक का कोई ऐसी शिकायत है जिसका पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी निवारण किया जाना है, तो उसे मंत्रालय स्तर पर नोडल अधिकारी के ध्यान में लाया जाए।

3.3.4 मंत्रालय को 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान 4132 शिकायतें प्राप्त हुई जबकि पिछले वर्ष से 1468 शिकायतों को आगे बढ़ाया गया था। इनमें से 4716 शिकायतों का समाधान कर लिया गया था तथा 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 884 शिकायतें कंपनी रजिस्ट्रार के पास समाधान हेतु लंबित थीं। इसके अतिरिक्त, निवेशक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ (आईजीएमसी) को अन्य एजेंसियों से संबंधित 90 शिकायतें प्राप्त हुई तथा ये शिकायतें उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई थीं। इनमें से, 28 शिकायतें सेबी को भेजी गई थीं, 28 शिकायतें वित्त मंत्रालय को, 04 शिकायतें कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) की दुर्बोध समिति (हार्ड–कमेटी), 13 शिकायतें अधिकारिक समापकों को, 10 शिकायतें श्रम मंत्रालय को, 2 शिकायतें नागरिक विमानन तथा 5 शिकायतें आईआ़रडीए को भेज दी गई थीं।

3.3.5. निवेशकों की शिकायतों का निःशुल्क निवारण करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु मिडास टच इन्वेस्टर एसोसिएशन (एनजीओ) द्वारा सृजित निवेशक शिक्षा ओर संरक्षण कोष के तहत सितंबर, 2006 में *www.investorhelpline.in* नामक वेबसाइट प्रायोजित की गई थी और आरंभ की गई थी। यह निवेशकों को वेबसाइट पर अपनी–अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। यह निवेशक व कंपनियों, स्टॉक–एक्सचेंज तथा अन्य प्राधिकारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। यह निवेशकों को विभिन्न अधिनियमों के तहत उनके विधि सम्मत अधिकारों तथा प्रक्रियाओं को उन पर प्रवृत्त कराने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।

3.3.6 इसके अतिरिक्त, बेइमान प्रवर्तकों, कंपनियों तथा अस्तित्वों से निवेशकों की सुरक्षा संबंधी सहायता हेतु निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष की वित्तीय सहायता से प्राइम इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन द्वारा एक वेबसाइट *www.watchoutinvestor.com* भी तैयार की गई है। यह वेबसाइट आर्थिक चूककर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री है और इसमें विभिन्न विनियंत्रित निकायों द्वारा अभियोजित संबंधी सूचना भी शामिल की गई है।

लुप्त कंपनियां

3.4.1 1990 के पूर्व में पूंजीगत बाजार तेजी में देखा गया कि सरकारी निर्गम (पब्लिक इश्यू) के माध्यम से पूंजीगत बाजार में व्यापार फैलाने में अधिकांश कंपनियां लगी रही। तथापि, कुछेक कंपनियां जिन्होंने सरकारी निर्गम के माध्यम से धन एकत्र किया वे बाद में निवेशकों की राशि से लुप्त हो गई।

3.4.2. 27.02.1999 को वित्त मंत्री के बजट भाषण के परिणामस्वरूप, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा अध्यक्ष, सेबी द्वारा की गई सह–अध्यक्षता के तहत एक संयुक्त तंत्र नाम समन्वयन और मॉनीटरिंग समिति (सीएमसी), दोषी कंपनियों/प्रवर्तकों के संबंध में नीति–निर्धारित करने, तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत तथा इसके साथ–साथ सेबी अधिनियम, 1992 के तहत लुप्त कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए, स्थापित की गई थी। समन्वयन तथा मॉनीटरिंग समिति (सीएमसी) में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र) के चार क्षेत्रीय निदेशकों के तहत चार क्षेत्रीय कृतिक बलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और इसमें कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी), क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत नोडल अधिकारी भी शामिल है।

3.4.3 229 कंपनियां जो वर्ष 1992–98 के दौरान प्रकट हुई थी, की पहचान लुप्त के रूप में कर ली गई थी। अब 87 कंपनियां ही लुप्त कंपनियां रह गई है जबकि शेष कंपनियों की या तो पहचान कर ली गई है और अब वे सांविधिक विवरणिका आदि को नियंत्रित रूप से भर रही हैं अथवा समन्वयन और मॉनीटरिंग समिति (सीएमसी) द्वारा अपना कार्य आरंभ करने के बाद परिसमापन में चली गई है। लुप्त कंपनियों की संख्या सार्थक रूप से कम हुई है तथा 1998–2001 की अवधि के लिए मात्र 8 कंपनियों की पहचान लुप्त कंपनी के रूप में की गई है जबकि इस अवधि के बाद जो कंपनियां लुप्त हो गई उनकी संख्या ''शून्य'' है। अतः यह सराहनीय है कि समन्वयन तथा मॉनीटरिंग समिति (सीएमसी) की स्थापना तथा इसके कार्यकरण का साधन, लुप्त कंपनियों की संवृत्ति को नियंत्रित करने में सफल रहा है। इसके अतिरिक्त, ई–गवर्नेंस परियोजना का क्रियान्वयन जिसमें निदेशकों की पहचान का गठन किया जाता है, यद्यिप निदेशक तादात्म्य संख्या (डीआईएन) ने लुप्त होती कंपनियों की संवृत्ति को नियंत्रित करने में भी मदद की है। तथापि, लुप्त होती कंपनियों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अधीन शिकायतें दर्ज किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है तथा इसके प्रवर्तकों/निदेशकों ने विभिन्न मंचों पर अपने–अपने तार्किक निर्णय लिए हैं।

निक्षेपों (जमा राशियों) की स्वीकृति

3.5.1. 01.02.1975 से प्रवृत, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क गैर–बैंकिंग, गैर–वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा राशियां आमंत्रित करने तथा उन्हें स्वीकार करने को विनियंत्रित करते हैं। उल्लिखित अधिनियम की धारा 58क की उपधारा (1) के अनुसरण में तैयार किए गए कंपनी (जमा राशियां स्वीकार करना) नियमावली, 1975 उस ऋण सीमा के तरीके तथा शर्तों को निर्धारित करती है जिसके तहत इन कंपनियों द्वारा जमा राशियां सार्वजनिक (जनता) अथवा अपने–अपने सदस्यों से आमंत्रित की जाएं अथवा स्वीकार की जाएं। इन नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक

कंपनी जमा राशियां आमंत्रित करने के समय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति को विज्ञापित करें। नियमों में जमा राशियों की स्वीकृति को अभिशासित करने वाली निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:–

- कंपनी के निवल–मूल्य के संदर्भ में जमा राशियों की उच्चतम सीमा।
- 36 माह की अधिकतम अवधि जिसके लिए जमा राशियां स्वीकार की जा सकती है।
- दलाली की अधिकतम दर जो कंपनी द्वारा उन दलालों को दी जा सकती है जिनके माध्यम से जमा राशियां एकत्र की जाती है।
- जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश किए जाने के लिए वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमा–राशियों के 15 प्रतिशत की सीमा तक अस्तियों (लिक्विड एसेट) का रखरखाव।
- जमा राशियों पर देय अधिकतम ब्याज दर।।

3.5.2 धारा 58क की उपधारा (8) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि यदि यह किसी कंपनी को विपत्ति से बचने के लिए अथवा किसी कंपनी को अनुपालन के लिए अथवा धारा 58क के किसी प्रावधान अथवा सीमा से कंपनियों के वर्ग को अथवा किसी कंपनी को देने या तो सामान्य रूप से अथवा विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अध्यधीन शर्तों की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, या तो उत्तर व्यापी प्रभाव से अथवा पूर्व व्यापी प्रभाव से जो कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारंभ होने से पूर्व न हो, छूट दे सकती है। यदि कंपनियों के एक वर्ग के लिए छूट प्रदान की जाती है तो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके किया जाना है।

3.5.3 धारा 58क की उपधारा (9) और (10) में कंपनी विधि बोर्ड को, परिपक्वता पर जमा राशियों की गैर–अदायगी के किसी मामले का पता लगाने तथा कंपनी को आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी संभव समय–सीमा में अथवा की गई ऐसी शर्तों के अध्यधीन पुनर्भुगतान करने का निर्देश देने के अधिकार दिए गए हैं। कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों की अनुपालन न करने पर कारावास द्वारा दण्ड दिया जाएगा जिसे 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी अनुपालन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए 500/–रुपए तक के जुर्माने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

3.5.4 धारा 58क की उपधारा (7) के परंतुक के अधीन, सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह धारा 58 के सभी अथवा किसी प्रावधान से कंपनियों के एक वर्ग को छूट दे सकती है। मंत्रालय ने, कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दस्तावेज जो गैर–बैंकिंग कंपनियों (वाणिज्यिक दस्तावेज के माध्यम से जमा राशियों स्वीकार की स्वीकृति) निर्देश 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए पात्रता मानदंड़ों की तुष्टि करते हैं, के निर्गम द्वारा जमा राशियों की स्वीकृति के संबंध में, धारा 58क की उपधारा (1) से (6) तक के प्रावधानों से दिनांक 29.12.1989 की अधिसूचना सा.का.नि. 1075 (अ) द्वारा छूट प्रदान की है। उक्त अधिसूचना 01.01.1990 से प्रवृत्त हुई है।

3.5.5 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 तक की प्रभावी अवधि के दौरान, पिछले वर्ष से आगे लाए गए 6 (छः) आवेदनों के अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क(8) के तहत छूट प्रदान करने/समयावधि के बढ़ाने के लिए केवल 1 (एक) आवेदन प्राप्त हुआ था। कुल 7 (सात) आवेदनों में से, उक्त अवधि के दौरान 5 (पांच) आवेदनों को निपटा दिया गया था तथा 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार 2 (दो) आवेदन विचारार्थ लंबित थे।

अन्य प्रावधान

3.6.1 शेयरधारकों को वृहत सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, धारा 205क को कंपनी अधिनियम से निगमित किया गया है, जिससे अदत्त अथवा अदावी लाभांशों को संबंधित कंपनियों द्वारा तीन वर्ष के लिए अलग खाते में रखा जाएगा। तत्पश्चात, यदि ये लाभांश अभी भी अदत्त अथवा अदावी रह जाते हैं तो इन्हें केन्द्रीय सरकार

के खाते में अंतरित कर दिया जाएगा जो संबंधित शेयरधारकों को उनके द्वारा किए गए विधिवत आवेदन पर अनिवार्य भुगतान करेगी।

3.6.2 एकमात्र विक्रेता एजेंसी करार के संबंध में धारी 294ककक के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है जिसमें उन कंपनियों को भाग लेना होगा जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख अथवा इससे अधिक है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इन करारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेची गई वस्तुओं की लागत संबंधित कंपनियों की ओर से परिहार्य अतिरिक्त व्यय द्वारा बढ़ी हुई न हो.

3.6.3 लागत, लेखा विधि रिकार्ड नियमावली, उत्पादन, प्रसंखरण निर्माण और खनन कार्यकलापों में लगी हुई कंपनियों के लिए, कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अधीन निर्धारित की जाती है। ये निर्माण लागत को कम करने की दृष्टि से कंपनियों द्वारा संसाधनों के उत्तम प्रयोग को सुनिश्चित करने तथा उसके बदले में उपभोक्ताओं को सस्ता माल उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों में लागत चेतना लाने के लिए तैयार की गई हैं।

3.6.4 कंपनियों के पास जमा राशियों को रखने के मामले में सामान्यतया जनता के हितों का भी कंपनी अधिनियम में ध्यान रखा जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के तहत, मंत्रालय ने कंपनी (जमा राशियों को स्वीकार करना) नियमावली, 1975 तैयार किया है। इन नियमों के तहत, कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जमा–राशियां आबंटित करते समय जनता से सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए अपने–अपने वित्तीय लेखे विज्ञापित करें। यदि कोई कंपनी किसी जमा राशि अथवा ऐसी जमा राशि की शर्तों के अनुसार तत्संबंधी भाग को चुकाने में असमर्थ रहती है तो कंपनी विधि बोर्ड, यदि यह समझता हो कि कंपनी, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, कंपनी को जनहित में ऐसी जमा राशि अथवा तत्संबंधी भाग को आगे से अथवा ऐसी समयावधि में तथा आदेश में यथा–विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यधीन चुकता करने के निदेश दे सकता है।

कंपनी विधि बोर्ड

3.7.1 कंपनी विधि बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10(3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गए एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में 31.05.1991 से कार्य कर रहा है। कंपनी विधि बोर्ड ने, ''कंपनी विधि बोर्ड विनियमावली, 1991'' तैयार की है जिसमें इसके समक्ष आवेदन/याचिका दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सरकार ने भी, ''कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन तथा याचिका पर शुल्क) नियमावली, 1991'' के तहत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिका दायर करने के लिए शुल्क निर्धारित किया है।

3.7.2 बोर्ड की नई दिल्ली में प्रधान पीठ है। परंतु यह अपने विवेक या सभी पक्षों के अनुरोध पर भारत में कहीं बैठक कर सकता है। इसकी क्षेत्रीय पीठे नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 247, 250 तथा 388ख और एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम (1956 का 54) की धारा 2क के तहत आने वाले मामलों को एक या एक से अधिक सदस्यों वाली प्रधान पीठ के समक्ष रखा जाता है। अन्य सभी मामलों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17, 18, 19, 58क, 58कक, 79/80क, 111/111क, 113/113(क), 117, 117ग, 118, 141, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 235, 237(ख), 284, 304, 397/398, 408, 409, 614 और 621क और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यू के अंतर्गत प्राप्त होने वाली याचिकाओं/आवेदनों को क्षेत्रीय खंडपीठों नामतः दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई पीठों के समक्ष रखा जाता है जिनमें एक या एक से अधिक सदस्य होते हैं। किसी कंपनी के कंपनी विधि बोर्ड द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों में विहित निदेशों के अनुपालन में असफल होने के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 634क के अंतर्गत आदेशों को लागू करवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

3.7.3 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान, कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत 13,651 याचिकाओं/आवेदनों पर विचार किया गया था। 13,651 याचिकाओं/आवेदनों में से, 7,313 याचिकाओं/आवेदनों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17, 18, 19, 79/80क, 111/111क, 113/113क, 141, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 235, 237(ख), 284, 304, 397/398 आदि के तहत निपटाया गया था, 1781 मामले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क के अंतर्गत संयोजित किए गए थे; 1704 आवेदनों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क(9) तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा की उपधारा 45क्यू क के तहत निपटाया गया था।

3.7.4 09 सदस्यों (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित) की स्वीकृत संख्या के मुकाबले में कंपनी विधि बोर्ड का गठन, 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार हैं:–

1. न्यायमूर्ति श्री डी. आर. देशमुख, अध्यक्ष, कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली।
2. श्रीमती विमला यादव, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली।
3. श्री कान्ती नरहारी, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, मुम्बई।
4. श्रीमती लिजम्मा, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, चेन्नई।
5. श्री बी. एस. वी. प्रकाश कुमार, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, कोलकाता।
6. श्री आर. वासुदेवन, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली, 23.11.2009 से निलंबित है।

3.7.5 लघु तथा जरुरतमंद उन जमाकर्ताओं जिन्होंने उन कंपनियों के पास सावधि जमा में राशि जमा कर दी है जो जमाराशियों में उक्त राशियां लेते समय उनके द्वारा किए गए वायदे के अनुसार उन्हें राशि वापिस नहीं कर रहे हैं द्वारा झेली जा रही की विपत्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कंपनी विधि बोर्ड ने 19 विपत्ति समितियां गठित की हैं।

3.7.6 13 कंपनियों के मामले में, विपत्ति के आधार पर जमाराशि की वापसी के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय विधि बोर्ड, नई दिल्ली में विपत्ति समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान लगभग 91,63,915/– रुपए की राशि 518 जमाकर्ताओं को वितरित कर दी गई है। केन्द्रीय विधि बोर्ड द्वारा वापसी के लिए चैक/ड्राफ्ट, केन्द्रीय विधि बोर्ड से प्राप्त होने पर वितरित किए जाते हैं। लघु तथा जरूरतमंद जमाकर्ताओं को जमाराशियों की गैर–अदायगी के निवारण के संदर्भ में काफी सुधार हुए हैं.

3.7.7 मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि. के सावधि जमाराशि धारकों को अदायगी कंपनी विधि बोर्ड द्वारा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालन में की जा रही है। दिनांक 01.4.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि. के जमाकर्ताओं को 9,89,360/– लाख रुपए की राशि के 71 चैक जारी किए गए हैं।

3.7.8 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 अवधि के दौरान सीएलबी द्वारा प्राप्त फाइलिंग का कुल शुल्क 41, 43,460/–रुपए है और इसी अवधि के दौरान आर्थिक दंड की राशि 2,34,47,400/–रुपए है।

कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं

3.8 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत मुख्य पीठ सहित क्षेत्रीय पीठों से द्वारा प्राप्त किए गए तथा निपटाए गई याचिकाओं/आवेदनों का विवरण तालिका–3.1 में दिया गया है।

तालिका–3.1

दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए, निपटाए गए तथा लंबित याचिकाओं/आवेदनों का समेकित विवरण।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धाराएं	अथशेष	प्राप्तियां	कुल (क्र. 2 एवं 3)	निपटाएं गए	लंबित (क्र. 4 एवं 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धारा 17	127	1058	1185	1014	171
धारा 18/19	10	44	54	44	10
आरबीआई अधिनियम की धारा 45क्यू क	29	1	30	23	7
धारा 58क(9)	1943	221	2164	1681	483
धारा 58कक(1)	8	0	8	8	0
धारा 79/80क	4	1	5	2	3
धारा 113/113(3)	9	23	32	30	2
धारा 117	0	0	0	0	0
धारा 117ग	181	0	181	9	172
धारा 118	0	0	0	0	0
धारा 141	158	5501	5159	4940	219
धारा 144	0	0	0	0	0
धारा 163	8	26	34	10	24
धारा 167	12	6	18	13	5
धारा 169	0	1	1	0	1
धारा 186	7	3	10	3	7
धारा 196	3	2	5	2	3
धारा 219	2	1	3	3	0
धारा 284	11	5	16	9	7
धारा 304	0	0	0	0	0
धारा 307	0	0	0	0	0
धारा 614	3	5	8	3	5
धारा 621क	809	1328	2137	1781	356
धारा 111	197	66	263	63	200
धारा 634क	2	5	7	0	7

धारा 235	3	3	6	0	6
धारा 237(ख)	11	4	15	1	14
धारा 284(4)	5	0	5	1	4
धारा 397 / 398	919	292	1211	193	1018
धारा 408	4	0	4	0	4
धारा 409	0	1	1	0	1
धारा 247 / 250	10	3	13	0	13
धारा 269	0	0	0	0	0
धारा 388ख	3	0	3	0	3
अंतर्वर्ती आवेदन	0	572	572	572	0
विविध आवेदन	71	430	501	393	108
कुल	**4549**	**9102**	**13651**	**10789**	**2853**

कंपनी अधिनियम की धारा 397 / 398 / 408 / 402 / 406 / 388 / 237(ख) के अंतर्गत कार्यवाही

3.9.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 / 398 के तहत कंपनी के कार्यों में शोषण, कुप्रबंधन अथवा कुप्रबंधन की आशंका के मामलों में राहत हेतु कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन दायर करने का उपबंध है। अधिनियम की धारा 408 केन्द्र सरकार को कंपनी अथवा इसके शेयरधारकों अथवा आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए संदर्भ / आवेदन पर कंपनी विधि बोर्ड के निदेशानुसार कंपनी बोर्ड में बताए गए व्यक्तियों की संख्या को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 406 के साथ पठित धारा 402 के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों के विरूद्ध परिसंपत्तियों के वापस लेने के लिए याचिकाएं दायर कर सकती है जब वे अपयोजन / अपकरण में शामिल हों।

3.9.2 दिनांक 31.12.2010 को कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) / उच्च न्यायालय में आठ (8) मामले लंबित थे।

कंपनी विधि बोर्ड / उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का ब्यौरा (31 / 12 / 2010 को स्थिति)

क्रम सं.	कंपनी विधि बोर्ड	धारा	अभियुक्तियां
1.	भारत संघ बनाम सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड	397 / 398 / 388ख / 406 एवं 408	लंबित
2.	भारत संघ बनाम मैटास इन्फ्रा लि.	–वही–	–वही–
3.	भारत संघ बनाम मैटास प्रोपर्टी लि.	–वही–	–वही–
4.	भारत संघ बनाम एसएचसीआईएल सर्विसेज लि.	250	–वही–

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	धारा	अभियुक्तियां
1.	मुक्ता आर्ट्स लि.	237(ख)	लंबित
2.	ईवररेडी इंटरनेशनल लि.	397	–वही–
3.	विकास डब्ल्यूएसपी लि.	397	–वही–
4.	सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लि.	याचिका	–वही–

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

3.10.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अनुषंगी हैं, के प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबंधकों की नियुक्ति तथा उन्हें पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में सांविधिक आवेदनों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 259, 268, 269, 198/309, 310 और 314 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची–XIII के उपबंध के अनुसार कार्रवाई करता है। जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता रहा है।

3.10.2 विभिन्न सांविधिक आवेदनों पर कार्रवाई करने में बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा सितम्बर, 2006 से शुरू की गई थी। कंपनियां, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने आवेदनों की स्थिति का भी अवलोकन कर सकती है।

3.10.3 यह पाया गया है कि प्राप्त आवेदनों में सामान्यतः कई दृष्टि से कमियां होती है। जिससे कार्रवाई में काफी समय लग जाता है। दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के लिए सांविधिक आवेदनों की प्राप्ति तथा निपटान का ब्यौरा नीचे संलग्न तालिका में दिया गया हैं:–

तालिका 3.2

दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधकीय नियुक्ति हेतु प्राप्त तथा निपटाए गए आवेदन

क्र.सं.	विषय	31.3.2010 तक लंबित	दिनांक 1.4.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान प्राप्त	कुल (कॉलम 3+4)	दिनांक 1.4.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान निपटाए गए	31.12.2010 को लंबित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
259	निदेशकों की संख्या में वृद्धि।	10	27	37	28	9
268	प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक से संबंधित संज्ञम अनुच्छेद के प्रावधानों में संशोधन।	19	6	25	3	22

269/अनु.–XIII, 309 (1ख), 309(4) (5ख), 310	प्रबंध निदेशकों या पूर्णकालिक निदेशकों/प्रबंधकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति, व्यवसायिक सेवा प्रदान करने हेतु निदेशकों का पारिश्रमिक, प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निदेशकों या पूर्णकालिक निदेशकों को राशि की पुनर्अदायगी से छूट एवं निदेशकों के पारिश्रमिक में वृद्धि।	837	963	1800	1376	424
314(ख)	किसी निदेशक के रिश्तेदार की किसी कार्यालय या कम्पनी में लाभ के पद पर नियुक्ति/पद पर बने रहना जिसमें कुल मासिक पारिश्रमिक 50,000 रुपए प्रतिमाह से कम न हो।	312	271	583	378	205
	कुल	**1178**	**1267**	**2445**	**1785**	**660**

जांच

3.11.1 धारा 235/237 के अंतर्गत कंपनियों की जांच के मामले एसएफआईओ को निम्निलिखित आधार/मानदण्ड पर सौंपे जाते हैंः–

(i) जहां तथाकथित धोखाधड़ी में शामिल राशि कम से कम 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक होने का अनुमान हैं, अथवा;

(ii) ऐसी कंपनियों के मामले में जो सूचीबद्ध हैं अथवा जहां कंपनी की प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए से अधिक है और 20 प्रतिशत अथवा अधिक पूंजी जनता द्वारा अभिदत्त है; अथवा

(iii) जब तथाकथित धोखाधड़ी में व्यापक जनहित शामिल हो और जिसमें कम से कम 5000 से अधिक व्यक्तियों के प्रभावित होने का अनुमान हो; अथवा

(iv) जहां जांच में विशेष कौशल तथा विस्तृत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का आवश्यकता हो।

3.11.2 मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237(ख)/247 के तहत सोलह (16) मामले एसएफआई को आविष्ट/संदर्भित किए गए हैं। मंत्रालय को दिनांक 1.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान तीन (3) जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। बत्तीस (32) कंपनियों की जांच रिपोर्ट बन रही है।

दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 235 के तहत जांच रिपोर्ट

1	मै. निक्को यूसीओ एलाइंस क्रेडिट लिमिटेड	03.06.2010
2	मै. पीएसजी डेवलोपर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड	18.11.2010
3	मै. इंफॉरमेशन टेक्नॉलोजीस (इंडिया) लिमिटेड	03.09.2010

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237(ख)/247 के तहत जांच का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आदेश की तारीख	स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जेवीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	09.07.2007	जांच कार्य प्रगति पर है।
2.	जेवीजी स्टील्स लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
3.	जेवीजी फार्म फ्रेस लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
4.	जेवीजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
5.	जेवीजी ओवरसीज लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
6.	जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड	27.07.2007	जांच कार्य प्रगति पर है।
7.	जेवीजी लीजिंग लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
8.	जेवीजी सिक्यूरिटीज लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
9.	जेवीजी डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
10.	सेस्टम्स अमेरिका (इंडिया) लिमिडेट	17.01.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
11.	कृषि एक्सपोर्ट कॉमर्शियल कॉरपोरशन लिमिटेड	25.02.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
12..	एवीआई टेलीकॉम लिमिटेड	05.05.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
13.	एवीआई पेट्रोलियम लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
14.	एवीआई पैकजिंग (इंडिया) लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
15.	ए और आर ऑयल मिल्स लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
16.	ऋषि स्पिनर्स लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
17.	ऋषि फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
18.	ऋषि ऑयल एण्ड फैट्स लिमिटेड	05.05.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
19.	एवीआई सूज लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
20.	जेनेट सॉफ्टवेयर लिमिटेड	15.05.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
21.	सुगंधा एस्टेट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	16.05.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
22.	अमाधी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	16.05.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
23.	वेलवेट फाइनेंशियल एडवाइजर प्रा. लि.	16.05.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
24.	पीएसजी डेवलपर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड	16.05.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
25.	निक्को यूको एलाइंस क्रेडिट लिमिटेड	5.08.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
26.	कुबेर मिचुअल बिनीफिट्स लिमिटेड	09.09.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।

27.	इल्डर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	26.09.2008	जांच कार्य प्रगति पर है।
28.	सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	13.01.2009	जांच कार्य प्रगति पर है।
29.	राजस्थान ब्रेवरीज लिमिटेड	29.11.2007	जांच कार्य प्रगति पर है।
30.	इंडग्लोनल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
31.	एसकेए कॉमर्शियल प्रा. लि.	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।
32.	टैक्सास ब्रीविंग कंपनी लि.	–वही–	जांच कार्य प्रगति पर है।

3.11.3 गंभीर धोखाधड़ी जांच–पड़ताल कार्यालय जैसे कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की जांच करता है जो (क) जटिल प्रकृति के हो एवं जो अंतरविभागीय एवं बहुआयामी विस्तार वाले हों, (ख) जिनमें जनहित मूल रूप से शामिल हो, जिसका निर्धारण आकार, जो या तो वित्तीय दुरुपयोग के अनुसार या प्रभावित व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है तथा (ग) जो व्यवस्था, कानून या प्रक्रियाओं में एक स्पष्ट सुधार लाएं या जिनमें सुधार में योगदान की संभावना हो।

3.11.4 एसएफआईओ की अध्यक्षता निदेशक द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की जाती है। वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। निदेशक को सहयोग प्रदान करने के लिए अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक तथा वरिष्ठ निदेशक/सहायक निदेशक हैं जो मामलों की जांच के लिए टीम के रूप में काम करता है। गंभीर धोखाधड़ी जांच–पड़ताल कार्यालय का मुख्यालय दिल्ली में है तथा एक शाखा मुम्बई में है। एक और क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में बनाया जा रहा है जो पूरे दक्षिणी क्षेत्र का कार्य देखेगा।

3.11.5 एसएफआईओ में वर्तमान अपर/संयुक्त निदेशक के 18, उप निदेशक के 8 तथा वरिष्ठ सहायक निदेशक के 29 एवं वरिष्ठ अभियोजकों के 5, सहायक निदेशक के 30 और अभियजोक–II के 5 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से, अपर/संयुक्त निदेशक का एक तथा वरिष्ठ सहायक निदेशक/सहायक निदेशकों के 2 पद मुम्बई शाखा कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं। जब भी मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, की धारा 235 या 237 के तहत जांच के लिए कोई मामला भेजा जाता है, तो उस विशेष मामले की जांच करने एवं जांच से संबंधित रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए अपर/संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों से अधिकारियों को लेकर एक टीम का गठन किया जाता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात मंत्रालय द्वारा अभियोजन दायर किया जाता है। तत्पश्चात् मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसरण में एसएफआईओ द्वारा सक्षम न्यायालयों में अभियोजन दायर किया जाता है।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आदेश की तारीख	स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	28.05.2010	प्रगति पर है।
2	सुविक्षा ट्रेडिंग सर्विस लिमिटेड	23.07.2010	उच्च न्यायालय, चेन्नई द्वारा स्थगित
3	गोल्डक्वीस्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	28.07.2010	प्रगति पर है।
4	क्वीस्टनेट इंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	28.07.2010	प्रगति पर है।
5	जयंत विटामिन्स लिमिटेड	11.08.2010	प्रगति पर है।
6	सिटी लिमोजिनेस (इंडिया) लिमिटेड	07.10.2010	प्रगति पर है।

3.11.6 उपरिलिखित छः मामलों के अलावा सरकार द्वारा वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान में जांच के लिए आदेशित निम्नलिखित 19 मामले जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। कुल मिलाकर दिनांक 31.12.2010 को 25 मामले एसएफआईओ के पास जांचाधीन हैं।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आदेश की तारीख	स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सिस्टमस अमेरिका (इंडिया) लि.	17.1.2008	जांच प्रगति पर है
2	ए.वी.आई. टेलेकम लि.	5.5.2008	जांच प्रगति पर है
3	ए.वी.आई. पेट्रोलियम लि.	5.5.2008	जांच प्रगति पर है
4	ए.वी.आई. पैकेजिंग (इंडिया) लि.	5.5.2008	जांच प्रगति पर है
5	ए. एंड आर. आयल मिल्स लि.	5.5.2008	जांच प्रगति पर है
6	ऋषि स्पिनर्स लि.	5.5.2008	जांच प्रगति पर है
7	ऋषि फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	5.5.2008	जांच प्रगति पर है
8	ऋषि आयल एवं फैट्स लि.	5.5.2008	जांच प्रगति पर है
9	ए.वी.आई. शूज लि.	5.5.2008	जांच प्रगति पर है
10	जेनेट सॉफ्टवेयर लि.	15.5.2008	जांच प्रगति पर है
11	सुगंध एस्टेट एवं इंवेस्टमेंट प्रा. लि.	16.5.2008	जांच प्रगति पर है
12	अमधी इंवेस्टमेंट लि.	16.5.2008	जांच प्रगति पर है
13	वेलवेट फाइनेंसियल एडवायजर्स प्रा. लि.	16.5.2008	जांच प्रगति पर है
14	कुबेर म्युचुअल बेनेफिट्स लिमिटेड (समापनाधीन)	9.9.2008	शासकीय समापक, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार इसे मुल्तवी रखा गया है।
15	मेगासिटी (बंगलौर) डेवलपर्स एंड बिल्डिंग लिमिटेड	17.4.2009	जांच प्रगति पर है
16	ए.वी.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड (समापनाधीन)	15.5.2010	जांच प्रगति पर है
17	सेसा गोवा लिमिटेड	23.10.2009	जांच प्रगति पर है
18	सेसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	23.10.2009	जांच प्रगति पर है
19	आस्ट्राल कोक एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड	20.1.2010	जांच प्रगति पर है

3.11.7 अब तक जांच के लिए 79 मामले एसएफआईओ को भेजे गए हैं। एसएफआईओ ने इनमें से 52 मामलों में जांच रिपोर्ट दिनांक 31.12.2010 तक प्रस्तुत कर दी थी, 2 मामले या तो न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिए गए हैं या खारिज कर दिए गए है तथा शेष 25 मामले (पैरा 3.1 तथा 3.2 के अनुसार) जांचाधीन हैं। वर्ष के दौरान (दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 तक) निम्नलिखित 3 मामलों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।

क्रम सं.	कंपनी का नाम	रिपोर्ट जारी की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	निक्को यूको एलाइंस क्रेडिट लिमिटेड	03.06.2010
2.	इंफारमेशन टेक्नॉलोजी ऑफ इंडिया लिमिटेड	03.09.2010
3.	पीएसजी डेवलवपर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड	16.11.2010

3.11.8 शेष 49 मामलों की सूची जिनमें अब तक रिपोर्ट सौंप दी गई है, जो निम्नलिखित है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	रिपोर्ट जारी करने तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड	16.02.2004
2.	डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लिमिटेड	30.11.2005
3.	डिजाइन ऑटो सिस्टम्स लि.	19.01.2005
4.	बोनांजा बायोटेक लि.	20.01.2005
5.	वत्स कारपोरेशन लिमिटेड	21.09.2004
6.	ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लि.	18.09.2006
7.	एनएच सिक्युरिटीज लि	03.09.2006
8.	केएनपी सिक्युरिटीज प्रा. लि.	21.09.2006
9.	वीएनपी सिक्युरिटीज प्रा. लि.	20.09.2006
10.	पैन्थर फिनकेप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	25.09.2006
11.	पैन्थर इनवेस्ट्रेड लि.	21.09.2006
12.	पैन्थर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लि.	29.06.2006
13.	ट्रायम्फ सिक्युरिटीज लि.	15.09.2006
14.	लुमीनेंट इंवेस्टमेंट प्रा. लि.	15.09.2006
15.	क्लासिक क्रेडिट लि.	26.09.2006
16.	साइमंगल इनवेस्ट्रेड लि.	15.09.2006
17.	क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स सर्विसेज लि.	17.08.2006
18.	गोल्डफिश कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	27.06.2006
19.	नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	12.08.2006
20.	चित्रकूट कम्प्यूटर प्रा. लि.	12.08.2006
21.	मनमंदिर एस्टेट डेवलेपर्स प्रा. लि.	22.06.2006
22.	मर्डिया केमिकल्स लि.	12.07.2005
23.	एडम कॉमसाफ लि.	06.10.2005
24.	कोलार बॉयोटेक लि.	07.10.2005
25.	साउडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	10.10.2005
26.	ऊषा इंडिया लि.	10.02.2006
27.	मालविका स्टील लि.	10.02.2006
28.	कोशिका टेलीकॉम लि.	17.03.2006
29.	शोंख टेक्नोलॉजीस लि.	26.11.2007
30.	मोरपेन लेबोरेट्रीज लि.	16.03.2007
31.	शोंख टेक्नोलॉजिस इंटरनेशनल लि.	02.05.2008
32.	लीफिन इंडिया लिमिटेड	12.03.2009
33.	जेवीजी पब्लिकेशन्स लिमिटेड	31.03.2009
34.	जेवीजी होटल्स लिमिटेड	31.03.2009
35.	जेवीजी टेक्नो इंडिया लिमिटेड	31.03.2009
36.	जेवीजी होल्डिंग्स लिमिटेड	31.03.2009
37.	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	31.03.2009
38.	सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	13.04.2009
39.	जेवीजी स्टील्स लिमिटेड	30.06.2009
40.	जेवीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	03.07.2009
41.	जेवीजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	13.07.2009
42.	जेवीजी फार्म फ्रेस लिमिटेड	03.08.2009

43.	जेवीजी ओवरसीज लिमिटेड	03.08.2009
44.	जेवीजी सिक्यूरिटीज लिमिटेड	10.08.2009
45.	इल्डर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	10.08.2009
46.	जेवीजी लीजिंग लिमिटेड	28.08.2009
47.	कृषि एक्सपोर्ट कॉमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड	28.08.2009
48.	जेवीजी डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड	06.11.2009
49.	जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड	15.02.2010

3.11.9 दिनांक 31.12.2010 तक निम्नलिखित धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में 823 अभियोजन दायर किए गए है।

क्रम सं.	कंपनी का नाम	मामलों की संख्या	
		कंपनी कानून	आईपीसी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मै. देवू मोटर्स इंडिया लि.	21	2
2.	डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लि.	23	2
3.	मै. डिजाइन आटो सिस्टम्स लि.	11	2
4.	मै. बोनांजा बॉयोटेक लि.	16	1
5.	मै. वत्स कारपोरेशन लि.	106	8
6.	मै. ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लि.	10	2
7.	मै. एन.एच. सिक्यूरिटीज लि.	24	1
8.	मै. के.एन.पी. सिक्यूरिटीज लि.	15	0
9.	मै. वी.एन.पी. सिक्यूरिटीज लि.	12	0
10.	मै. पैंथर फिनकेप एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	24	2
11.	मैं. पैंथर इन्वेस्ट्रेड लि.	14	1
12.	मै. पैन्थर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लि.	25	0
13	मैं. ट्रायम्फ सिक्युरिटीज लि.	22	1
14.	मैं. लुमीनेंट इंवेस्टमेंट प्रा. लि.	11	0
15.	मैं. क्लासिक क्रेडिट लि.	05*	01*
*18 अभियोजन मामलों में से 12 को सीएल के तहत दोष सिद्धि का निर्णय दिया गया है। शेष 6 मामलों– सीएल के तहत 5 तथा आईपीसी के तहत 1 प्रक्रिया गत है।			
16.	मै. साइमंगल इनवेस्ट्रेड लि.	18	1
17.	मै. क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स सर्विसेज लि.	09*	––
*36 मामलों में से 27 को सीएल के तहत दोष सिद्धि हेतु निर्णय दिया गया है। सीएल के तहत शेष 9 मामले प्रक्रिया गत है।			
18.	मै. गोल्डफिश कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	22	1
19.	मै. नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	17	2
20.	मै. चित्रकूट कम्प्यूटर प्रा. लि.	16	2
21.	मै. मनमंदिर एस्टेट डेवलेपर्स प्रा. लि.	2	1
22.	मै. मर्डिया केमिकल्स लि.	22	1
23.	मै. साउडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	35	9
24.	मै. एडम कॉमसाफ लि	21	4
25.	मै. कोलार बॉयोटेक लि.	24	4

26.	मै. ऊषा इंडिया लि.	27	7
27.	मै. मालविका स्टील लि.	27	6
28.	मै. कोशिका टेलीकॉम लि.	41	3
29.	शोंख टेक्नोलॉजिस इंटरनेशनल लि.	9	––
30.	शोंख टेक्नोलॉजीस लि.	17	1
31.	मोरपेन लेबोरेट्रीज लि.	12	5
32.	जेवीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10	––
33.	जेवीजी पब्लिकेशन्स लिमिटेड	05	––
34.	जेवीजी होटल्स लिमिटेड	08	––
35.	जेवीजी स्टील्स लिमिटेड	08	––
36.	जेवीजी टेक्नो लिमिटेड	06	––
37.	जेवीजी होल्डिंग्स लिमिटेड	03	––
38.	जेवीजी फार्म फ्रेश लिमिटेड	06	––
39.	जेवीजी ओवरसीज लिमिटेड	07	––
40.	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	09	––
41.	सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	07	––
	कुल	**714**	**70**

पाए गए धोखाधड़ी मामलों की प्रकृति

3.11.10 कई वर्षों से एसएफआईओ द्वारा की गई जांच के दौरान, विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी/धोखाधड़ियों के मामले सामने आए हैं। कतिपय प्रकार की धोखाधड़ी इस प्रकार हैं:

(क) परियोजना वित्त प्रबंधः एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए मामलों में से यह देखा गया कि एक भारतीय कंपनी ने अपनी मूल कंपनी से पुरानी संयंत्र तथा मशीनरी काफी अधिक मूल्य पर खरीदी। इस अत्यधिक मंहगे संयंत्र तथा मशीनरी का प्रयोग वित्त संस्थानों से अधिक अवधि वाले ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया। इस प्रकार से प्राप्त ऋण राशि मूल कंपनी को उक्त संयंत्र व मशीनरी के लिए देयता के भुगतान के रूप में अंतरित की गई। यह भी देखा गया कि भारतीय कंपनी ने अधिकांश मशीनरी के लिए विभिन्न इनवॉयस विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त किए। उक्त जांच में यह भी देखा गया कि जांचाधीन कंपनी ने अपनी विदेशी मूल कंपनी से अत्यधिक मूल्यों पर अधिकांश कच्ची सामग्री प्राप्त की और कार्य पूंजी का भी अन्यत्र उपयोग किया।

(ख) परिचालन के दौरान धोखाधड़ीः एसएफआईओ द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले में यह देखा गया कि एक भारतीय कंपनी ने अपनी विभिन्न ग्रुप कंपनियों के बीच सर्कुलर रूप में हीरों का व्यापार दिखाते हुए बिल प्रस्तुत किए जैसे कंपनी 'क' ने 'ख' को बेचा, 'ख' ने 'ग' को और 'ग' ने वापस 'क' को बेचा। इस प्रकार इस प्रक्रिया में किसी सामान का अंतरण नहीं हुआ और केवल विक्रय व क्रय बिल प्राप्त किए गए। ये बिल बैंक में डिस्काउंट किए गए तथा कंपनी ने इन बिलों के प्रति बैंकों से अग्रिम के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की। प्रारंभ में कंपनी ने निर्धारित अवधि के बाद डिस्काउंट किए गए बिलों में निर्दिष्ट धनराशि की वापसी की। परंतु कुछ समय बाद भुगतान रोक दिया गया और कंपनी का प्रमुख प्रोमोटर, जो कंपनी का नियंत्रण कर रहा था, देश से बाहर भाग गया और कंपनी ने कार्य करना बंद कर दिया जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में बैंक का धन एनपीए हो गया।

(ii) एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए कुछ मामलों में कंपनियों द्वारा स्टील के सामान के छोटे–छोटे सप्लायर अथवा ग्रुप कंपनियों को परियोजना

की निर्माण अवधि के दौरान बड़ी राशि का भुगतान दिखाया गया। ये सारी सप्लाई लेखा बही में कार्य प्रगति पर के रूप में दिखाई गई जिसे सत्यापित नहीं किया गया और जांच के दौरान देखा गया कि इन छोटे–छोटे सप्लायर का अस्तित्व नहीं है अथवा उन्हें ढूंढ़ा नहीं जा सका। ग्रुप कंपनियां भी या तो बंद की गई थी या कार्य नहीं कर रही थी और उनके निदेशक भी नहीं मिले। इन एनटिटियों को सामग्री की सप्लाई दिखाते हुए अंतरित की गई धनराशि कतिपय लेखों के माध्यम से रोटेशन द्वारा नकदी के रूप में अथवा कुछ सत्यापित न किए गए व्यय के लिए भुगतान के रूप में पाई गई।

(ग) झूठे वित्तीय विवरण देना: एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए कुछ मामलों में यह देखा गया कि कंपनी आयकर विभाग को दाखिल लाभ हानि विवरण में दो लेखा वर्षों के दौरान हानि दिखाई अथवा नाममात्र का लाभ दर्शाया। तथापि, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी रजिस्ट्रार आदि को दाखिल लाभ हानि लेखों में अत्याधिक लाभ दिखाया जा रहा था। एक ही वर्ष के लिए दो अलग लाभ–हानि लेखों में लाभ की राशि अलग–अलग दिखाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज को दाखिल किए जाने वाले लाभ–हानि विवरण में वित्त वर्ष से अलग लेखा वर्ष में बढ़ाए गए मूल्य पर स्टॉक का मूल्य निर्धारण किया गया। कुछ मामलों में इन महीनों में अत्याधिक लाभ वाले विक्रय रिकार्ड किए गए जिन्हें कंपनी रजिस्ट्रार को दाखिल किए जाने वाले लाभ हानि विवरण तैयार करने के लिए लेखा वर्ष में शामिल किया गया तथा निवेशकों अथवा अन्य हितबद्धों के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया।

(ii) एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए एक मामले में यह देखा गया कि कंपनी ने अपनी स्थायी परिसंपत्तियों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के बावजूद उन परिसंपत्तियों का पूंजीकरण स्थगित कर दिया ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो तथा/अथवा हानि कम हो, बीआईएफआर के शिकंजे से बचा जा सके तथा बैंक धनराशि का लाभ जारी रखा जा सके।

(घ) पूंजी बाजार द्वारा धोखाधड़ी: एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए एक मामले में यह पाया गया कि एक कंपनी ने अपनी संबद्ध कंपनियों के बैंक खाते के माध्यम से केवल चैकों के संचलन द्वार इक्विटी पूंजी सृजित करने का संदिग्ध तरीका अपनाया जबकि इन खातों में कोई धनराशि नहीं थी। वास्तव में कंपनी के खातों में धनराशि का कोई वास्तविक फ्लो नहीं था। जितनी भी राशि खातों में दिखाई गई, उतनी ही राशि के चैक उन कंपनियों को जारी किए गए जिनसे अधिकांश चैक उसी दिन अथवा दो दिन के अंदर प्राप्त हुए थे बैंक खातों में जमा व नामे प्रविष्टियों का प्रयोग केवल इक्विटी पूंजी तैयार करने के लिए किया गया।

(i) इस कंपनी ने कंपनी विधि तथा आयकर कानून के प्रयोजनार्थ अलग–अलग लेखा विधि/प्रणाली का उपयोग किया। आय कर प्राधिकारियों को आयकर रिटर्न भरते समय लेखों में हानि दिखाई जाती जबकि कंपनी रजिस्ट्रार को दाखिल खातों में हमेशा लाभ दिखाया जाता। यह तरीका जनता को भ्रामक छवि दिखाने के लिए अपनाया गया और साथ ही आय कर विभाग को कर का भुगतान भी नहीं किया गया। इस प्रकार विभिन्न प्राधिकरणों को दाखिल किए गए लेखों का एक दूसरे से मिलान नहीं होता।

(ii) इक्विटी बढ़ाने के लिए एक अन्य तरीका यह अपनाया गया कि किसी काल्पनिक/निष्क्रिय कंपनी के साथ धनराशि की अदला–बदली दिखाई गई जबकि वास्तव में कंपनी की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई ऐसा केवल इक्विटी सृजन के लिए किया गया। इस प्रकार के मामले भी देखे गए हैं।

(iii) एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए एक अन्य मामले में यह पाया गया कि संबद्ध कंपनी के

मनमाने प्रीमियम पर अधिमान शेयरों के प्रति कंपनी के इक्विटी शेयर की अदला बदली द्वारा लगभग 7000 करोड़ रुपए की इक्विटी सृजित की गई। इन कंपनियों के पास इतने अधिक प्रीमियम का औचित्य देने के लिए कोई परिसंपत्तियां अथवा महत्वपूर्ण निष्पादन स्तर नहीं था।

(iv) एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए एक अन्य मामले में दो कारपोरोट एनटिटियों ने कंपनी अधिनियम तथा सेबी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए एक दूसरे को अवैध रूप से शेयर आवंटित करके अपने–अपने खातों में प्रत्येक 10 करोड़ इक्विटी शेयर सृजित किए। एक कंपनी ने धोखे से इन शेयरों को डिमेटीरियलाइज़ करते हुए स्टॉक से लिस्टिंग अनुमति प्राप्त किए बिना बाज़ार में इन शेयरों को बेच दिया। इसी कंपनी ने धोखे से शेयरों का आवंटन प्रोमोटर्स तथा उनकी नियंत्रित कंपनी को करके कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का भी पूर्णतया उल्लंघन किया। इन शेयरों को भी गलत ढंग से डिमेटीरियलाइज़ करके बाजार में बेचा गया।

(v) प्रोमोटर्स झूठे वित्तीय निष्पादन के आधार पर अक्सर कंपनी में अपने शेयर अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए शेयर बाज़ार में मनमाने मूल्यों पर बेच देते है और बाद में इसी प्रक्रिया को विपरीत करते हुए घटाए गए मूल्यों पर इन शेयरों को पुनः खरीद लेते है और इस प्रकार कंपनी पर अपना नियंत्रण जारी रखते है। एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि प्रोमोटर्स अथवा उनके द्वारा नियंत्रित एनटिटियों द्वारा बड़ी संख्या में शेयर, जो उन्हें अधिमान आधार पर आवंटित किए गए है, चैंकों के परिचालन अथवा अदला–बदली, जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में बताया गया है, द्वारा बेचे जाते हैं।

निरीक्षण

3.12.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क कंपनियों के पंजीयक अथवा केन्द्र सरकार के विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनी की लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों की जांच करने के लिए प्राधिकृत करती है। इस धारा के तहत इस मंत्रालय के कई अधिकारियों को समय–समय पर निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

3.12.2 मुख्यतः निरीक्षण निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैंः

i) कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन की जांच करना;

ii) यह जांच करना कि क्या कंपनी के लेखे कंपनी के वित्त की सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते है और क्या इन्हें कंपनी अधिनियम की संगत विधि से प्रकट किया गया है;

iii) क्या कंपनी की निधियों को किसी ऐसे प्रकार से निकाला गया है अथवा उनका उपयोग किया गया है अथवा कहीं और लगाया गया है जो कि अधिनियम के उपबंधों में हो और क्या कंपनी प्रबंधन ने अधिनियम के उल्लंघन में अपनी न्यासीय स्थिति का दुरुपयोग अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है;

iv) क्या कुप्रबंधन अथवा शोषण के कोई ऐसे कृत्य हैं जो कंपनी के हितबद्धों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हों अथवा तो ऐसे हितों को विपरीत हो सकते हैं कि जिससे कंपनी को अधिनियम के अंतर्गत उचित तथा साम्य आधार पर समाप्त किया जाना पड़े;

v) क्या सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी की स्थिति का सत्य तथा सही चित्रण प्रमाणित करते समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से किया; और

vi) यदि कंपनी द्वारा पिछले 5 वर्षों में पंजीयक को अपने तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे अथवा वार्षिक रिटर्न दायर करने में कोई चूक हुई है तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई की जांच करना।

3.12.3.कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत कंपनी की लेखा–बहियों की जांच के आदेश सामान्यतः निम्नलिखित आधार पर दिया जाता है।

i) मंत्रालय अथवा इसके क्षेत्र कार्यालयों में अधिनियम की धारा 209 के अंतर्गत यथा विहित लेखा–बहियों के अनुरक्षण के संबंध में कुप्रबंधन, शेयर/ऋण–पत्र के अंतरण में विलंब, लाभांश के भुगतान में विलंब, जमा अथवा उसके ब्याज का भुगतान न करना आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतें;

ii) कंपनियों के पंजीयक के कार्यालय में दर्ज लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित दस्तावेजों की जांच पर जानकारी में आए उल्लंघन/अनियमितताएं; और

iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन में इंगित अन्य सरकारी विभाग/एजेंसियों से प्राप्त संदर्भ अथवा अन्य अनियमितताएं।

तालिका 3.3

2005–06 से 2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या

वर्ष	निरीक्षणओं की संख्या
2005–06	253
2006–07	220
2007–08	189
2008–09	207
2009–10	204
01.04.2010 से 31.12.2010 तक	168

शेयर बाजार घोटाले पर संयुक्त समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

3.13 सरकार ने शेयर बाजार घोटाले की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की थी। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 2002 में प्रस्तुत की। कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस मंत्रालय से संबंधित जेपीसी की कुछ सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मदों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट को आर्थिक मामले विभाग में जेपीसी एकक को नियमित रूप से अग्रेषित किया जाता है जो समय–समय पर जेपीसी रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी करने के लिए है।

अभियोजन

3.14 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पिछले वर्ष से लाए गए 63602 अभियोजनों सहित कुल 60661 अभियोजन प्रारंभ किए गए तथा विभिन्न न्यायालयों में चलाए गए। लंबित मामलों की संख्या 31.12.2010 को 60457 थी।

लागत लेखा

3.15.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत लागत लेखा परीक्षा शाखा का संचालन भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीएएस) के पेशेवरों द्वारा किया जाता है और यह मुख्यतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) तथा 233ख के तहत कार्यवाही करती हैं। धारा 209(1)(घ) के तहत यह शाखा विभिन्न उद्योगों/उत्पादों के संबंध में लागत लेखाकरण रिकार्ड नियमावली (सीएआरआर) निर्धारित तथा अधिसूचित करती है। ऐसे नियम निर्दिष्ट वर्ग की कंपनियों द्वारा लागत रिकॉर्डों के रखरखाव का तरीका निर्धारित करते है। यह शाखा मौजूदा सीएआरआर को तर्कसंगत बनाने के कार्य भी देखती है ताकि प्रौद्योगिकी, निर्माण प्रक्रिया तथा लेखाकारिता मानकों में परिवर्तन प्रदर्शित हो सके। धारा 233ख के तहत प्रत्येक कंपनी को लागत लेखा रिकार्ड की लेखापरीक्षा करवाने के लिए लागत लेखा रिपोर्ट नियम के अनुसरण में निदेशक बोर्ड द्वारा मंत्रालय की पूर्व सहमति से नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक द्वारा करवाए जाने के लिए आदेश जारी किया जाता है।

वित्त वर्ष 2010–11 (अप्रैल, 2010 से दिसंबर, 2010) के दौरान इस शाखा द्वारा किए गए कार्य कलापों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (1) जो धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित है द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने समय–समय पर विभिन्न उद्योगों और उत्पादों के संबंध में लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली (सीएआरआर) अधिसूचित करती है। लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली, यथा लागू में विनिर्दिष्ट उद्योगों अथवा उत्पादों से संबंधित उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण अथवा खनन के कार्यकलापों में लगी सभी कंपनियों से अपेक्षित हैं कि वे अपने पंजीकृत कार्यालय में, उक्त नियमावली में यथानिर्धारित, सामग्री अथवा श्रम के उपयोग अथवा लागत की अन्य मदों के संबंध में सही खाता बहियां रखे। इस नियमावली के अंतर्गत कवर की गई प्रत्येक कंपनी को इन नियमों के प्रकाशन अथवा उसके पश्चात की तिथि के वित्तीय वर्ष से लागत लेखांकन रिकार्ड रखने होते हैं। ये नियम उस कंपनी पर लागू नहीं होंगे:

(क) जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार स्थापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबंधों के अंतर्गत एक लघु औद्यौगिक उपक्रम के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हों; और

(ख) जिसका पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों अथवा कार्यकलापों के विक्रय अथवा आपूर्ति के जरिए किया गया कुल कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक न हों।

(ii) लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली (सीआरआर) उस तरीके को निर्धारित करता जिसमें लागत रिकार्डों को रखा जाता है ताकि लागत लेखा आधार का उपयोग मुख्यतः उद्योग/कंपनी द्वारा अपने कार्य निष्पादन में सुधार और प्रतिस्पर्धा वातावरण से सामना करने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे मूल्य निर्धारण प्राधिकरणओं, विनियामक निकायों, डब्ल्यूटीओ कार्यान्वयन एवं निगरानी अभिकरणों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राजस्व प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थानों द्वारा अपने–अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सके। अभी तक 44 उद्योगों के संबंध लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है

तालिका 3.4

उद्योग जिनमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत लेखा रिकार्ड नियम अधिसूचित किए गए

क्रम सं.	उद्योगों के नाम
1.	एल्यूमिनियम
2.	बेट्रीज–ड्राईसैल ब्रैट्रीज के अलावा
3.	बीयोरग्स
4.	भारी औषधियां
5.	सीमेंट
6.	रसायन
7.	कास्मेटिक्स एण्ड प्रसाधन
8.	साइकिल
9.	ड्राई सैल बैट्रीज
10.	डाईज
11.	इलेक्ट्रॉनिक केबल्स एण्ड कंडक्टर्स
12.	बिजली के पंखे
13.	बिजली उद्योग
14.	बिजली बल्व
15.	बिजली के मोटरें
16.	इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद
17.	इंजीनियरिंग
18.	उर्वरक
19.	फुटवेयर
20.	सूत्रीकरण
21.	इंडस्ट्रीयल एल्कोहल
22.	औद्योगिक गैसें
23.	कीटनाशक

24.	जूट का सामान
25.	दुग्ध आहार
26.	खनन और मेटालर्जी
27.	मोटर वाहन
28.	नाइलोन
29.	पेपर
30.	पेट्रोलियम उद्योग
31.	प्लांटेशन प्रोडक्टस
32.	पोलिएस्टर
33.	रेयान
34.	रेफ्रीजरेटर्स
35.	रूम एअर कंडीशनर्स
36.	शेविंग सिस्टम्स
37.	सोप्स एण्ड डिटर्जेंट्स
38.	स्टील प्लांट
39.	स्टील ट्यूब एण्ड पाइप्स
40.	चीनी
41.	टैलीकम्यूनिकेशन
42.	टैक्सटाइल्स
43.	टायर्स एण्ड ट्यूब
44.	वनस्पति

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख की उपधारा (1) के तहत योग्य कंपनियों पर समय–समय पर लागत लेखा आदेश जारी किए जाते हैं, ताकि उनकी लागत लेखा की लेखापरीक्षा लागत लेखा रिपोर्ट नियम, 2001 के अनुसरण में किसी प्रैक्टिसरत लागत लेखापरीक्षक द्वारा किया जाए। ऐसे आदेश उन कंपनियों के लिए भी जारी किए जाते है जिनकी उत्पित्त विलयन, विघटन, समामेलन, विक्रय/स्थानांतरण, नाम में परिवर्तन आदि के द्वारा होता है। अप्रैल, 2009 से दिसंबर, 2009 की अवधि के दौरान लागत लेखा परीक्षा आदेश 15 कंपनियों के लिए जारी किए गए थे।

(iv) ई–गवर्नेंस के अंतर्गत एमसीए–21 परियोजना को प्रारंभ किए जाने के परिणाम स्वरूप, लागत लेखा परीक्षा के अंतर्गत कंपनियों ने अप्रैल, 2006 से इलेक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्त हेतु आवेदन दाखिल करना प्रारंभ कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 223(ख)(2) अनुपालन में अप्रैल, 2009 से दिसंबर, 2009 के दौरान लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 1346 आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 1413 आवेदन प्राप्त हुए थे, जुलाई, 2008 में ऑनलाइन अनुमोदन को पूरी तरह प्रचालनरत कर दिया गया है जिससे कार्रवाई करने के समय में कमी आई और इससे सरकार और आवेदक कंपनियों को उल्लेखनीय लाभ हुआ। कंपनियों को यह व्यवस्था उपयोगी लगी क्योंकि अब वे अपने आवेदनों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं और इस कार्यालय से अनुमोदन पत्र का इंतजार किए बिना अनुमोदनों का ऑनलाइन प्रिंट आउट ले सकती हैं। इससे प्रेषण–समय, डाक–प्रभार टिकटों की लागत तथा कंपनियों से पूछताछ के उत्तरों का समय बचा है।

(v) इसी प्रकार अप्रैल, 2006 से कंपनियों/लागत लेखापरीक्षकों ने ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दर्ज करना शुरू कर दिया है। इससे पहले के तरीके से प्राप्त हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों को रखने के लिए रिकार्ड रूम के रूप में अधिक जगह की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे संबंधित कंपनियों की गोपनीय सूचना की समुचित सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। अप्रैल, 2010 से दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान प्राप्त लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या 2572 थी।

(vi) लागत लेखापरीक्षा आदेशों से वर्ष दर वर्ष आधार पर कंपनी के अस्थाई बंदी तथा/या उसके उत्पादक सुविधाओं की बंदी, नगण्य उत्पादन/कार्य आदि के मामलों की छूट दी जाती है। इसी प्रकार लागत लेखा परीक्षा आदेशों की निकासी पर तभी विचार किया जाता है जब स्थाई बंदी या बिक्री या उत्पादक गतिविधियों

का समामेलन/विलयन हो। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान छूट/निकासी के ऐसे 16 मामले प्राप्त हुए एवं उन पर कार्यवाही की गई।

3.15.2. वर्ष अप्रैल, 2010 से दिसंबर, 2010 के दौरान कंपनियों द्वारा दायर किए गए 205 लागत लेखा रिपोर्ट विविध उपयोग कर्ता विभागों जैसे एंटीडंपिंग निदेशालय जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है, टैरिफ आयोग, राष्ट्रीय भेषज मूल्यांकन प्राधिकरण, तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा परस्पर उपयोग किए गए।

3.15.3 इस अवधि के दौरान लागत एवं लेखापरीक्षा शाखा से संबंधित एमसीए के वेबसाइट को पूर्ण रूप से अद्यतन किया गया। उद्योग जिनमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के तहत लागत लेखा रिकार्ड नियम अधिसूचित किए गए।

धारा 108क के अंतर्गत कुछ शेयरों के अधिग्रहण पर प्रतिबंध

3.16.1 इस धारा के अंतर्गत शेयरों के अधिग्रहण/अंतरण अथवा किसी व्यक्ति, किसी निकाय के फर्म ग्रुप कन्स्टीच्यूएंट अथवा निगमित निकायों द्वारा प्रमुख उपक्रमों से संबंधित उसी प्रबंधन के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होती है बशर्ते कि ऐसे अधिग्रहण अथवा शेयरों के अंतरण की परिणामस्वरूप एकाधिकार में कोई वृद्धि हुई हो।

3.16.2 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को इस धारा के तहत 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, तथा 31.03.2010 को कोई भी आवेदन लंबित नहीं थी। किसी आवेदन का निपटान नहीं किया गया और दिनांक 31.12.2010 को 1 (एक) आवेदन पत्र लंबित था।

धारा 205 क(3) के अंतर्गत आरक्षित निधि में से लाभांशों का भुगतान

3.17.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क(3) कंपनी को इस बात के लिए बाध्य करती है कि किसी भी वर्ष में अपर्याप्त लाभ अथवा लाभ न होने के कारण यदि वह कंपनी अपने पूर्व वर्षों में उपार्जित संचित लाभ में, जो उसने रिजर्व में अंतरित कर दिया था, लाभांश की घोषणा करती है, जो (आरक्षित धन लाभांश की घोषणा) नियम, 1975 के अनुसार नहीं है तो इसमें केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

3.17.2 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान इस धारा दो आवेदन प्राप्त हुए थे। जबकि दिनांक 31.03.2010 को कोई आवेदन लंबित नहीं था। कुल 2 आवेदनों में से 1 (एक) आवेदन को निपटा दिया गया था और दिनांक 31.12.2010 तक कोई भी आवेदन विचारार्थ लंबित नहीं था।

लाभांश का भुगतान

3.18.1 31.03.2010 तक धारा 205(2)(ग) के अंतर्गत (i) आईएसएमटी लिमिटेड, (ii)एनसीआईएल, (iii) एयर इंडिया लिमिटेड, (iv) न्यू तिरुपर एरिया डव. लि.,(v) महाराष्ट्र स्टेट कारपोरेशन जेनेरेशन कम्पनी. लिमिटेड और (vi) जीटीएल इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड द्वारा 6 आवेदन किए गए थे जो लंबित हैं। 1.4.2010 से 31.12.2010 तक 6 अन्य आवेदन/मामले प्राप्त हुए (i) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, (ii) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, (iii) वमशी हैडरो इनर्जी प्रा. लि., (iv) रिलायंस इन्फ्राटेल लि., (v) दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. और (vi) मुम्बई मेट्रो ऑन प्रा. लि.।

3.18.2 इन 12 मामलों में से 5 आवेदनों (i) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, (ii) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, (iii) वमशी हैडरो इनर्जी प्रा. लि., (iv) रिलायंस इन्फ्राटेल लि., (v) जीटीएल इन्फ्रा. लि. पर विचार किया गया और इनका निपटान किया गया। शेष 7 आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है और ये 31.12.2010 तक लंबित थे।

अनुषंगी कम्पनियों के लेखे

3.19.1 31.3.2010 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत 178 आवेदन पत्र लंबित थे। 1.4.2010 से 31.12.2010 तक 381 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें अधिनियम की धारा 212(1) के अंतर्गत यथाअपेक्षित कम्पनियों के तुलन पत्रों के साथ उनकी अनुषंगी कम्पनियों के तुलन पत्र आदि लगाने से छूट मांगी गई थी।

3.19.2 इन 559 मामलों में से 548 आवेदन पत्रों पर विचार किया और उनका निपटान कर दिया गया। शेष 11 आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है और ये 31.12.2010 तक लंबित थे।

एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्तिः धारा 294कक

3.20.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 294कक(1) में अपेक्षित है कि जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि जहां किसी श्रेणी की वस्तुओं के लिए मांग वास्तविक रूप में उत्पादन से अधिक है या इस प्रकार की वस्तुओं के लिए बाजार बनाने हेतु एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की सेवाएं अनिवार्य नहीं है, केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि कंपनी द्वारा इस प्रकार उत्पादन के लिए घोषणा में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस समय, एकमात्र विक्रय अभिकर्ता पर उक्त रोक केवल भारी औषध, दवाओं व सूत्रीकरण के बारे में है, जिसे दिनांक 16.07.2010 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 601(अ) के द्वारा 16.07.2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

3.20.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 294कक की उपधारा (2) तथा (3) में कंपनियों से अपेक्षित है। कि एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करे। उपधारा (2) उन कंपनियों पर लागू होती है जिनमें एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं के या तो स्वयं के अथवा अपने संबंधिया के माध्यम से प्रदत्त पूंजी का 5 लाख रुपए अथवा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, की राशि हो। उपधारा (3) उन कंपनियों पर लागू होती है जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए या इससे अधिक हो।

3.20.3 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान उपरोक्त कंपनी अधिनियम की धारा 294कक की उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत 2 (दो) आवेदन पत्र प्राप्त किए हुए जबकि गत वर्ष से 3 आवेदन अग्रेनीत किए गए थे। कुल 5 (पांच) आवेदनों में से 4 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31.12.2010 को 1 (एक) आवेदन लंबित था।

निदेशकों और संबंधियों को ऋण प्रदान करना

3.21.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 के अनुसार सभी पब्लिक कंपनियों या उनकी अनुषंगी कंपनियों को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या उनके निदेशकों, ऐसे निदेशकों के रिश्तेदारों, फर्मों या प्राइट कंपनियां जिनमें ऐसे निदेशक इच्छुक हैं, के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) और (ङ) के क्षेत्र से बाहर रखे गए अन्य निगमित निकाय के दिए गए ऋण के संबंध में कोई ऋण देने या किसी तरह से गारंटी देने या की प्रतिभूति प्रदान करने से पहले केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा।

3.21.2 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार को 36 आवेदन प्राप्त हुए जबकि गत वर्ष से 33 आवेदन अग्रेनीत किए गए थे। कुल 69 आवेदनों में से 53 आवेदनों का निपटा दिया गया था और 31.12.2010 को 16 मामले लंबित थे।

सरकारी कंपनियों का समामेलन

3.22 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तीन नए मामले प्राप्त हुए एवं गत वर्ष से अग्रेनीत 6 मामलों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391.–394 और 396 के अंतर्गत विचार किया गया गत वर्ष से अग्रेनीत 6 मामले। इन 9 मामलों में से 2 मामले निपटा दिए गए तथा 31. 12.2010 को 7 मामले लंबित थे।

शेयर पूंजी में कटौती

3.23 31.3.2010 तक धारा 101 के अंतर्गत (i) मैसर्स दूर्गापुर केमिकल्स लि. और (ii) मैसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन्स लि. द्वारा किए गए 2 आवेदन पत्र/याचिकाएं लंबित थी। 1.4.2010 से 31.12.2010 तक मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग लि. से एक अन्य आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। इन 3 मामलों में से (i) मैसर्स दूर्गापुर केमिकल्स लि., (ii) मैसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन्स लि. के आवेदन पत्रों/याचिकाओं पर विचार करके निपटान कर दिया गया। शेष 1 आवेदन

पत्र/याचिका पर विचार किया जा रहा था और यह 31.12.2010 तक लंबित था।

धारा 81(1) और (3) : शेयरपूंजी के अन्य मुद्दे

3.24.1 31.3.2010 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1) और (3) के अंतर्गत कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं था। 1.4.2010 से 31.12.2010 तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

3.24.2 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 के अंतर्गत जारी दिनांक 2.2.1978 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या–सा.का.नि. 238 को देखते हुए केन्द्र सरकार (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) द्वारा कम्पनी अधि ानियम, 1956 की धारा 101, 391–394 के अंतर्गत प्राप्त निम्नलिखित आवेदन पत्रों पर विचार किया।

परिमान संबंधी विवरण प्रकट करने से छूट

3.25.1 31.3.2010 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(4) के अंतर्गत 56 आवेदन पत्र लंबित थे। 1.4.2010 से 31.12.2010 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI की भाग–II के पैरा 3 और 4 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से छूट मांगने के लिए 89 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

3.25.2 इन 145 मामलों में 138 आवेदन पत्रों पर विचार करके निपटाया गया। 31.12.2010 तक शेष 7 आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा था और ये लंबित थे।

धारा 391–394: समामेलन/विलयन/व्यवस्था के लिए

3.26.1 31.3.2010 तक धारा 391–394 के अंतर्गत (i) मैसर्स एमपी स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट लि. और इसके सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार आदि, (ii) कर्नाटका स्माल इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कारपोरेट लि. और कर्नाटका स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज लि. (iii) यूटीआई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि. के साथ यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. (iv) एसएआईएलआई के साथ महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसेल्ट लि. से प्राप्त 4 आवेदन पत्र/याचिकाएँ लंबित थी। 1.4.2010 से 31.12.2010 तक के दौरान 3 अन्य आवेदन पत्र (i) मैसर्स नाहन फाऊंड्री लि. और एचपी स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपोरेशन लि.(ii) एचपी स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपोरेशन लि. के साथ एचपी स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि. तथा (iii) वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रीकल डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लि. के साथ वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डवलपमेंट कारपोरेशन लि. प्राप्त हुए।

3.26.2 इन 7 मामलों में से (i) कर्नाटका स्माल इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कारपोरेशन लि. का कर्नाटका स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट लि. के साथ (ii) यूटीआई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लि. के साथ यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. के 2 आवेदनों/याचिकाओं पर विचार किया गया एवं निपटाया गया। बाकी 5 याचिकाएं/आवेदन विचाराधीन थे और 31.12.2010 को लंबित थे।

निधि कंपनियां – धारा 620क

3.27.1 इस धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार को कुछ विशेष प्रकार की गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निधि कंपनियां अथवा परस्पर लाभ समितियां, जैसा भी मामला हो, घोषित करने की शक्ति है और वह यह भी निदेश दे सकती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के कुछ उपबंध उक्त निधियों पर लागू नहीं होंगे और/अथवा जैसा भी मामला हो, कुछ अपवादों, संशोधनों तथा अनुकूलन के साथ लागू होंगे। केन्द्र सरकार ने दिनांक 14.07.2009 की अधिसूचना सा.का.नि. 522(अ) के माध्यम से 11 कंपनियों को निधि कंपनी घोषित किया। इससे 31.12.2010 को निधि कंपनियों के रूप में अधिसूचित कंपनियों की कुल संख्या 368 हो गई है। केन्द्र सरकार ने अपने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 881(अ) दिनांक 3.1.2010 द्वारा पूर्व विधि न्याय एवं कम्पनी मामले मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) भारत सरकार के अधिसूचना संख्या–सा.का.नि.555(अ) में निधि कम्पनियों के संबंध में कुछ संशोधन किया है एवं इसे भारत के राजपत्र के भाग–2, धारा–3, उपधारा(1) दिनांक 26.7.2001 में प्रकाशित किया है।

3.27.2 01.04.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा

620क के अंतर्गत 9 आवेदन प्राप्त हुए और 4 आवेदन पिछले वर्ष से अग्रेनीत किया जाए। इन 13 आवेदनों में से 4 आवेदन निपटा दिए गए और 31.12.2010 को 9 आवेदन केन्द्र सरकार के प्रक्रियाधीन जांचाधीन थे।

धारा 297(1) के अंतर्गत संविदाएं प्रदान करने हेतु अनुमोदन की स्वीकृति

3.28.1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित 01.02.1975 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297(1) के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए से अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों हेतु यह अनिवार्य है कि उनके लिए (क) वस्तुओं/सामग्री की बिक्री, क्रय अथवा आपूर्ति या सेवा अथवा वस्तु, सामग्री या सेवा की आपूर्ति अथवा (ख) कंपनी के किसी निदेशक अथवा उसके संबंधी, ऐसी कोई फर्म जिसमें कोई निदेशक अथवा उसका संबंधी भागीदार है, ऐसी कोई फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य अथवा निदेशक है, के शेयर अथवा ऋण पत्रों के अभिदत्त को कम आंकने हेतु की जाने वाली किसी भी संविदा के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति को 19.08.1993 से क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्योयोजित किया गया है। ऐसी विकेन्द्रीकरण तथा शीघ्र निपटान के दोहरे प्रयोजन की पूर्ति हेतु किया गया है।

3.28.2 दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशकों ने पिछले वर्ष से अग्रेनीत किए गए 459 आवेदनों सहित कुल 1,761 आवेदनों पर विचार किया। इनमें से 1,095 आवेदनों का निपटान कर दिया गया और शेष 666 आवेदन 31.12.2010 को क्षेत्रीय निदेशकों के पास लंबित थे।

क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा विचार किए गए तथा निटपाए गए आवेदन

3.29 कंपनी अधिनियम, 1956 की कुछ धाराओं के संबंध में केन्द्र सरकार की शक्तियां तथा कार्य कंपनी रजिस्ट्रारों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। नीचे दी गई तालिका 3.5 में प्रत्योयोजित शक्तियों के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा निपटाए गए आवेदनों को दर्शाया गया है।

तालिका 3.5

कंपनी अधिनिय, 1956 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा विचार किए गए तथा निपटाए गए आवेदन

(कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा प्राप्त आवेदन)

क्र.सं.	विषय	31.3. 2010 को लंबित आवेदन	1.4.2010 से 31.12. 2010 की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन	कुल (कॉलम 3+4)	1.4.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12. 2010 को लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
1.	धारा 21 कंपनी के नाम में परिवर्तन	588	7443	8031	7264	767
2.	धारा 22 कंपनी के नाम में सधार	102	39	141	37	104
4.	धारा 25 लाइसेंस प्रदान किया जाना	118	330	448	333	115
5.	धारा 25(8) समझौता ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद में परिवर्तन	40	74	114	86	28

5.	धारा 31 विशेष संकल्प के माध्यम से अनुच्छेदों में परिवर्तन	230	2115	2345	2239	106
6.	धारा 43क(4)– कतिपय मामलों में प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी होना85	00	00	00	00	00
7.	धारा 224(3) तथा 224(7) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति तथा उन्हें पारिश्रमिक	17	29	46	14	32
8.	धारा 394क क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कंपनियों (सार्वजनिक/निजी कंपनियां) का समामेलन	147	1026	1173	956	217
9	धारा 557(7)(ख) कंपनी के परिसमापन लेखे	903	62	965	53	912
10.	धारा 560 आरओसी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में से कंपनियों का नाम काटना	23276	10536	33812	14227	19585

कंपनियों का परिसमापन (शासकीय समापकों द्वारा प्राप्त आवेदन)

3.30 दिनांक 31.03.2010 को 6757 कंपनियां परिसमापनाधीन थी तथा दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 तक परिसमापन हेतु 261 नये आवेदन प्राप्त किये गये। कुल मिलाकर 794 कंपनियों का अंततः समापन हो गया, दिनांक 31.12.2010 को परिसमापनाधीन कंपनियों की कुल संख्या 6224 थी। दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 तक उनके समापन के तरीके के अनुसार परिसमापन में कंपनियों का ब्यौरा तालिका 3.6 में दिया गया हैं:

तालिका 3.6

दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 के दौरान परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों का उनके बंद किए जाने के तरीके के अनुसार वितरण

क्र. स.	विषय	31.12.2010 को लंबित आवेदन	1.4.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन	कुल (कॉलम 3+4)	1.4.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2010 को लंबित आवेदन
1	2	3	4	5	6	7
1.	सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से समापन	1357	46	1403	177	1226
2.	ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से समापन	100	1	101	0	101
3.	न्यायालय द्वारा समापन	5297	214	5511	615	4896
4.	न्यायालय के पर्यवेक्षण के अनुसार समापन	3	0	3	2	1
5.	**कुल**	**6757**	**261**	**7018**	**794**	**6224**

अध्याय–IV

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 – नीति, प्रावधान और उपलब्धि

4.1.1 नब्बे के दशक की शुरुआत में, जब भारत सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधारों को अपनाया, भारतीय उद्यिमयों को वैश्विक वृहत उद्यमियों के साथ–साथ घरेलू उद्यमियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जिसके कारण एक समस्तरीय आधार और निवेशक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता महसूस की गई। यह महसूस किया गया कि निवर्तमान एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (''एमआरटीपी एक्ट'') भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धा पहलू को पर्याप्त रूप से संभालने में समर्थ नहीं था। इसलिए एक नए अधिनियम की आवश्यकता सामने आई जो एकाधिकार पर नियंत्रण रखकर, कंपनियों को निवेश और विकास करने को प्रोत्साहित करने पर फोकस करें और इस प्रकार बाजार की शक्ति का दुरुपयोग रोकते हुए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे। इस प्रकार एक नए प्रतिस्पर्धा कानून, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को 2003 में अधिनियमित किया गया। 2007 और 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए।

4.1.2 01 सितंबर, 2009 से जब एमआरटीपी अधिनियम को निरसित किया गया, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 का अधिक्रमण कर लिया जो एकाधिकारात्मक, प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार व्यवहारों का नियमन करता है। बाद में, 14 अक्तूबर, 2009 को एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग को भंग कर दिया गया और लंबित जांचों और मामलों को क्रमशः भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के आवश्यक रूप से चार घटक है:

- यह उत्पादक संघ जैसे प्रतिस्पर्धा विरोधी अनुबंधों को प्रतिबंधित करता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को बाधित करते है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण को सीमित करके और कीमतों को सामान्य से उच्च दर से निर्धारित करने के तरीकों से उपभोक्ता हानि के कारण बनते हैं;
- यह प्रभावकारी फर्म जो अपनी प्रभावकारी स्थिति के माध्यम से बाजारों को बाधित कर सकती है और अनुचित व विभेदकारी स्थितियों को निर्मित कर सकती है, के अनुचित व्यवहार पर प्रतिबंध लगाता है;
- यह प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों की सुरक्षा के उद्देश्य से बड़े निगमों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है
- अनिवार्य प्रतिस्पर्धा का समर्थन

4.1.3 सभी चार घटक अंतर्संबंधित है और एक एकात्मक समग्र का निर्माण करते है। आरंभिक तीन आवश्यक रूप से प्रवर्तन से संबंधित है जबकि अंतिम अधिनियम की धारा 49 में प्रतिष्ठापित प्रतिस्पर्धा के प्रोत्साहन से संबंधित आदेश है।

4.1.4 भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए स्थापित किया गया था और जिसे मार्च 2009 में विधिवत संस्थापित किया गया।

4.1.5 भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी निर्देशों अथवा किए गए निर्णयों अथवा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान हेतु भारत सरकार ने 19 अक्तूबर, 2009 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एक प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना की है।

4.1.6 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। मई, 2009

में अधिनियम की धारा 3 और 4 (प्रतिस्पर्धा विरोधी अनुबंधों और प्रभावित के दुरुपयोग से संबंधित) को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रवर्तनकारी शक्तियों के साथ–साथ प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। भारतीय विलय नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित धारा 5 और 6 जो नियत टर्नओवर/संपित्त आधारित प्रवेश सीमा के साथ भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा रखती हैं, को अभी पूर्णतः प्रभावी होना शेष है।

4.1.7 भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की राय में यदि एक विलय अथवा समामेलन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर 'पर्याप्त नकारात्मक प्रभाव' है अथवा हो सकने की संभावना है तो आयोग को विलयों अथवा सम्मेलनों को विनियमित करने और विलयों अथवा सम्मेलनों को रद्द करने की शक्ति है। भारत में प्रतिस्पर्धा पर 'पर्याप्त नकारात्मक प्रभाव' वाले सम्मेलन का विनिश्चय करने के लिए प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग से विलय पूर्व स्वीकृति का आदेश देता है। सम्मेलनों में अधिग्रहण का नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार अथवा संपत्ति और विलय एकीकरण भी सम्मिलित हैं।

4.1.8 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है जिसके नीचे के विलय आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। अधिनियम में भारत में कार्यरत उद्यम के लिए दी गई न्यूनतम सीमा 1,000 करोड़ रुपये की संयुक्त परिसम्पत्ति या 3,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर है। भारत एवं भारत के बाहर कार्यरत उद्यमों के लिए भारत में न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के कारोबार सहित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संयुक्त परिसम्पत्तियां या भारत में न्यूनतम 1500 करोड़ रुपये के साथ 1500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संयुक्त टर्नओवर है। भारत में कार्यरत समूह के लिए यह सीमा 4,000 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां या 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। भारत एवं भारत के बाहर कार्यरत समूह के लिए न्यूनतम सीमा भारत में न्यूनतम 500 करोड़ रुपये सहित 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर या भारत में न्यूनतम 1500 करोड़ रुपये सहित 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टर्नओवर है। भारतीय समूहों के लिए यह सीमा 6000 करोड़ रुपए परिसंपत्तियां अथवा भारत में 1500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार और न्यूनतम 600 करोड़ के कारोबार वाले वैयक्तिक विलय भागीदारों के साथ 24000 करोड़ रुपए के कारोबार की है। सेबी की अधिग्रहण संहिता के साथ–साथ भारत के प्रतिस्पर्धा नियमों के अनुसार किसी कंपनी के 15 प्रतिशत शेयरों (नियंत्रणकारी शेयरों को रखे बिना) के अधिग्रहण की अनुमति है। 5 प्रतिशत तक के आरंभिक अधिग्रहण के मानकों को भी लागू किया गया है।

4.1.9 वर्ष 2010 में अधिनियम के प्रवर्तन प्रावधान प्रभावकारी ढंग से लागू हुए। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और सीओएमपीएटी के न्यायाधिकार क्षेत्र, शक्तियों और जांच में पक्षों की बाध्यताओं इत्यादि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामलों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय और बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया।

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

4.2.1 आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैः

(क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना।

(ख) बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और उसको प्रोत्साहन

(ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण।

(घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

4.2.2 आयोग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए उपभोक्ताओं के लिए बाजारों को सुचारु रूप से चलाना है। आयोग अपने उद्देश्यों के अनुसरण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए हैः

- तीव्रतर व समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था के विकास हेतु देश में आर्थिक गतिविधियों में उचित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना;
- आर्थिक स्रोतों को कुशलतम उपयोग को प्रभावशील बनाने हेतु प्रतिस्पर्धा नीतियों को क्रियान्वित करना;

- प्रतिस्पर्धा कानून के अनुरूप क्षेत्रगत विनियामकीय कानूनों के साथ प्रभावी संबंधों और अंतर क्रियाओं को विकसित और पोषित करना;
- भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा संस्कृति को स्थापित एवं पोषित करने के लिए सभी पणधारियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के लाभों की सूचना प्रसारित करना और पक्षसमर्थन को प्रभावी तौर पर लागू करना।

आयोग का संगठन

4.2.3 प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और छः सदस्य होते हैं और यह 1 मार्च, 2009 से क्रियाशील हो गया है। विवरण निम्नलिखित अनुसार हैः

श्री धनेन्द्र कुमार	–अध्यक्ष
श्री एच.सी. गुप्ता	–सदस्य
श्री आर. प्रसाद	–सदस्य
श्री पी.एन. पाराशर	–सदस्य
श्रीमती गीता गौरी	–सदस्य
श्री अनुराग गोयल	–सदस्य
श्री एम.एल. तायल	–सदस्य

4.2.4 आयोग द्वारा 01.04.2009 से 31.12.2010 और 01.04.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान संपन्न करवाई गई विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

(क) प्रवर्तन गतिविधियां

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान आयोग के समक्ष आए मामलों का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका 4.1

वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग के समक्ष मामले

क्र. सं.	विवरण	धारा 19 के अंतर्गत प्राप्त सूचना	एमआरटीपीसी के स्थानांतरण पर प्राप्त मामले	स्वतः संज्ञान	केन्द्र सरकार से प्राप्त संदर्भ	राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ	स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त संदर्भ	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i.	वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii.	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	32	50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
iii.	मामलों की कुल संख्या	32	50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
iv.	मामलों की संख्या जिनमें प्रथमदृष्टया उल्लंघन सूचित किए गए	17	07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
v.	मामलों की संख्या जिनमें प्रथमदृष्टया उल्लंघन सूचित नहीं किए गए	05	02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
vi.	जांच के लिए आदेशित प्रथमदृष्टया मामलों पर प्राप्त जांच रिपोर्ट	06	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
vii.	की गई जाचें	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तालिका 4.2

वर्ष 2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान आयोग के समक्ष मामले

क्र. सं.	विवरण	धारा 19 के अंतर्गत प्राप्त सूचना	एमआरटीपीसी के स्थानांतरण पर प्राप्त मामले	स्वतः संज्ञान	केन्द्र सरकार से प्राप्त संदर्भ	राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ	स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त संदर्भ	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i.	वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या*	32	50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	82
ii.	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या * *	58	शून्य	03	शून्य	01	शून्य	62
iii.	मामलों की कुल संख्या	90	50	03	शून्य	01	शून्य	144
iv.	मामलों की संख्या जिनमें प्रथमदृष्टया उल्लंघन सूचित किए गए	62	29	03	शून्य	शून्य	शून्य	94
v.	मामलों की संख्या जिनमें प्रथमदृष्टया उल्लंघन सूचित नहीं किए गए	30	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50
vi.	जांच के लिए आदेशित प्रथमदृष्टया मामलों पर प्राप्त जांच रिपोर्ट	40	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	63
vii.	की गई जाचें#	22	6	03	शून्य	शून्य	शून्य	31

* 1.4.2010 के पहले की स्थिति * * 1.4.2010 से 31.12.2010 तक की स्थिति

महानिदेशक से जांच प्रतिवेदन प्रतिक्षित है

ख) नियम बनाना

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए और भारत में राजपत्र के असाधारण अंक के भाग–III अनुभाग–4 में प्रकाशित किए गए।

क्र.सं.	नियम	जारी होने की तिथि
1.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और पेशेवरों के अनुबंध के लिए प्रक्रिया) नियम, 2009	15 मई, 2009
2.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (व्यवसाय के लेन–देने के लिए बैठक) नियम, 2009	21 मई, 2009
3.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) नियम, 2009	21 मई. 2009
4.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कमतर दंड) नियम, 2009	13 अगस्त, 2009
5.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन नियम, 2009	20 अगस्त, 2009
6.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का निर्धारण)	20 अगस्त, 2009
7.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियमन, 2010	20, अक्टूबर, 2010

ग) अनुसंधान अध्ययन

क्षमता निर्माण के भाग के रुप में और भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य क्षेत्रों के ढांचे की पूरी जानकारी हासिल करने के उद्देश्य के साथ आयोग ने वर्ष 2003–04 से प्रतिस्पर्धा नीति, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा विधि के क्षेत्रों अनुसंधान परियोजनाएं/अध्ययन प्रारंभ किया है। अब तक 18 अध्ययन पूरे हो चुके है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच परिचालित किया जा चुका है तथा आयोग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित बाजार अध्ययन किए गए।

- कलोरस लॉ एसोसिएट, नई दिल्ली के सहयोग से 'अवसंरचना क्षेत्र में रियायत करार की प्रतिस्पर्धा चिन्ताएं' विषय पर अध्ययन।
- 'प्रतिस्पर्धा विधि और औषधि उद्योग, विषय पर व्यापार एवं विकास केन्द्र नई दिल्ली के सहयोग से अध्ययन।

इसके अतिरिक्त विषय जैसे टायर उद्योग सीमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग इत्यादि पर भी आन्तरिक अध्ययन किए गए।

घ) प्रतिस्पर्धा समर्थन

प्रतिस्पर्धा विषयों पर जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोग ने अन्तःक्रिया बैठकों कार्यशालाओं और सम्मेलनों इत्यादि का आयोजन विभिन्न नियामक निकायों नीति निर्माताओं, व्यापार संगठनों उपभोक्ता संघों तथा पब्लिक के साथ मिलकर किया है। वर्ष 2009–10 में सीसीई द्व ारा न्यायपालिका के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के तत्वाधान में और अन्य उद्योग और व्यापार निकायों, राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वर्तमान वर्ष के दौरान (31.12.2010 तक) सीसीई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 49 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों द्वारा निम्नलिखित पहल की:

(i) कंन्ज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (केटस) के साथ मिलकर 20 अक्तूबर 2010 को प्रतिस्पर्धा पद्धित उपभोक्ता हितार्थ विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देशभर के उपभोक्ता संस्थानों के लगभग 100 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

(ii) लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (इस्कोप) के सहयोग से 8 दिसम्बर 2010 को और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के 90 उच्च अधिकारी उपस्थित थे। लोक प्रापण प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों के 90 उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

(iii) आयोग के सदस्यों ने विभिन्न पणधारकों के लिए प्रतिस्पर्धा विषयों पर कई सम्मेलनों/कार्यशालाओं को संबोधित भी किया।

(iv) हिन्दी भाषा में एक प्रतिस्पर्धा समर्थक पुस्तिका जिसमें सीसीई की भूमिका और प्रतिस्पर्धा विषयों पर विस्तृत सूचना शामिल थी, उसे जनता में प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जागरुकता फैलाने के लिए जारी किया गया। क्षेत्रीय पहुंच प्राप्त करने के लिए समर्थक पुस्तिकाओं का अन्य भारतीय देशी भाषाओं में अनुवाद करने के प्रयास किए जा रहे है।

ङ) इटर्नशिप

आयोग विद्यार्थी समुदाय के बीच अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के भाग के तौर पर उनको इन्टर्नशिप सुविधा प्रदान करता है। आयोग में विभिन्न प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों पर 20 विद्यार्थी (2009–10 में) और 20 विद्यार्थी (31.12.2010 तक) ने इन्टर्नशिप की है।

च) क्षमता निर्माण

(क) प्रवेशन कार्यक्रमः वर्ष 2009–10 के दौरान विभिन्न प्रवेशन और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

आंतरिक और बाह्य एजेंसियों जैसे यूरोपियन यूनियन का डीजी कैम्प, अमेरिका के डीओजी/एफटीसी इत्यादि के माध्यम से किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान (31.12.2010 तक) दो प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आंतरिक रूप से आयोजन किया गया जिसमें 44 अधिकारी उपस्थित थे।

(ख) कार्यशाला एवं प्रशिक्षण: वर्ष 2009–10 में एकाधिकार व्यापार विरोधी संघ और संयोजन मुद्दों पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन यूरोपियन यूनियन के सहयोग से आयोग के अधिकारियों के लिए किया गया था।

मौजूदा वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया:

i) **विलयन प्रक्रिया की समीक्षा:** एक व्यवहारिक मार्गदर्शन पर एक प्रशिक्षण का डीजी प्रतिस्पर्धा, यूरोपियन यूनियन द्वारा किया गया जिसमें कुल 20 अधिकारियों ने भाग लिया।

ii) **'विलयन जांच: योजना एवं आयोजन'** पर एक प्रशिक्षण का आयोजन यूएस फैडरल ट्रेड कमीशन द्वारा किया गया जिसमें कुल 21 अधिकारियों ने भाग लिया।

iii) **'प्रभुत्व जांच का दुरुपयोग: योजना एवं आयोजन'** पर एक प्रशिक्षण का आयोजन यूएस फैडरल ट्रेड कमीशन द्वारा किया गया जिसमें कुल 16 अधिकारियों ने भाग लिया।

iv) **'समानांतर अवरोध: जांच योजना एवं आयोजन'** पर एक प्रशिक्षण का आयोजन यूएस फैडरल ट्रेड कमीशन द्वारा किया गया जिसमें कुल 18 अधिकारियों ने भाग लिया।

v) सिद्धांत, समस्याएं और सीखे गए सबक पर एक प्रशिक्षण का आयोजन अमेरिकन बार एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन द्वारा किया गया जिसमें कुल 29 अधिकारियों ने भाग लिया।

vi) चुनौतियों का समाधान : एक अतंर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर एक कार्यशाला का आयोजन ओईसीडी द्वारा किया गया जिसमें कुल 40 अधिकारियों ने भाग लिया।

vii) सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 49 अधिकारियों ने भाग लिया।

छ) भर्ती

वर्ष 2009–10 में 14 पेशेवर कर्मचारियों और 23 सहायक कर्मचारियों की तदर्थ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की गई। आयोग में छह पेशेवर और पांच सहायक कर्मचारियों की नियमित प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की गई।

वर्ष 2010–11 में (31.12.2010 तक) 18 अधिकारी पेशेवर श्रेणी और आठ अधिकारी सहायक श्रेणी में भर्ती किए गए हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से 24 पेशेवर से 14 सहायक कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है। महानिदेशक कार्यालय, सीसीआई, महानिदेशक के कार्यालय में चार अन्य पेशेवरों और छह सहायक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की गई है।

विधि, अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन के क्षेत्रों से 9 विशेषज्ञ एवं पेशेवरों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के निबंधन के अंतर्गत अनुबंधित किया गया।

ज) आयोग को निधियों का आबंटन

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 51(1) के निबंधन के अनुसार, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा निधि) लेखा की स्थापना की गई है जिसमें भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों, फीस और ब्याज को जमा किया जाता है। इस निधि से आयोग के दो सदस्यों वाली 'निधि प्रशासन समिति' के अनुमोदन से व्यय किया जाता है। वर्ष 2009–10 के लिए आयोग के लेखों को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखों के वार्षिक

विवरण से) नियम, 2009 के अनुसार तैयार किया गया था और संसद के दोनों सदनों के संसद पटल पर रख दिया गया था।

वर्ष 2009–10 और वर्ष 2010–11 के लिए सीसीआई का बजट और वास्तविक व्यय इस प्रकार हैं: (31.12.2010 तक)

सीसीआई का बजट और वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनुदान	वास्तविक	अग्रणी शेष
2009–10	20.00	19.00	16.00	13.42	2.58
2010–11	44.03	34.38	27.34	23.19	

प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (अधिकरण)

4.3.1 प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष माननीय डा. न्यायाधीश अरिजीत पसायत, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं और श्री राहुल सरीन, भारत सरकार के पूर्व सचिव और श्रीमती प्रवीन त्रिपाठी, भूतपूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा (सीएंडएजी) इसके दो सदस्य हैं।

4.3.2 प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण में निम्नलिखित शक्तियां निहित हैं :

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किसी भी दिशा–निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई एवं निपटान।
- आयोग की जांच से पता चले किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे का निर्णय करना या आयोग की जांच के विरूद्ध अपील पर अपीलीय अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों और इस अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करना।

4.3.3 पूर्व एमआरटीपी आयोग के विघटन के पश्चात् भारत सरकार ने दिनांक 14.10.2010 के अध्यादेश के द्व ारा कैमपैट को इस समय के एमआरटीपी आयोग द्वारा देखे जा रहे लंबित मामलों की सुनवाई और निपटान करने की शक्तियों प्रदान की है। लगभग 185 लंबित मामलों को इस अधिकरण को हस्तांतरित किया गया था जिसमें से इस अधिकरण ने दिसम्बर, 2010 के अंत तक 736 मामलों का निपटान कर दिया है।

4.3.4 इस अधिकरण की स्थापना के समय से अब तक इसे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय के विरूद्ध 23 अपील (वर्ष 2009 में एक और वर्ष 2010 में 22 अपील) प्राप्त हुई है। निर्णय के विरूद्ध दायर की गई इन अपीलों में से अधिकरण द्वारा चार अपीलों का निपटान कर दिया है और शेष अपीलें न्यायाधीन है।

अध्याय–V

संबद्ध निकाय

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

5.1.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय को नियंत्रित करने तथा उक्त उद्देश्य से एक संस्थान स्थापित करने के लिए 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित किया गया था। तदनुसार, इसी उद्देश्य के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना जुलाई, 1949 में की गई।

5.1.2 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का मुख्य उद्देश्य, सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा लेने और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, व्यवसाय की प्रेक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, व्यवसाय के विकास के लिए गतिविधियां जारी रखना और सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानक का विनियमन एवं अनुरक्षण करना है। संस्थान संपूर्ण देश में परीक्षा आयोजित करता है, डाक/मौखिक शिक्षण मुहैया कराता है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि विद्यार्थी इस व्यवसाय के लिए योग्य हो सकें।

5.1.3 संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का निपटान करती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 24 से अनधिक व्यक्ति होते हैं और 6 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

5.2.1 लागत लेखा के व्यवसाय को विनियमित करने और उक्त उद्देश्य हेतु लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान स्थापित करने के लिए 1959 में लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस नियम में उपबंधों के अनुसार भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान मई, 1959 में स्थापित किया गया था।

5.2.2 लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपी गयी है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की गई है। परिषद के संघटन में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत 4 से अनधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है।

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

5.3.1 कंपनी सचिव अधिनियम, कंपनी सचिव के व्यवसाय को विनियमित तथा विकसित करने और उक्त उद्देश्य से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को स्थापित करने के लिए 1980 में बनाया गया था। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना जनवरी, 1981 में की गई थी।

5.3.2 कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का कार्य भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया गया था, में निहित है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 व्यक्तियों से कम नहीं तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित 4 से अनधिक व्यक्ति होते हैं। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है।

व्यावसायिक सेवाएं

5.4 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत एवं संकर्म लेखा संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बदलते आर्थिक वातावरण में व्यवसायी अपना कार्य लगन से करते हैं, और उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हैं, संसद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006, लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित किया। कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुरूप, 01.04.2010 से 31.12.2010 के दौरान कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2010 बनाया गया है। आगे, इन तीन संस्थानों के व्यावसायिकों सीमित देयता भागीदारी फर्म बनाने की अनुमति देने हेतु सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करने हेतु इन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित हैं।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

5.5 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार 14 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। जब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को कार्यात्मक बनाने की कार्रवाई शुरू की गई, प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कानून अड़चने पैदा हो गई। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में दायर रिट याचिका पर जनवरी, 2005 में अपना निर्णय दे दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन के प्रस्ताव तैयार किए गए और संसद के समक्ष रखे गए, जिसे आखिरकार संसद ने मानसून सत्र 2007 में अनुमोदित कर दिया। उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का पूरी तरह गठन कर दिया गया है और एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम में प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना की कार्रवाई शुरू की गई। उक्त संशोधित अधिनियम के तहत अनेक नियम बनाए गए। विधिवत रूप से गठित प्रतिस्पर्धा आयोग ने विनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

मूल्यांकन व्यावसायिक विधेयक 20**

5.6 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 8 जून, 2007 को आम जनता से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए, मूल्यांकन व्यावसायिकों को विनियमित करने के लिए उपबंधों का प्रस्ताव करते हुए भारतीय मूल्यांकन व्यावसायिक परिषद अधिनियम, 20** पर एक संकल्पना प्रपत्र को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। प्राप्त टिप्पणियों को व्यावसायिकों की समिति को सौंपे दिया गया और उनकी सिफारिशों के आधार पर एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया। मसौदा विधेयक को मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समूह को भेज दिया गया है जो सरकार को मूल्यांकन व्यावसायिकों को विनियमन हेतु सांविधिक ढांचे के बारे में सलाह देगा। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और मंत्रालय के पास जांचाधीन है।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

5.7 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में अधिनियमित हुआ जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण की व्यवस्था करता है, जिससे ऐसी सोसायटियों के वैधानिक स्तर को सुधारा जा सके। इस अधिनियम में साहित्य, विज्ञान, या ललितकला या उपयोगी ज्ञान में प्रसार या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित सोसायटियों को अपने संस्थान के संगम ज्ञापन को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। अधिकतर राज्यों ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन कर लिए हैं। इन संशोधनों में संबंधित राज्यों में सोसायटी रजिस्ट्रारों द्वारा इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए सोसायटी पंजीकरण भी शामिल हैं।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

5.8 भारतीय भागीदारी अधिनियम, भागीदारों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के उद्देश्य से 1932 में अधिनियमित किया गया था जिसमें इसके साथ–साथ भागीदारी की प्रकृति, भागीदारों के एक–दूसरे के साथ तथा अन्य पक्ष के साथ आपसी संबंध भी शामिल हैं। अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रारों के साथ फर्मों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए संबंधित आयकर अधिकारियों के पास पंजीकरण करने हेतु अलग से उपबंध हैं।

कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

5.9 कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 में अधिनियमित किया गया था। कंपनी अधिनियम या अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के या कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के तहत कोई कंपनी सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में दान कर सकती है। केन्द्र सरकार ने गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक निधि को दान प्राप्त करने के लिए पात्र निधि अनुमोदित किया है।

अध्याय–VI

कारपोरेट क्षेत्र का सांख्यिकीय पुनरावलोकन

कार्यरत कंपनियां

6.1 दिनांक 31.12.2009 को देश में शेयरों द्वारा सीमित 8,72,740 कंपनियां कार्यरत थीं। इसमें 8,71,125 गैर–सरकारी कंपनियां और 1,615 सरकारी कंपनियां थीं। शेयरों द्वारा सीमित 8,72,740 कार्यरत कंपनियों में से 81,920 कंपनियां सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां और 7,90,814 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थीं। दिनांक 31 दिसंबर, 2010 को शेयर द्वारा सीमित कार्यरत कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण–I पर है।

नए पंजीकरण

6.2.1 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 47,161.75 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ शेयरों द्वारा सीमित 64,990 कंपनियां पंजीकृत थीं। इनमें से 23,697.22 करोड़ रुपए प्राधिकृत पूंजी वाली 36 सरकारी कंपनियां थी तथा 64,954 गैर–सरकारी कंपनियां थी जिनका प्राधिकृत पूंजी 23,464.53 करोड़ रुपए थी।

6.2.2 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 के दौरान पंजीकृत की गई शेयरों द्वारा सीमित सरकारी कंपनियों में 23,649.20 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी वाली 28 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां तथा 48.02 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी वाली 8 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी। दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान शेयरों द्वारा सीमित गैर–सरकारी कंपनियों में से 2051 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां तथा 62903 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां पंजीकृत थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी क्रमशः 7,257.28 करोड़ रुपए तथा 16,207.25 करोड़ रुपए थी।

परिसमापन

6.3 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान शेयरों द्वारा सीमित गैर–सरकारी कंपनियों में से कुल 10,185 कंपनियां परिसमापन में चली गई थी या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के तहत सूची से हटा दी गई थी।

विदेशी कंपनियां

6.4 दिनांक 31.03.2010 को देश में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के तहत परिभाषित 3,050 विदेशी कंपनियां थीं। दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान अन्य 146 विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यवसाय स्थापित किया तथा 30 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना मुख्य व्यवसाय का स्थान बंद कर दिया था। अतः दिनांक 31.12.2010 को भारत में कुल 3,166 विदेशी कंपनियां थी।

6.5 अतः उक्त दी गई सांख्यिकी सूचनाएं एमसीए–21 प्रणाली के अंतर्गत तैयार की गई है।

विवरण–I

31 दिसंबर, 2010 को कार्यरत शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां

(राज्य–वार ब्यौरा)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पब्लिक	प्राइवेट	कुल
		संख्या	संख्या	संख्या
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	6,488	56,971	63,459
2	असम	716	5,630	6,346
3	बिहार	1,211	8,868	10,079
4	छत्तीसगढ़	397	3,901	4,280
5	गुजरात	5,621	44,956	50,877
6	हरियाणा	1,060	10,223	11,283
7	हिमाचल प्रदेश	318	2,474	2,792
8	जम्मू एवं कश्मीर	246	2,295	2,541
9	झारखंड	310	4,377	4,687
10	कर्नाटक	3,089	42,669	45,758
11	केरल	1,474	18,114	19,588
12	मध्य प्रदेश	1,429	12,966	14,395
13	महाराष्ट्र	15,895	1,67,159	1,83,054
14	मणिपुर	43	151	194
15	मेघालय	131	545	676
16	मिजोरम	10	59	59
17	नागालैंड	24	234	258
18	उड़ीसा	930	8,135	9,065
19	पंजाब	2,211	14,376	16,587
20	राजस्थान	1,801	25,706	27,507
21	तमिलनाडु	7,149	62,892	70,041
22	त्रिपुरा	29	157	186
23	उत्तर प्रदेश	4,191	24,407	28,598
24	उत्तराखंड	255	1,975	2,230
25	पश्चिम बंगाल	8,939	97,019	105,958
26	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	144	148
27	अरुणाचल प्रदेश	26	282	308
28	चंडीगढ़	1,174	6,368	7,542
29	दादर एवं नगर हवेली	62	227	289
30	दमन एवं दीव	50	169	219
31	दिल्ली	16,006	1,60891	1,76,897
32	गोवा	251	5,135	5,386
33	लक्षद्वीप	0	11	11
34	पुदुचेरी	104	1,338	1,442
	कुल	**81,926**	**7,90814**	**8,72,740**

अध्याय–VII

परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

7.1 अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में एक उत्तरदायी, पारदर्शी तथा गतिशील वातावरण उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं तथा तंत्र स्थापित किए हैं।

ई–गवर्नेंस

7.2.1 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत भारत सरकार के मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित एमसीए–21 ई–गवर्नेंस परियोजना तत्काल एवं दक्ष सेवा सुपर्दगी पर केन्द्रित है। यह परियोजना सभी 20 रजिस्ट्री स्थानों में पूरी तरह काम कर रही है। वर्ष 2009 के दौरान एमसीए–21 पोर्टल में ई–स्टैम्पिंग की शुरुआत की गई है। इसने पणधारकों द्वारा एमसीए–21 पोर्टल पर ही स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी को समर्थ बनाया है। स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से संग्रहित राजस्व को सप्ताह के अंत में भारतीय रिवर्ज बैंक को प्रेषित कर दिया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक उसे एक दिन के अंदर संबंधित राज्य सरकार को प्रेषित कर देता है।

7.2.2 व्यस्ततम् फाइलिंग अवधि के दौरान फाइलिंग को सरल और कारगर करने हेतु इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं।

1. एफओ (फ्रंट कार्यालय) बीएल (व्यवसाय स्तर) हेतु सर्वर की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई (एफओ के लिए 7 एवं बीएल के लिए 7)
2. व्यस्ततम फाइलिंग अवधि में गेटवे स्तर के निष्पादन में सुधार हेतु एसओएफपी संदेश के पे–लोड भाग को नजरअंदाज कर सिर्फ संदेश भाग के ही गेटवे से गुजरने की अनुमति दी गई।
3. आगामिक भार में एकाएक तेजी होने की स्थिति में समकालिक प्रयोगकर्ताओं की संख्या की सीमा निर्धारित करने हेतु तंत्र को समनुरुप बनाया गया है।
4. व्यस्ततम फाइलिंग अवधि के दौरान सितंबर, अक्तूबर, एवं नवंबर, 2010 के अंतिम 10 दिनों में व्यस्ततम् घंटों में वीपीडी को रोक दिया गया था।
5. सर्वर अवसंरचना, लाइन सर्वर, सीपीयू प्रयोग, आरएएच प्रयोग, एचटीटीपी सेवाएं, जेवीएम प्रकियाएं एवं लोग इन संयोजनों के लगातार मॉनीटरिंग हेतु शास्त्री भवन में एक डैशबोर्ड लगाया गया था। निष्पादन घास एवं अत्यधिक प्रयोगकर्ता संख्या के संबंध में पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए डैशबोर्ड के आंकड़ों का लगातार विश्लेषण किया गया ताकि सुधारक कार्यवाही की जा सके।
6. डाटाबेस (डीबी 2) एवं डब्ल्यूएएस (वेब उपयोग सर्वर) में सुधार किए गए ताकि तंत्र के निष्पादन में सुधार हो।
7. रुक–रुक कर हो ई–फाइलिंग के संबंध में मीडिया एवं कार्यशील वित्तीय संस्थानों के माध्यम से हितबद्धों को मार्गदर्शन जारी किए गए।

निम्नलिखित परिचालन सांख्यिकी तंत्र के स्थायित्व, फाइलिंग की बढ़ी हुई मात्रा एवं अनुपालन में सुधार दर्शाता हैः

31 दिसंबर, 2010 को फाइलिंग की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	2	3
1.	प्रतिदिन औसतन पोर्टल उपयोग	101.46 लाख

2.	31.12.2010 तक प्रणाली के माध्यम से कुल फाइलिंग	119.57 लाख
3.	एक दिन में फाइल किए गए प्रपत्रों की अधिकतम संख्या (29.10.2010)	70034
4.	ऑनलाइन निबंधित कंपनियों की संख्या	307556
5	आज तक जारी कुल डीआईएन संख्या	19.19 लाख
6	ऑनलाइन देखे गए कंपनी रिकार्ड	15.51 लाख
7	दायर किए गए तुलन–पत्रों की संख्या	20.22 लाख
8	दायर किए गए वार्षिक विवरणियों की संख्या	20.24 लाख
9.	दिनांक 31.12.2010 तक वसूली गई ई–स्टाम्प राशि	18884.78 लाख
10.	वर्ष के दौरान संशोधित ई–प्रपत्रों की संख्या	सभी हिन्दी प्रपत्रों का संशोधन किया गया तथा प्रपत्र सीएलएसएस, 68, ईईएस, 2011, सीएसआर प्रारंभ किए गए।

7.2.3 परियोजना के कार्यान्वयन से सेवा सुपुर्दगी के समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हैं:

एमसीए–21 के तहत सेवा आपूर्ति में दक्षता

सेवा मापन		
सेवा की किस्म	एमसीए–21 से पहले	एमसीए–21 के बाद
नाम अनुमोदन	7 दिन	1–2 दिन
कंपनी समावेश	15 दिन	1–3 दिन
नाम परिवर्तन	15 दिन	3 दिन
प्रभार सृजन/संशोधन	10–15 दिन	2 दिन
प्रमाणित प्रतिलिपि	10 दिन	2 दिन

अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण

सेवा की किस्म	एमसीए–21 से पहले	एमसीए–21 के बाद
वार्षिक विवरणी	60 दिन	तत्काल
तुलन–पत्र	60 दिन	तत्काल
निदेशकों में परिवर्तन	60 दिन	1–3 दिन
पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन	60 दिन	1–3 दिन
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	60 दिन	1–3 दिन
सार्वजनिक दस्तावेजों का निरीक्षण	प्रत्यक्ष प्रस्तुत होकर	ऑनलाइन

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.3.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विदेशी प्राधिकरणों/संगठनों/संस्थानों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श शामिल है जो भारत के व्यावसायिक वातावरण के वैश्विक वातावरण के साथ बढ़ते संबंध के लिए आवश्यक है तथा यह व्यावसायिकों एवं मंत्रालय द्वारा दुनिया में होने वाले विकास के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है। साथ ही यह कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं लेखांकन व्यवसाय के विकास के क्षेत्र में मंत्रालय की पहलों के प्रचार–प्रसार के लिए भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे जार्ज वाशिंगटन यूनीवर्सिटी लॉ स्कूल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी), भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए), अमेरिका में यूएस इंडिया बिजनेस काऊंसिल (यूएसआईवीसी), ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स (जीआरआई) एवं कोलंबो में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (आईसीएमएएसएल), यूरोपीयन एकेडमी ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी (ईएबीआईएस), रूस का फेडरल एन्टीमोनोपोली सर्विस (एफएएस), बैल्जियम में विश्व बैंक संस्थान, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) आदि के साथ मंत्रालय द्वारा विचार–विमर्श भी किया गया।

7.3.2 श्री आर. बंद्योपाध्याय, सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने जार्ज वाशिंगटन यूनीवर्सिटी लॉ स्कूल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएपएसी), भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) एवं अमेरिका में यूएस इंडिया बिजनेस काऊंसिल (यूएसआईवीसी) द्वारा अमेरिका में 15 से 19 मार्च, 2010 को आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

7.3.3 श्री सलमान खुर्शीद, माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री एवं श्री आर. बंद्योपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों के साथ 2 से 5 अप्रैल 2010 के दौरान दुबई का दौरा किया। माननीय मंत्री एवं सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल के दौरे का मुख्य उद्देश्य दुबई में विभिन्न हितबद्धों के साथ आमने–सामने विचार–विमर्श करना था ताकि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांड को प्रोत्साहित किया जा सके मध्य पूर्व एवं दुबई ने जिसके काफी सदस्य है, अकेले आबू धाबी में ही इसके 3,500 सदस्य है।

7.3.4 श्री आर. बंद्योपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 24–31 मई, 2010 के दौरान नीदरलैंड एवं जर्मनी का दौरा किया। दौरे का उद्देश्य नीदरलैंड के साथ संयुक्त कार्य समूह की स्थापना हेतु द्विपक्षीय सहमति को अंतिम रूप दिए जाने, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिसिएटिव्स (जीआरआई) पर वार्षिक सम्मेलन, जो कि सीएसआर मुद्दों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों में से एक है, सीजी/सीएसआर पर भारत–जर्मन टास्कफोर्स की स्थापना हेतु व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए द्विपक्षीय विचार–विमर्श के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार लाना है। आईआईसीए सीएसआर संबंधित मुद्दों मंत्रालय को नीति गत परामर्श समर्थन उपलब्ध कराता है। भारत के कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं नीदरलैंड के आर्थिक कार्य मंत्रालय के बीच सहयोग मजबूत करने हेतु दोनों देश कारपोरेट शासन एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में आशय–पत्र पर हस्ताक्षर करने का विचार कर रहे है।

7.3.5 श्री सलमान खुर्शीद, माननीय मंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एअर इंडिया कनि क दुर्घटना की 25वीं वर्षगांठ में भाग लेने हेतु 22–26 जून, 2010 को आयरलैंड का दौरा किया एवं लंदन में 'रोल ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन एंकरिंग इकोनोमिक ऑर्डर' विषय पर आईसीएआई के आयोजन को भी संबोधित किया।

7.3.6 कोलंबो में आयोजित द्वितीय वैश्विक प्रबंधन लेखांकन शिखर सम्मेलन, 2010 में भी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भाग लिया गया एवं उन्होंने वहां कारपोरेट शासन एवं लेखा परीक्षा एवं लेखांकन व्यवसाय सहित कारपोरेट कार्य से विभिन्न पहलुओं पर श्रीलंका के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार–विमर्श किया।

7.3.7 श्री आर. बंद्योपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सेबी/आरबीआई/आईसीएआई/इरडा/कैग के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल एवं श्री जितेश खोसला, विशेष कार्य अधिकारी, आईआईसीए के साथ 26–28 जुलाई, 2010 के दौरान टोकिया (जापान) का दौरा किया एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानक (आईएफआरएस) के समाभिरुपण पर भारत–जापान फोरम के प्रथम संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

7.3.8 सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 20–24 सितंबर, 2010 को सेंट पीटर्सवर्ग एवं मास्को (रूस) का दौरा किया एवं ईएबीआईएस वार्षिक कोलोक्कियम में भाग लिया तथा रूस के विनियामक प्राधिकारियों एवं व्यवसायिकों के साथ विचार–विमर्श किया। आईसीडब्ल्यूएआई एवं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स

ऑफ रशिया के मध्य सहयोग के एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान समझौते का क्षेत्र दोनों देशों में व्यवसायिक लेखांकन प्रबंधन लेखांकन एवं लेखा परीक्षा में पूर्णता प्राप्त करने हेतु लंबी अवधि का सहयोग स्थापित करना है।

7.3.9 श्री आर. बंधोपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य ने 6 से 8 अक्तूबर, 2010 को पेरिस (फ्रांस) एवं जेनेवा (स्वीटजरलैंड) का दौरा किया। वहां उन्होंने पेरिस में 5वीं जीआरआई सरकारी परामर्श समूह बैठक एवं आईसीडी के साथ बैठक में भाग लिया एवं जेनेवा, स्वीटजरलैंड में कारपोरेट गवर्नेंस इन दी वंक ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस– लिंकिंग गवर्नेंस, स्ट्रेटजी एंड ससटेनेबिलीटी–ए कॉन्फेरेन्स ऑन दी रोल ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन विषय पर सम्मेलन में भाग लिया।

7.3.10 श्री आर. बंद्योपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल (तीन व्यावसायिक संस्थानों; भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के प्रतिनिधियों) के साथ केनबरा एवं सिडनी (आस्ट्रेलिया) का 9–12 नवंबर, 2010 का दौरा किया एवं संघीय आस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन विचार–विमर्श किया। श्रीमती सुजाता सिंह, आस्ट्रेलिया में भारत की उच्चायुक्त भी विचार–विमर्श में शामिल हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आस्ट्रेलिया सरकार के ट्रेजरी सचिव के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया एवं दोनों पक्षों ने वृहत स्तर पर आर्थिक नीति एवं विनियामक अवसंरचना पर अपने पक्ष एक–दूसरे के समक्ष रखे तथा विशेषकर शासन, सीएसआर, निवेशक शिक्षा, तकनीकी मानक कार्यान्वयन विशेष रूप से आईएफआरएस एवं संबद्ध के रोड मैप के क्षेत्र में अनुभव एवं संभावित पारस्परिक सहयोग से सीखने में रुचि दिखाई। प्रतिनिधिमंडल ने आस्ट्रेलियाई वित्तीय रिपोर्टिंग परिषद के अध्यक्ष के साथ लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों संबंधी मुद्दों पर गहन विचार–विमर्श किया। यह दौरा उभरते हुए व्यापार परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है एवं दोनों पक्षों ने पारस्परिक सहयोग से लाभ उठाने एवं लगातार विचार–विमर्श करने पर सहमति जतायी ताकि समान मुद्दों पर मिलकर कार्य किया जा सके।

7.3.11 श्री आर. बंद्योपाध्याय, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने ब्रुसेल्स में 16–18 नवंबर, 2010 के दौरान विश्व बैंक संस्थान एवं बेल्जियम सरकार द्वारा आयोजित 'स्ट्रेटनिंग रिस्पांसिबल बिजनेस एंड गवर्नेंस इन अफ्रिका' विषय पर परिचर्चा में भी भाग लिया। इस परिचर्चा में राष्ट्रों के मध्य अनुभव बांटने, निवेश हेतु माहौल में सुधार करने, आर्थिक विकास में योगदान करने एवं कारपोरेट संस्कृति, योजना एवं नीतियों में व्यवस्था एवं अच्छे शासन व्यवहार को लाकर नेतृत्व विकास हेतु उपयोगी मंच उपलब्ध कराया।

निवेशक शिकायत समाधान तंत्र

7.4.1 निवेशकों को निःशुल्क शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए मिडास इन्वेस्टर एसोसिएशन (एनजीओ) द्वारा सृजित *www.investorhelpline.in* नाम वेबसाइट निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के तहत सितंबर, 2006 में प्रायोजित और शुरू की गई। यह निवेशकों को वेबसाइट पर उनकी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करती है। यह निवेशकों एवं कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य प्राधिकरणों के बीच मध्यस्थ का काम करती है। यह निवेशकों को विभिन्न अधिनियमों के तहत न्यायिक अधिकारों तथा उनके प्रवर्तन की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करती है। इन्वेस्टर हेल्पलाइन से प्राप्त 01.04.2010 से 31.12.2010 की वर्ग वार शिकायतें एवं संकल्प स्थिति तालिका 7.1 में दी गई है।

तालिका 7.1

इन्वेस्टर हेल्पलाइन

दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2010 की वर्ग–वार शिकायतें एवं संकल्प

क्र. सं	शिकायत का प्रकार	शिकायत की प्रकृति	प्राप्त शिकायतें	अस्वीकृत अपूर्ण सूचना	वैध शिकायतें	हेल्पलाइन प्रणाली से हटकर	शेष वैध शिकायतों पर कार्रवाई	निपटाए गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	लाभांश या बांड से संबंधित शिकायतें	प्रमाण–पत्र, ब्याज, पुनर्लाभ राशि की गैर प्राप्ति	91	20	71	10	61	28
2.	सावधि जमा/ सार्वजनिक निक्षेप, सामूहिक निवेश योजना संबंधी शिकायतें	परिपक्व राशि, ब्याज, विवरणी आदि की गैर–प्राप्ति	273	15	258	208	50	52
3.	शेयरधारकों की शिकायतें	लाभांश शेयर प्रमाण–पत्र, एडवाइज, राइट्स, आवंटन वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक नोटि, डीमैट शिकायतें आदि प्राप्त न होना	800	203	597	113	484	303
कुल योग			**1164**	**238**	**926**	**331**	**595**	**383**

7.4.2 इसके अलावा, निवेशकों को बेईमान प्रवर्तकों, कंपनियों तथा निकायों से बचने में सहायता करने के लिए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष की वित्तीय सहायता से प्राइम इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन एण्ड लीग द्वारा www.watchoutinvestors.com वेबसाइट सृजित की गई है। यह वेबसाइट आर्थिक चूककर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री है तथा विभिन्न नियामक निकायों द्वारा दोष–सिद्धि की सूचनाओं को कवर करती है।

अधिकारियों तथा स्टाफ की शिकायतों का निपटान

7.5 अधिकारियों तथा स्टाफ की शिकायतों के निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में एक

स्टाफ परिषद है, जो कि एक निर्वाचित निकाय है। स्टाफ परिषद की अध्यक्षता प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है। इसकी प्रायः बैठक होती है और सभी शिकायतों तथा समस्याओं पर चर्चा की जाती है और उन्हें मंच पर ही सुलझा लिया जाता है। यह मंत्रालय में अच्छे वातावरण के निर्माण में बहुत ही प्रभावी तंत्र सिद्ध हुआ है।

सतर्कता

7.6 प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एक पृथक सतर्कता अनुभाग कार्य कर रहा है। जहां कहीं कोई विश्वसनीय शिकायत प्राप्त होती है वहां त्वरित कार्रवाई की जाती है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 25 अक्तूबर, 2010 से 01 नवंबर, 2010 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया। वर्ष 2010–11 के प्रारंभ में 7 सतर्कता मामले लंबित थे जिसमें से 1 मामले का निपटान कर दिया है और वर्ष के दौरान किसी भी मामले पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई। विभिन् स्रोतों, जिनमें सीवीसी/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि शामिल है, से प्राप्त 88 शिकायतों में से 62 शिकायतों को वर्ष के दौरान निपटाया गया।

लिंग संबंधी मुद्दे

7.7 जहां तक लिंग से जुड़े मुद्दों का संबंध है, कार्य का आबंटित किए जाते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कार्य को पदनाम के आधार पर आबंटित किया जाता है।

अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व

7.8.1 आईसीएलएस की संवर्ग समीक्षा के भाग के रूप में 5.11.2008 को विभिन्न स्तरों पर 60 पद सृजित किए गए हैं। इनमें एक पद एचएजी स्तर का तथा 4 पद एसएजी स्तर के हैं जिनके लिए मंत्रिमंडल द्वारा 4.9.2008 को अनुमोदन प्रदान किया गया, शेष प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7.8.2 आईसीएलएस के संबंध में भर्ती नियम डीओपीटी एवं यूपीएससी के परामर्श से संशोधित कर ली गई है। संशोधित आईसीएलएस नियम को सा.का.नि. 772(अ) दिनांक 5.11.2008 द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। 13 आईसीएलएस परीविक्षाधीनों की नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा, 2009 के माध्यम से की गई है। सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के माध्यम से 41 अधिकारियों का प्रस्ताव है।

तालिका 7.2
सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के कर्मचारियों की संख्या (1.1.2010 को)

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में से कर्मचारियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
समूह क	232	30	12	19
समूह ख	201	28	15	14
समूह ग	1005	150	63	84
समूह घ	307	84	31	30
कुल	1745	292	121	147

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

7.9 कारपोरेट कार्य मंत्रालय अपने कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। वर्ष के दौरान हुई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

(i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन दिनांक 9 नवंबर, 2010 को किया गया है।

(ii) राजभाषा के निरीक्षण संबंधी संसदीय समिति की पहली उप–समिति द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ–साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 01.07.2010 को किया गया। कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान समन्वय का कार्य भी सौंपा गया था। मंत्रालय ने सफलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया।

(iii) राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की पहली उप–समिति द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार, कोच्ची एवं कंपनी रजिस्ट्रार, मुम्बई का निरीक्षण क्रमशः दिनांक 30.06.2010 तथा दिनांक 04.01.2011 को किया गया।

(iv). राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत पत्राचार द्विभाषी रूप में किए जा रहे हैं।

(v) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के तहत हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं।

(vi) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की तिमाही मॉनीटरिंग करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 29.11.2010 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंत्रालय के 27 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

(vii) मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका 'कारपोरेट प्रवाहिनी' के चौथे अंक का प्रकाशन किया गया।

(viii) मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2010 से जनवरी, 2011 की अवधि के दौरान 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

(ix) मंत्रालय में दिनांक 14.09.2010 से दिनांक 30.09.2010 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जैसेः दृश्य वर्णन, प्रश्नोत्तरी, टिप्पण–आलेखन, कविता–पाठ आदि।

माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 15.10.2010 को आयोजित समापन समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी अपने–अपने कार्यालय में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रकाशन

7.10 दिनांक 1.4.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान मंत्रालय के प्रकाशन निम्नलिखित हैं :–

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 638 के उपबंधों के अनुसरण में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। 31.3.2009 को समाप्त हुए वर्ष की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटनों पर 2010 में रखी गई थी।

(ख) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का वर्ष 2009–10 हेतु प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 की उपधारा (2) एवं (3) के तहत संसद के दोनों सदनों में 2010 में रखा गया।

राजस्व प्राप्ति और व्यय

7.11 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राजस्व प्राप्ति और व्यय (योजना और गैर–योजना) का ब्यौरा निम्नांकित है (तालिका 7.3 एवं 7.4)

तालिका 7.3
राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रुपए में)

2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
(1)	(2)	(3)	(4)
1304.17	1231.78	1235.05	1104.65

तालिका 7.4
व्यय (योजना एवं गैर–योजना)

(करोड़ रुपए में)

	2009–10 में वास्तविक व्यय	2010–11			बजट अनुमान 2011–12
		बजट अनुमान 2010–11	संशोधित अनुमान 2010–11	वास्तविक व्यय 2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गैर–योजना	190.11	209.01	198.89	128.79	210.94
योजना	33.00	40.00	87.36	79.74	28.00
कुल	223.11	249.01	286.25	211.51*	238.94

*इसमें 2.98 करोड़ रुपए का प्राधिकार शामिल है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का निदेशिका

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष / फैक्स	आवासीय दूरभाष संख्या
कारपोरेट कार्य मंत्री का कार्यालय			
श्री मुरली देवड़ा	कारपोरेट कार्य मंत्री	23073804 23073805 23073806 (फैक्स)	24615316 24693941 24636969 (फैक्स)
	निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्री	–तदैव–	–
श्री डी. के. राणा	अतिरिक्त निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्री	–तदैव–	–
श्री मुरारी लाल शर्मा	अतिरिक्त निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्री	–	–
श्री के. एस. सीतारमण	अतिरिक्त निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्री	–	–
कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री का कार्यालय			
श्री आर. पी. एन. सिंह	कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री	23385823 23384082	24632653 (आवास कार्यालय)
श्री असित सिंह	निजी सचिव, कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री	–तदैव–	23075300– आवास 9868535600–मो.
श्री तीर्थंकर दास	विशेष कार्य सचिव (ओएसडी), कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री	–तदैव–	25099651– आवास 9868920252–मो
श्री एस. आर. कदम	प्रथम निजी सहायक, कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री	23369052	9868226831–मो
सचिव			
श्री डी. के. मित्तल	सचिव	23382324 23384017 23384257–फैक्स	
श्री जी. सी. पाण्डेय	सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	–तदैव–	24652211
श्री एस.पी.एस. रावत	सचिव के निजी सचिव	–तदैव–	24621782

अपर सचिव			
श्री सुधीर मित्तल	अपर सचिव	23381226 23389088–फैक्स	
श्री जगजीत सिंह	अपर सचिव के निजी सचिव	–तदैव–	25117014
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार			
श्री सौरभ चन्द्रा	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	23062756	–
श्री. एल.डी. शर्मा	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव	–तदैव–	–
संयुक्त सचिव			
श्री ए. के. श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव	23383180	24105445
श्री. वी. के. सूट्टा	संयुक्त सचिव के निजी सचिव	–तदैव–	–
श्रीमती रेणुका कुमार	संयुक्त सचिव	23074056 23384380	24364256
श्री. बी.बी. तुली	संयुक्त सचिव के निजी सचिव	–तदैव–	–
डा. टी.वी. सोमनाथन	संयुक्त सचिव	23383345	23015480
श्री एस. सी. पुरी	संयुक्त सचिव के निजी सचिव	–तदैव–	–
आर्थिक सलाहकार			
डा. जोशफ अब्राहम	आर्थिक सलाहकार	23385010	26115803
श्री. संदीप कुमार अम्बष्ठा	आर्थिक सलाहकार के निजी सहायक	–तदैव–	–
डीआईआई (निदेशक, जांच एवं निरीक्षण)			
श्री धन राज	डीआईआई	23389602	22183294
श्री एच. श्रीवास्तव	डीआईआई के निजी सचिव	23389602	–
श्री. ई. सेल्वराज	निदेशक	23384502	9711129925
श्री एम. मोहन दास	डीआईआई(ईएस) के निजी सचिव	23384502	9871377209
निदेशक			
श्री जयकांत सिंह	निदेशक	2338 9227	26890808
श्री. दीपक कुमार	निदेशक (जेएस) के निजी सहायक	–तदैव–	–
सुश्री निरूपमा कोतरू	निदेशक	23384470	0120–4281447, 26257232
श्रीमती संतोष	निदेशक (एनके) के निजी सहायक	–तदैव–	–
श्री आलोक कुमार	निदेशक	23382386	–

सुश्री मंजु	निजी सहायक	–तदैव–	–
श्री अनिल कुमार भारद्वाज	निदेशक	23070954	–
सुश्री नमिता	निदेशक (एकेबी) के निजी सहायक	–तदैव–	–
उप सचिव			
श्री वी. के. कपूर	उप सचिव	23389263	24104947
श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी	उप सचिव (वीकेके) के निजी सहायक	–तदैव–	–
श्री के. के. नाथ	उप सचिव	23389204	–
श्री नन्द किशोर	उप सचिव (केकेएन) के वरिष्ठ निजी सचिव	23389204	–
श्री वी. के. मल्होत्रा	उप सचिव	23389403	25088170
श्री ओ. पी. शर्मा	उप सचिव (बीकेएम) के निजी सहायक	23389403	–
श्री के. गुरुमूर्ति	उप सचिव	23384502	9871377209–मो
श्रीमती सुषमा सिकरी	उप सचिव (केजी) के निजी सहायक	23384502	–
संयुक्त निदेशक			
श्री नौबत सिंह	संयुक्त निदेशक	23385285	9811381515
श्री आर. के मीना	संयुक्त निदेशक	23385285	–
श्री आलोक सामन्तराय	संयुक्त निदेशक	23073230	–
श्री जे. एन. टिक्कु	संयुक्त निदेशक	23384657	01232255388
उप निदेशक			
श्री वी.के. एल. श्रीवास्तव	उप निदेशक (विधि)	23070728	–
श्री विनोद शर्मा	उप निदेशक	23385382	–
श्री संजय शौरी	उप निदेशक	23389622	–
श्रीमती पी. शीला	उप निदेशक	23386065	–
श्री श्याम सुंदर	उप निदेशक	23384657	22416398
श्री सौज अहमद	उप निदेशक	23073230	–
श्री एन.के. दुआ	उप निदेशक	23387263	–
श्री आर. के. शाह	सहायक निदेशक	23387263	–
श्री संजय यादव	सहायक निदेशक	23389745	–
अवर सचिव			
श्री जे. एस. गुप्ता	अवर सचिव	23389782	25226814

श्री आर. सी. टली	अवर सचिव	23073734	—
श्री. जे. बी. कौशिश	अवर सचिव	23387939	0124—2333763
श्री एल. के त्रिवेदी	अवर सचिव	23389782	—
श्री राजिन्दर सिंह	अवर सचिव	23389298	—
श्री बी. पी. बिमल	अवर सचिव	23381243	—
श्रीमती रीता डोगरा	अवर सचिव	23386065	—
श्री आर. के. पाण्डेय	अवर सचिव	23383507	0120—2482544
श्री जी. वी. सुबैय्या	अवर सचिव	23383507	0120—2534241
श्री जी. पी. सरकार	अवर सचिव	23381349	23364290
श्री अनिल कुमार	अवर सचिव	23381243	9350356209
श्री अनिल पाराशर	अवर सचिव	23381243	—
सहायक निदेशक			
श्री एम. एस. पचौरी	सहायक निदेशक	23387263	
श्री पुनीत कुमार दुग्गल	सहायक निदेशक	23389745	
श्री परविन्दर सिंह	सहायक निदेशक	23385382	
श्री आलोक टंडन	सहायक निदेशक	23385382	
सुश्री मोनिका गुप्ता	सहायक निदेशक (सीएल–V)	23387263	
सुश्री सीमा रथ	सहायक निदेशक (सीएल–V)	23387263	
सुश्री रीता सूद	सहायक निदेशक (राजभाषा)	23388512	
श्री अरविन्द कुमार बुनकर	सहायक निदेशक	23389745	
श्री आर. के बक्शी	सहायक निदेशक	23073230	
श्री इकबाल हुसैन अंसारी	सहायक निदेशक	23073230	
श्री वी. एम. प्रशांत	सहायक निदेशक	23384660	
श्री मनजित सिंह	सहायक निदेशक (आईईपीएफ)	23384479	
आर एंड ए प्रभाग			
श्री एस. एन. तोबरिया	निदेशक	23318973 (टेलेफैक्स)	23233052
श्री राधे श्याम	निदेशक	23318972 (टेलेफैक्स)	—

श्री ई. नागाचन्द्रन	उप निदेशक	23318971	–
लेखा परीक्षा शाखा			
श्री बी. बी. गोयल	सलाहकार (लेखा)	23386003 23386284 (फैक्स)	24100365
श्रीमती पुष्पा सैनी	निजी सचिव	–	–
श्री तरूण दास	उप निदेशक (लेखा)	23386685	–
सुश्री भारती सहाय	सहायक निदेशक (लेखा)	23386349	–
गंभीर धोखाधड़ी जांच–पड़ताल कार्यालय (पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली)			
श्री अनुज कुमार बिश्नोई	निदेशक	24365787	–
श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त निदेशक	24369243	–
श्री एन. के. भोला	अतिरिक्त निदेशक	24369592	–
श्रीमती सुनिता केजरीवाल	अतिरिक्त निदेशक	24369505	95120–2773364
श्री जे. के. तेवती	अतिरिक्त निदेशक	24365471	–
श्री देवी शरण सिंह	अतिरिक्त निदेशक	24366026	–
डा. बलजित सिंह	अतिरिक्त निदेशक	24369247	–
श्री पी.आर. लकरा	अतिरिक्त निदेशक	24369251	–
डा. जगनाथ दास	अतिरिक्त निदेशक	24369047	–
गंभीर धोखाधड़ी जांच–पड़ताल कार्यालय, मुम्बई (एनटीसी हाऊस, चौथा तल, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई)			
श्री ए. ओ. माव	अतिरिक्त निदेशक	022–22022240	022–22611465 022–615145 (फैक्स)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) (एच.टी.हाऊस, 18–20, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001)			
श्री धर्मेन्द्र कुमार	अध्यक्ष	23704647 2 3 7 0 4 6 4 9 / 23704605 (फैक्स)	–
श्री एच. सी. गुप्ता	माननीय सदस्य	23704630 23704631 (फैक्स)	–

श्री आर. प्रसाद	माननीय सदस्य	23704633 23704632 (फैक्स)	–
डा. गीता गौरी	माननीय सदस्य	23704634 23704635 (फैक्स)	–
श्री पी. एन. पाराशर	माननीय सदस्य	23704638 23704639 (फैक्स)	–
श्री अनुराग गोयल	माननीय सदस्य	23704641 23704642 (फैक्स)	–
श्री एम.एल. तयाल	माननीय सदस्य	23704643 23704644 (फैक्स)	–
श्री एस. एल. बुनकर	सचिव	23704651 23704652 (फैक्स)	–
कारपोरेट कार्य मंत्रालय प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (कैट) (कोटा हाऊस एनैक्सी, 1, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110011)			
डा. न्यायमूर्ति अरजित पसायत	माननीय अध्यक्ष	23385974 23701060 24105684 (फैक्स)	24105683
श्री राहुल सरीन	माननीय सदस्य	23385301 23388928– फैक्स 23701061	26844173
श्रीमती प्रवीन त्रिपाठी	माननीय सदस्य	23385311 23386471 (फैक्स) 23701063	29531510
श्री अशोक मेनन	पंजीयक (रजिस्ट्रार)	23385977 23701065	2373704
कम्पनी विधि बोर्ड (प्रधान पीठ) (पर्यावरण भवन, बी–ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली)			
न्यायमूर्ति श्री दिलिप रावसाहेब देशमुख	माननीय अध्यक्ष	24363667	–
श्रीमती विमला यादव	माननीय सदस्य	24366124	23384121
श्रीमती विद्या शास्त्री	निजी सहायक	24363667	–
श्री पी. के. मल्होत्रा	सचिव (सीएलबी)	–	–

श्रीमती निम्मी धर	अवर सचिव	24363667	–
श्री साऊद अहमद	पीठ अधिकारी	24366125	–
श्री रमेश चंदर	अनुभाग अधिकारी	24363797	28539674
श्री राजपाल सिंह	पीठ अधिकारी	24366123	–
सुश्री ऋचा कुकरेजा	पीठ अधिकारी	24366123	–
कम्पनी विधि बोर्ड (चेन्नई पीठ) दूसरा तल, एनटीसी हाऊस, 15, एन. एम. मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई–400038			
श्री कांति नरहरी	सदस्य, सीएलबी	22619636	–
श्रीमती एस. ए. पाटिल	वरिष्ठ निजी सचिव	22619636	–
श्री सी. वी. संजीवन	पीठ अधिकारी	22611456	–
कम्पनी विधि बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र पीठ) शास्त्री भवन, ब्लॉक–8, हैड्डोस रोड, चेन्नई–600006			
	उपाध्यक्ष		–
सुश्री लिजमा अगस्टिन	सदस्य	25262791	–
श्रीमती मुकुनतन	निजी सचिव		–
श्री वसंत कुमार ऐल	पीठ अधिकारी		–
श्री सी.एस. गोविन्दराजन	पीठ अधिकारी		–
कम्पनी विधि बोर्ड (पूर्व क्षेत्र पीठ) 9, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, 6ठा फ्लोर, कोलकाता–700001			
श्री बी.एस. वी. प्रकाश कुमार	सदस्य	22486330	–
श्री तपस कुमार मंडल	निजी सचिव	–	–
श्री एस. वी. राजगोपाल	पीठ अधिकारी	–	–
कारपोरेट कार्य मंत्रालय सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) (3रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003)			
श्री संतोष कुमार	एलएलपी रजिस्ट्रार	24362189	–
श्री बी. श्रीकुमार	सहायक रजिस्ट्रार	–	–
कारपोरेट कार्य मंत्रालय मुख्य लेखा अधिकारी, 3रा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली			
श्री विलास आर गोडेश्वर	मुख्य लेखा नियंत्रक	24698646 24693229 (फैक्स)	24652479
श्री वी. एम. पुन्नी	प्रधान लेखा अधिकारी	24610148	42156411

वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय (पर्यावरण भवन, बी–ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली)			
श्री संत राम यादव	वेतन एवं लेखा अधिकारी	24360660 24361569 (फैक्स)	9810244741–मो
वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय, कोलकाता चौथा फ्लोर, 15, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता–700001			
श्री यू.एस. चक्रबर्ती	वेतन एवं लेखा अधिकारी	033–22425076 033–2425076–फैक्स	9051867951
श्री बिकास दास	सहायक लेखा अधिकारी		9433030489
वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय, मुम्बई (एक्सचेंज बिल्डिंग, साऊदर्न विंग, एस.एस. रामगुलाम मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई–400001)			
श्रीमती शीला कृष्णन	वेतन एवं लेखा अधिकारी	022–22670862 022–22656362	02224102567
वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय, चेन्नई (5वां तल, शास्त्री भवन, 26, हैड्डोस रोड, चेन्नई–600006)			
श्री सी. संजीवि रमणन	वेतन एवं लेखा अधिकारी	044–28270399 28235949–फैक्स	044–22474138
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई हाऊस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003)			
श्री एन. के. जैन	सचिव	24368031 24617321	95120–4264965
भारतीय चार्टर्ड अकाऊंटेंट संस्थान (इंद्रपस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002)			
श्री टी. कार्तिकेयन	सचिव	23310195 23721334	
भारतीय लागत एवं संकर्म लेखा कार्य संस्थान (इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली)			
श्री ए. पी. कर	निदेशक	24622156 24631538	
श्री एस. सी. गुप्ता	उप निदेशक	24631532 24697148 24522158–फैक्स	24641602

अनुलग्नक–II

क्षेत्रीय निदेशकों, कम्पनी रजिस्ट्रारों एवं शासकीय समापकों के कार्यालय का नाम व पता

क्षेत्रीय निदेशक

क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व क्षेत्र) **(निजाम प्लैस, 2रा एमएसओ बिल्डिंग, 3रा तल,** **234/4, आचार्य जे.सी.बोस रोड, कोलकाता–700020)** **टेलेग्राफिक पता : काम्पीलादिर**			
डा. नवरंग सैनी	क्षेत्रीय निदेशक	033–22870383 (डी) 033–22873156 033–22873404 033–22870958 (फैक्स)	
श्री पी. श्रीधर	संयुक्त निदेशक	033–22873156 033–22873404	9836388388
श्री ए. के. महापात्र	उप निदेशक	–	–
श्री एम. आर. दास	उप निदेशक	–	–
श्री दरुन कुमार मुखर्जी	सहायक निदेशक	–	–
श्री ए. के. साहू	सहायक निदेशक	–	–
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर क्षेत्र) **(ए–14, सेक्टर–I, पीडीआईएल भवन, नोएडा, उत्तर प्रदेश)** **टेलेग्राफिक पता : काम्पीलादिर**			
श्री वी. के. बंसल	क्षेत्रीय निदेशक	0120–2445342 0120–2445343	–
श्री आर. सी. मीना	संयुक्त निदेशक (निरिक्षण)	–	–
श्री वी. के. खुबचंदानी	संयुक्त निदेशक	–	–
श्री बी. सी. मीना	संयुक्त निदेशक	–	–
श्री दिनेश चंद	संयुक्त निदेशक	–	–
श्री के. सी. मीना	संयुक्त निदेशक	–	–
श्री भुल्लन सिंह	संयुक्त निदेशक (निरीक्षण)	–	–
श्री एम. आर. गुप्ता	सहायक निदेशक	–	–

क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण क्षेत्र) (शास्त्री भवन, ब्लॉक I, 5वां तल, 78ए विंग, 26 हेड्डोस रोड, चेन्नई–600006) टेलेग्राफिक पता : काम्पीलादिर			
श्री के. पांडियन	क्षेत्रीय निदेशक	044–28271737 28276381, 28276682, 28276685, 28276652, 28272676, 28176654 044–28280436(फैक्स)	–
श्री एन.एस. पोन्नुनम्बी	संयुक्त निदेशक	044–28276654 24420058	–
	संयुक्त निदेशक	–	–
श्री एल. पी. कोला	उप निदेशक	–	–
श्री रामकृष्णन	उप निदेशक	–	–
श्रीमती एस. मीनाक्षी	सहायक निदेशक	–	–
श्री वी. जी. सत्यामूर्ति	सहायक निदेशक		
क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम क्षेत्र) (100, एवरेस्ट बिल्डिंग, भूमि तल, नेताजी सुभाष मार्ग, मरीन ड्राइव, मुम्बई–400002) टेलेग्राफिक पता : काम्पीलादिर			
श्री एस. एम. अमीरुल मिलाथ	क्षेत्रीय निदेशक	022–22872347 (डी) 022–22817259 022–22812389 (फैक्स)	–
श्री एम. ए. कुवैदिया	संयुक्त निदेशक	022–22872347 (डी) 022–22812389 (फैक्स)	26120229
श्री एम. आर भट	संयुक्त निदेशक	022–22811493 022–22813760 022–22812389 (फैक्स)	–
श्री पी. राजगोपालन	संयुक्त निदेशक	022–22811493 022–22813760 022–22812389 (फैक्स)	–

श्री जे. के जौली	संयुक्त निदेशक	022–22811493 022–22813760 022–22812389 (फैक्स)	–
श्री एम. चंदनमुथु	संयुक्त निदेशक	–	–
श्री एस. एन. मिश्र	उप निदेशक	–	–
श्री चन्दसेखरन	उप निदेशक	–	–
श्री पी. ए. सपले	उप निदेशक	–	–
सुश्री यू. पी. परमार	सहायक निदेशक	–	9757107342
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर पश्चिम क्षेत्र) (आरओसी भवन, रुरल पार्क के सामने, नरनपुरा, अहमदाबाद)			
श्री यू. सी. नाहटा	क्षेत्रीय निदेशक	079–27437597	–
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर पूर्व क्षेत्र) (निजाम प्लैस, एमएसओ बिल्डिंग, तीसरा तल, 234/4, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700020)			
श्री बी. एल. सिन्हा	क्षेत्रीय निदेशक	033–22870383 033–22870958–फैक्स	
कम्पनी रजिस्ट्रार			
कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल (निजाम प्लैस, 2रा एमएसओ बिल्डिंग, 2रा तल, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700020)			
श्री देवाशिस बंद्योपाध्याय	आरओसी	033–22800409 033–22873404 033–2287–3156 033–2287–7390 033–2290–3795–फैक्स	66/3, कॉलेज रोड, हावडा–711103 दूर–26687291
कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा (आईएफसीआई टावर, 4वां तल, नेहरू प्लैस, नई दिल्ली–110019)			
श्री मन मोहन जुनेजा	आरओसी	26235703 26235704 26235705 26235702 (फैक्स)	330, एफएफ, पॉकेट–ई, मयूर विहार फैज़–II, दिल्ली– 110 091
श्री ए. के. बहल	सहायक आरओसी	–वही–	हाउस सं.–490, सेक्टर–19, फरीदाबाद–121002

कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल (10/499–बी, एलनगंज, खलासी लाइन्स, कानपुर–208002)			
श्री एम.पी. शाह	आरओसी	0512–2550688 0512–2540383 0512–2540423 (फैक्स)	37/17/, माल रोड, गिल्स बाजार, क्रिस चर्च कॉलेज कैम्पस, कानपुर, 208001 0512–2314481
श्री संजय बोस	सहायक आरओसी		फ्लैट नं. 102, मुरलीधाम–4, 31ए, ब्लाक–सी, श्याम नगर, कानपुर 0512–2550688
कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार एवं झारखंड (मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, चौथा तल, ए विंग, डाक बँगला रोड, पटना–800001)			
श्री ओ.पी. शर्मा	आरओसी	0612–2222172 (टेलीफैक्स) 0612–2233990 0612–2233990 (फैक्स)	फ्लेट नं. ए–71, अमरावती अपार्टमेंट, ऑफिसर फ्लेट के पीछे, बेली रोड, पटना–800001 0612–2520210
कम्पनी रजिस्ट्रार, पूर्वी राज्य (शिलांग–793001)			
श्री गुलाब चन्द यादव	आरओसी	0364–2223665 0364–2504093 0364–2222519 –364–2211091 (फैक्स)	गिन्नी हाउस, जेल रोड, शिलांग–793001 0364–2227235
श्री दीप नारायण चौधरी	सहायक आरओसी		मार्फत ए.आर. दास जेल रोड, शिलांग–793001
कम्पनी रजिस्ट्रार, तमिलनाडु एवं कोयम्बटूर (स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, दूसरा तल, 683, त्रिची रोड, सिंगनल्लू, कोयम्बटूर–641005)			
डॉ. एम. मनुनीथी चोलन	आरओसी	0422–2318170 0422–2329640 0422–2318089 (फैक्स)	27, मय फ्लोर पार्क अपार्टमेंट्स, डॉक्टर गार्डेन, अविनाशी रोड, कोयम्बटूर–641018
श्री पी.सी. नंदाकुमार	सहायक आरओसी		कमरा सं. –204, एनी एकार्डी, 7वीं गली, गांधीपुरम, कोयम्बटूर–641001

कम्पनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक (केन्द्रीय सदन, ई विंग, दूसरा तल, कोरामंगलम, बंगलोर–560034)			
श्री बी.एन. हरीश	आरओसी	080–5537449 (ओ) 080–2563104(ओ) 080–25633105 (सीधे) 080–2558531 (फैक्स)	ब्लॉक नं.38, क्वार्टर नं. 567, सीपीडब्ल्यूडी क्वार्ट्स, एच.एस.आर. लेआउट, बंगलोर फोन–080–25720174
श्री टी.एस.डी. प्रसाद राव	उप–आरओसी		एस–201, साई गोल्डेन नेस्ट, विगनानानगर, मैन रोड, न्यू थिप्पासांदरा–पोस्ट, बंगलोर–560075
श्रीमती के. गीता महालक्ष्मी	सहायक आरओसी		नं. 455, क्वार्टर–290, ब्लाक–26, सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर, कोरमंगलम, बंगलोर–560034
श्री एस. शिवा कुमार	सहायक आरओसी		कमरा सं.–7, उडपी रेजीडेंसी, नं. 4, 20वां मैन, (मरुथी नगर मैन रोड), बी.टी.एम. पहला स्टेज. बंगलोर–560029
कम्पनी रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश (3–5–398, केन्द्रीय सदन, दूसरा तल, सुल्तान बाजार, कोली, हैदराबाद–500 095)			
श्री एम.वी. चक्रनारायण	आरओसी	040–24656114 040–24606972 040–24652807 (फैक्स)	प्लॉट नं. 47, 16 / 11 / 16 / एन / 47, दूसरा तल, प्रशांत नगर, मालाकेप्ट, हैदराबाद–500036 फोन नं.–040–24520485
श्री एस.एम. सेनदाने	उप–आरओसी		प्लॉट नं. 152, श्रीपुरम, कालोनी, मालाकेप्ट, हैदराबाद–500036
श्री शाशि राज दारा	उप–आरओसी	–वही–	हाउस नं. 6–3–320, न्यू भोईगुडा, सिकंदराबाद–500036

श्री सत्यजीत राउल	सहायक आरओसी	–वही–	
श्री पोला रघुनाथ	सहायक आरओसी	–वही–	मार्फत बालास्वामी, प्लॉट नं. 54, पारसनाथ नगर, मालाकेप्ट, (बिसाइड मालाकेप्ट आरटीए कार्यालय) हैदराबाद–500035
श्रीमती वी. संतोषी जागीदार	सहायक आरओसी	–वही–	2–1–516/ए, फ्लेट नं. 201, विस्तारा अपार्टमेंट्स, नालाकुंता, हैदराबाद–500044
कम्पनी रजिस्ट्रार, केरल एवं लक्षद्वीप (पहला तल, कंपनी विधि भवन, बीएमसी रोड, थ्रिक्कारा पी ओ, कोच्ची–682021)			
श्री के.जी. जोसेफ जेक्सन	उप–आरओसी	0484–2423749, 0484–2421489 फैक्स 0484–2422327	III–243–ई, कोलाडी, कॉपरविल्लास, पुलिक्किलम रोड, चैम्बूमुक्कू, कोच्ची–682030
श्री वी.ई. जोसीकुट्टी	आरओसी	–	वजाइल हाउस, मवेलीपुरम, कक्कानन्द पी.ओ. कोच्ची–682030 फोन : 0484–24266533
कम्पनी रजिस्ट्रार, पुदुचेरी (सं. 35, इलांगो नगर, प्रथम तल, III क्रॉस, पुदुचेरी–605011)			
श्री व. स्वामीदासन	आरओसी	0413–2240129 2244277 0413–2240129 (फैक्स)	सं. 11, दूसरा तल, पी.आर. कॉम्प्लेक्स, कोसाकाडाई गली, पुदुचेरी– 605011 फोन 2222349
कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र (100 एवरेस्ट, मरिन ड्राइव, मुम्बई–400002)			
श्री हेनरी रिचर्ड	सहायक आरओसी	022–22812639 022–22812627 022–22812645 022–22883389 022–22811977 (फैक्स)	एच–42, सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, नेपैन सी रोड, मुम्बई–400006 फोन 022–23631007

श्री के.एस. रेड्डी	उप–आरओसी	022–22812627 022–22811977 (फैक्स)	197/2220, सेक्टर–6, सीजीएस कॉलोनी, काणे नगर, एनटॉप हिल, मुम्बई–400037
श्री एम. कानन	उप–आरओसी	–वही–	बिल्डिंग नं. 5, सं. 134, सागर सेचएस, नियर रहेजा हॉस्पिटल, महिम (पश्चिमी), मुम्बई
श्री वी. एलांगोवन	उप–आरओसी	––वही–	134, सागर अपार्टमेंट महिम (पश्चिमी), मुम्बई
श्री एस.पी. चूगा	उप–आरओसी	–वही–	12/1/13 भवानी नगर, मरोल मकोजी रोड, मरोल, अंधेरी (पूर्वी), मुम्बई–59
मि. ए.बी. अथावले	उप–आरओसी	–वही–	प्लॉट नं. 342, यमुना सदन, दाता नगर, नियर, शास्त्री हॉल, धूमबिवली (पूर्वी) फोनः 0251–2434642
मि. इल्से पप्पाचन	सहायक आरओसी	–वही–	जी–3/403, शेनिल, मोराज रेजीडेंसी, पलम बेच रोड, सेक्टर–16, सनपादा, नवी मुम्बई–400705
मि. पी. बालाकृष्णा	सहायक आरओसी	–वही–	I/सी/103, भाविनी, इंक्लेव, डी.पी. रोड, मुलुंद (पूर्वी), मुम्बई–400081 फोन–9869133388
श्रीमती वी.एन. खान्द्रे	सहायक आरओसी	–वही–	कमरा सं.–405, I ब्लॉक, हैदराबाद स्टेट, मुम्बई–400003
श्री. आर. एस. मीणा	सहायक आरओसी	–वही–	सेक्टर–I/106/978, सीजीएस कॉलोनी, एनटॉप हिल, मुम्बई–400003

कम्पनी रजिस्ट्रार, उड़ीसा (चलचित्र भवन, दूसरा तल, बक्शी बाजार, कटक–753001)			
श्री बिवेकानंद मोहंती	आरओसी	0671–2306958 0671–2306952 0671–2606958 0671–2305361 (फैक्स)	एच/ओ श्री एस.के. हरमा बीजूपटनायक स्कवायर, तुलसीपुर कटक–753008 फोनः0671–2300349
कम्पनी रजिस्ट्रार, गुजरात (आरओसी भवन, रुपल पार्क के सामने नारणपुरा, अहमदाबाद)			
श्री आर.के. डालमिया	उप–आरओसी	079–27438531 079–27438371 (फैक्स)	ई–43, अमलतास अपार्टमेंट सेटेलाइट, अहमदाबाद
श्री आर.डी. गुप्ता	उप–आरओसी	–वही–	रूपल पार्क सोसाइटी, बी/एच, अंकुर बस स्टैंड, नारणपुरा, अहमादबाद
श्री कमल हरजानी	सहायक आरओसी	–वही–	4, तुलसी बँगला, वंदे मातरम के पास, सोसइटी, सुकन लोटस के सामने बँगला गोटा, अहमदाबाद
श्री वी.एस. हजारे	सहायक आरओसी	–वही–	बी–76, अंगीता कुप. हाउ. सोसाइटी, नियर, प्रगति नगर, गार्डेन बिहाइंड आनंद इम्पोरियम, नारणपुरा, अहमदाबाद
कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान ('कारपोरेट भवन', दूसरा तल, जी–6/7, जमनालाल बजाज नगर मार्ग, रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाइंस, जयपुर)			
श्री एस.पी. कुमार	आरओसी	0141–2222464 (टैलीफैक्स) 2222466 (सीधे)	47/192, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर–302020, फोनः 2786814

कम्पनी रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ (पोस्ट बॉक्स नं. 2, ए–ब्लॉक, संजय कॉम्प्लेक्स, तीसरा तल, जयेन्द्र गंज, ग्वालियर–474009)			
श्री एस.के. अग्रवाल	आरओसी	0751–2321907 (डी) 2430012 0751–2631853 (फैक्स)	बँगला नं. 29, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर–4740002 (एमपी) फोनः 0751–2232197
श्री मुकेश कुमार	सहायक आरओसी	0751–2430012 (डी) 0751–2631853 (फैक्स)	बी–10, विवेक विहार, ग्वालियर (एमपी)
कम्पनी रजिस्ट्रार, पुणे (पीएमपी कॉमर्शियल बिल्डिंग, तीसरा तल, डेक्कन जिमखाना, पुणे–411004)			
श्री वी.पी. कटकर	आरओसी	020–25530042 (डी) 020–25530042 (फैक्स) 020–25521376	ब्लॉक नं. 8, क्वार्टर नं.2, चित्रगुप्त कॉम्प्लेक्स, पूणा कालेज के सामने, भवानी पथ, पुणे–411048 फोनः 020–26442721
कम्पनी रजिस्ट्रार, गोवा, दमन एवं द्वीव (कंपनी लॉ भवन, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 21, पट्टो, पणजी, गोवा–403001)			
श्री संजय कुमार गुप्ता	आरओसी	0832–2438617 0832–2438618 0832–2438617 (फैक्स)	डी–4एफ, गवर्मेंट क्वार्टर इल्थिनो, पणजी, गोवा–403001 फोनः 0832–2432901
कम्पनी रजिस्ट्रार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़ (कारपोरेट भवन, प्लॉट नं. 4बी, सेक्टर–27बी, चण्डीगढ़)			
डॉ. राज सिंह	आरओसी	0181–2223843 0181–2453192 0181–2452126 0181–2223843 (सीधे एवं फैक्स)	कोठी नं. 800, अर्बन एस्टेट, फैज–I, जालांधर, फोन(कोलन) 2481625

कम्पनी रजिस्ट्रार, पंजाब, जम्मू और काश्मीर			
श्री एम.के. बागरी	आरओसी एवं ओएल (जम्मू कार्यालय) (405 से 408, बहु प्लाजा, चौथा तल, साउथ ब्लॉक, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012) आरओसी एवं ओएल (श्रीनगर कार्याल) एसडीए कार्यालय कॉम्प्लेक्स, भूतल, बेमिना बाई–पास, श्रीनगर–190018	0191–2470306 (सीधे) 2472504 0191–2470306 (फैक्स) 0194–24944995 0194–2494995 (फैक्स)	हाउस सं.–73, सेक्टर–7, त्रिकुटा नगर, जम्मू–180012 फोनः 0191–2473604

शासकीय समापक

शासकीय समापक (उच्च न्यायालय उड़ीसा से संबद्ध) (चलचित्र भवन, दूसरा तल, बक्शी बाजार, कटक–753001)			
श्री उत्तम कुमार साहू	शासकीय समापक	0671–2303982 0671–23044959 (टैलीफैक्स)	प्लॉट नं. डी–356, सेक्टर–6, मार्केट नगर, सीडीए, कटक–753014 फोनः 0671–2366641
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल से संबद्ध) (9, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, 5वां तल, कोलकाता–700001)			
श्री के. आनंद राव	शासकीय समापक	033–22486501 033–22486067 033–22435073 033–22420708 033–22482483 (फैक्स)	400बी/2एफ, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, फ्लेट नं. 3, कोलकाता–700047 मो. 9874264647
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय बिहार से संबद्ध) (मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नं.ए, चौथा तल, डाक बँगला रोड, पटना–800001)			
श्री अरविन्द शुक्ला	शासकीय समापक	0612–2221002	व्हाइट हाउस, 802/ए, बुद्ध मार्ग, पटना–1 फोनः 0612–2201172

शासकीय समापक (उच्च न्यायालय झारखंड से संबद्ध) (हाउस नं. 239, रोड नं. 4, मेगास्ट्रेट कॉलोनी, डूरंडा, रांची, झारखंड–834002)			
श्री बिन्दूधर मिश्रा	शासकीय समापक	0651–2482811	फ्लैट नं. 104, मिडलैंड वेस्ट अपार्टमेंट, अनंतपुर, रांची–834002
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय गुवाहाटी से संबद्ध) (कंपनी रजिस्ट्रार, एन.ई. क्षेत्र, मोरिल्लो बिल्डिंग, भूतल, शिलांग793001)			
श्री डी.एन. चौधरी	शासकीय समापक	0364–2223665 (डी) 0364–2504093 0364–2222519 0364–2211091 (फैक्स)	मार्फत ए.आर.दास, जेल रोड, शिलांग–793001 मेघालय
शासकीय समापक अगरतला (न्यायिक आयोग, त्रिपुरा, अगरतला हाईकोर्ट बिल्डिंग, त्रिपुरा–799001)			
श्री बी.पी. सक्सेना	उप रजिस्ट्रार	0381–2223180	
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश से संबद्ध) (5–4–400, दूसरा तल, पूर्वी विंग, गगन विहार, नामपल्ली, हैदराबाद–500095)			
श्री डी. विजय भास्कर	शासकीय समापक	040–24736883 (डी) 24656780 24746360 040–24610514 (फैक्स)	5–7–1/31, हरीहारापुरम कॉलोनी, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद–500070 फोनः 040–24242922
श्री बेवीसेट्टी श्रीधर	सहायक शासकीय समापक	040–24616360	30–643/2, प्लॉट नं. 81, सफिलगुडा, सिकंदराबाद–500056
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय मद्रास से संबद्ध) (कारपोरेट भवन, दूसरा तल,, नं. 29, राजाजी सलाई, चेन्नई–600001)			
श्री बी.एम.पी. रत्नासमी	शासकीय समापक	044–25271150 25271151 044–255271152 (फैक्स)	43/8, सीपीडब्ल्यूडी क्वाट्र्स, बंसत नगर, चेन्नई–600090
श्री. एम. जयकुमार	उप–शासकीय समापक	044–25271148	नं.8, 80वीं स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई–600083

शासकीय समापक (उच्च न्यायालय मद्रास से संबद्ध) (कंपनी लॉ भवन, तीसरा तल, बी.एम.सी. रोड, थ्रिक्कारा, पी.ओ. कोच्ची–682021)			
श्री एन. कृष्णामूर्ति	शासकीय समापक	0484–2422889 0484–2423172 (फैक्स)	डी–2, टाइप–IV, ब्लॉक–II जी.पी.आर.ए. सीपीडब्ल्यूडी क्वाट्र्स कन्नुमपुरम, एरनाकुलम, कक्कानंद, कोच्ची जिला–682017 फोनः 0484–2421649
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय कर्नाटक से संबद्ध) (केन्द्रीय सदन, डी एण्ड एफ विंग, चौथा तल, कोरमंगला, बंगलोर–560034)			
श्री एस. रमाकांथा	शासकीय समापक	080–25521918 25537742 080–25527991 (फैक्स)	
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय बम्बई से संबद्ध) (बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 5वां तल, एम.जी. रोड, मुम्बई–400023)			
श्री पी. रामा राव	शासकीय समापक	022–22692307 (फैक्स) 022–22675008 022–22670024 022–2267185 (सीधे)	एच–8, हैदराबाद एस्टेट, निपिन सी रोड, मुम्बई–400036 फोन : 022–64518332
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय गुजरात से संबद्ध) (जीवाभाई चैम्बर, पोस्ट ऑफिस के समाने, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–38009) चैम्बर नं.132, 'ए' विंग, एडवोकेट फेसलिटीज बिल्डिंग, गुजरात उच्च न्यायाल, एस.जी. हाईवे, सोलह, अहमदाबाद–380060			
श्री. ए.के. चतुर्वेदी	शासकीय समापक	जीवाभाई चैम्बर 079–26581912 (डी) 079–26581903 079–26587837 (फैक्स) उच्च न्यायलय बिल्डिंग कार्यलयः 079–27660527 (टैलीफैक्स) 079–27662323 (का.)	एम–101, इन्द्रप्रस्थ टावर, हिमालय मॉल के पास, ड्राइव इन रोड, मैमनगर, अहमदाबाद–380052 फोनः 079–29099681 मो.9638416111

श्री एम. के. साहू	सहायक शासकीय समापक	079–26586987	सी–103, सौन्दर्य निहरा–II कांती पार्क सोसाइटी के सामने, बी/एच, ज्ञान ज्योत हाई स्कूल, घाटलोदिया, अहमदाबाद–380061
श्री पी.पी. रावत	सहायक शासकीय समापक	079–26581931	ए–202, केदार टावर, राजस्थान हॉस्पिटल के सामने, शाहीबाग, अहमदाबाद–380004
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से संबद्ध) (प्रथम तल, ओल्ड सीआईए बिल्डिंग, जीपीओ के सामने, रेजीडेंसी एरिया, इंदौर–452001)			
श्री पी.के. बट्टा	शासकीय समापक	0731–2710051 (डी) 0731–2710568 (फैक्स)	फ्लैट नं. 6, टाइप–V, सीपीडब्ल्यूडी कम्पाउंड, ए.बी. रोड, इंदौर फोनः 2493038
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय मुंबई स्थित नागपुर से संबद्ध) (द्वितीय तल, ईस्ट विंग, नया सचिवालय बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर–440001)			
श्री आर.के. तिवारी	शासकीय समापक	0712–2527512 0712–2522934 (फैक्स)	
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश से संबद्ध) (एससीओ नं.9, दूसरा तल, सेक्टर–26, चण्डीगढ़–160019)			
श्री डी.पी. ओझा	शासकीय समापक	0172–2790074 (डी) 0172–2790074 (फैक्स) 0172–2790084 0172–2790378	
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय राजस्थान से संबद्ध) ('कारपोरेट भवन', प्रथम तल, जी–6/7, जमनालाल बजाज नगर मार्ग, रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाइंस, जयपुर–302015)			
श्री आर.सी. मिश्रा	शासकीय समापक	0141–22204171 22207422 0141–2220422 (फैक्स)	प्लॉट नं. सी/168–ए, खादी कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर–302015

शासकीय समापक (उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल से संबद्ध) (33, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद–211002)			
श्री आर.एच. पटोले	शासकीय समापक	0532–2624943 0532–2624943 (फैक्स)	5–बी/7, कालविन रोड, सिविल लाइंस, इलाहाबाद
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय दिल्ली से संबद्ध) (33, ए2, डब्ल्यू2, कर्जन रोड, बैरेक्स, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली)			
श्री एस.जी. गौतम	शासकीय समापक	011–23388405	49, श्रीनिकेतन अपार्टमेंट, वसुंधरा इंक्लेव, नई दिल्ली
श्री रईसुद्दीन	सहायक शासकीय समापक	–वही–	5157, पाठक हाकिम, महमूद खान, बल्लीमारान, दिल्ली–110006
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय जम्मू एण्ड काश्मीर से संबद्ध) (405, बहु प्लाजा, चौथा तल, साउथ ब्लॉक, रेड हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012)			
श्री एम.के. बागरी	शासकीय समापक	0191–2470306 0191–2472504 0191–2470306 (फैक्स)	
शासकीय समापक (उच्च न्यायालय बम्बई से संबद्ध) ('कारपोरेट भवन', प्लॉट नं. 21, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पट्टो, पणजी, गोवा–403001)			
श्री संजय कुमार गुप्ता	शासकीय समापक	0832–2438619 0832–2438617 (फैक्स)	डी–4एफ, गवर्मेंट क्वाट्र्स इलथिनों, पणजी, गोवा–403001 फोनः 0832–2432901

अनुलग्नक- III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए संगठनात्मक चार्ट

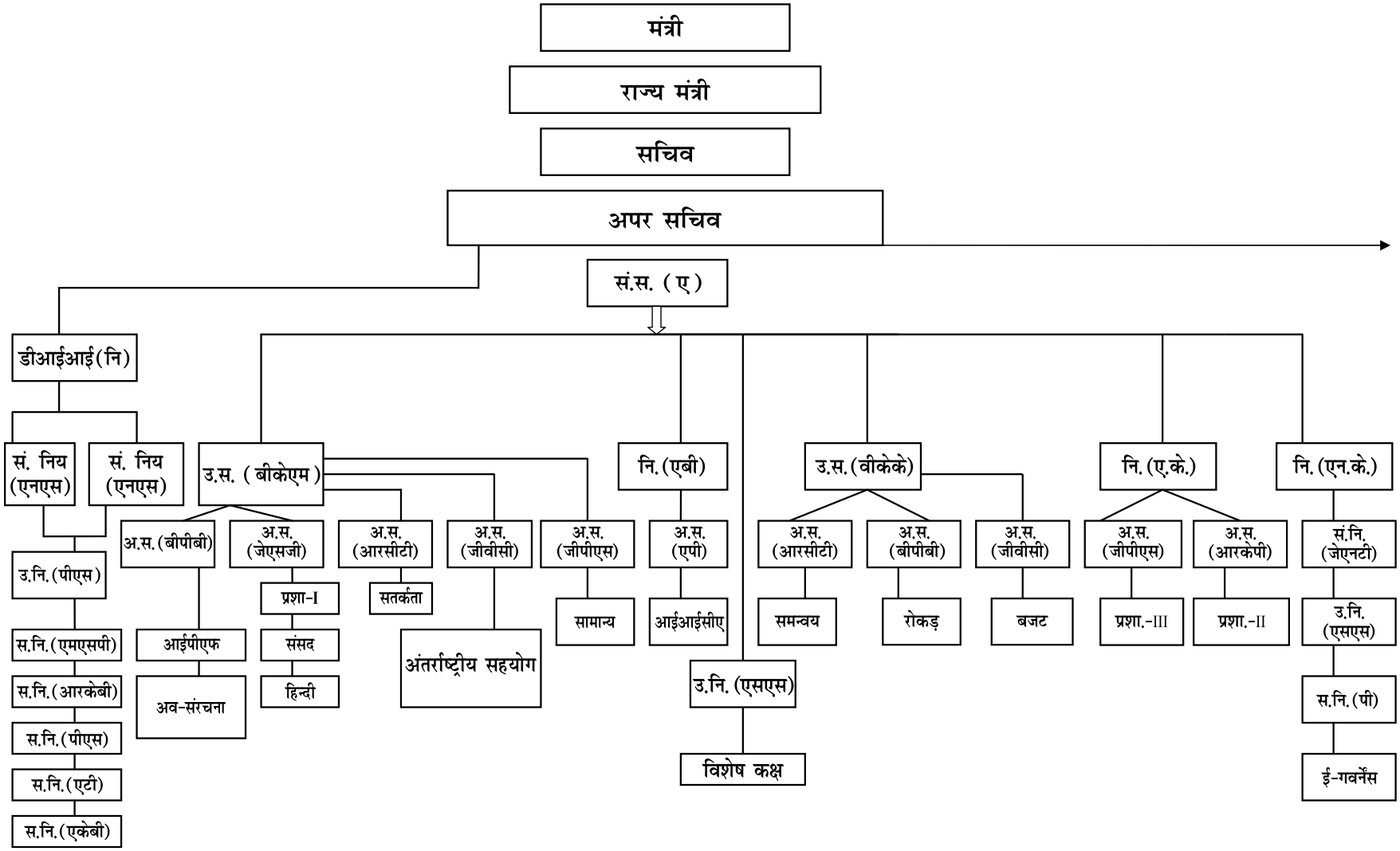

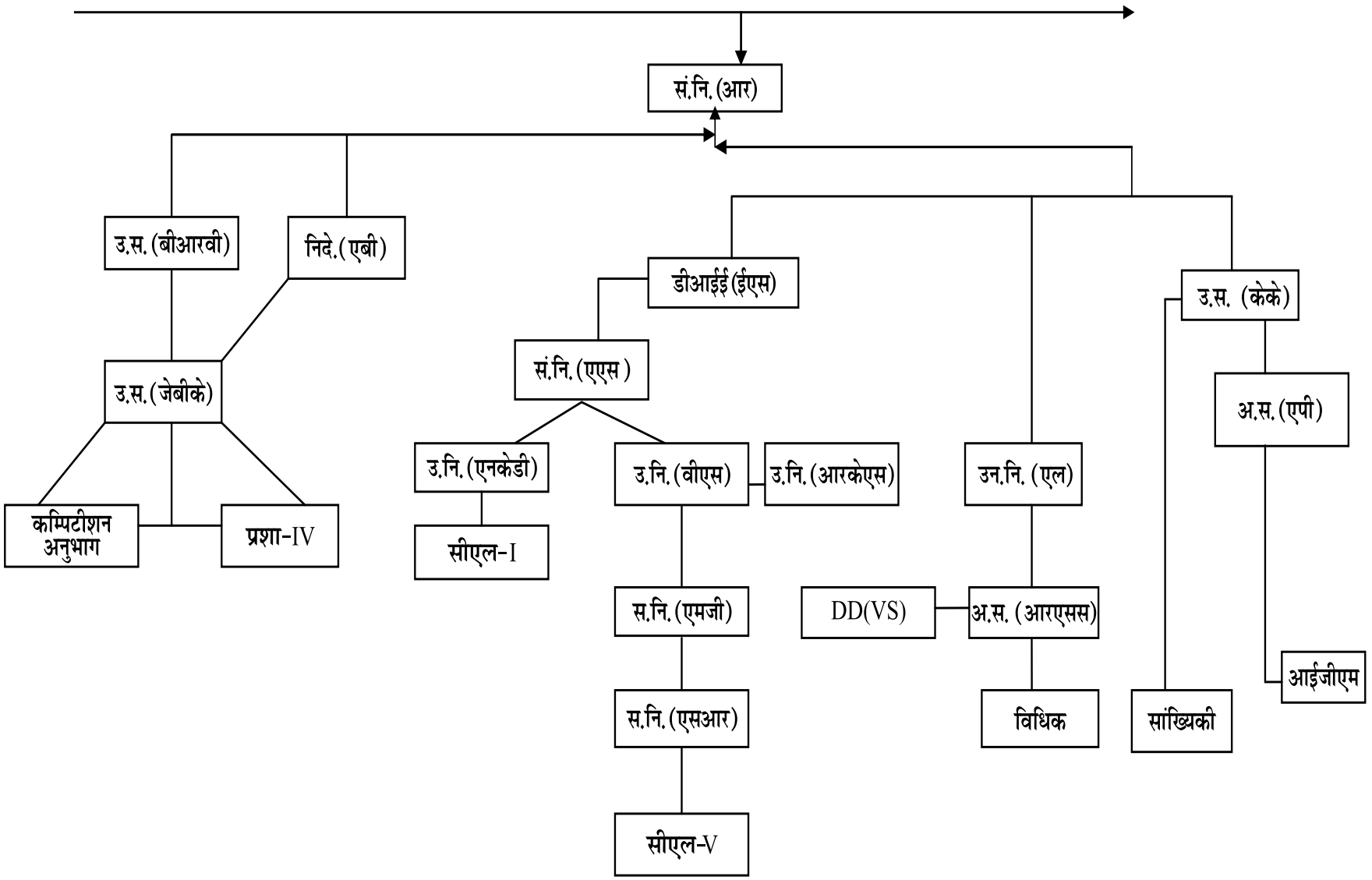
सं.नि. (आर)
उ.स. (बीआरवी)
निदे. (एबी)
डीआईई (ईएस)
उ.स. (केके)
उ.स. (जेबीके)
सं.नि. (एएस)
अ.स. (एपी)
उ.नि. (एनकेडी)
उ.नि. (वीएस)
उ.नि. (आरकेएस)
उन.नि. (एल)
कम्पिटीशन अनुभाग
प्रशा-IV
सीएल-I
स.नि. (एमजी)
DD(VS)
अ.स. (आरएसस)
आईजीएम
स.नि. (एसआर)
विधिक
सांख्यिकी
सीएल-V

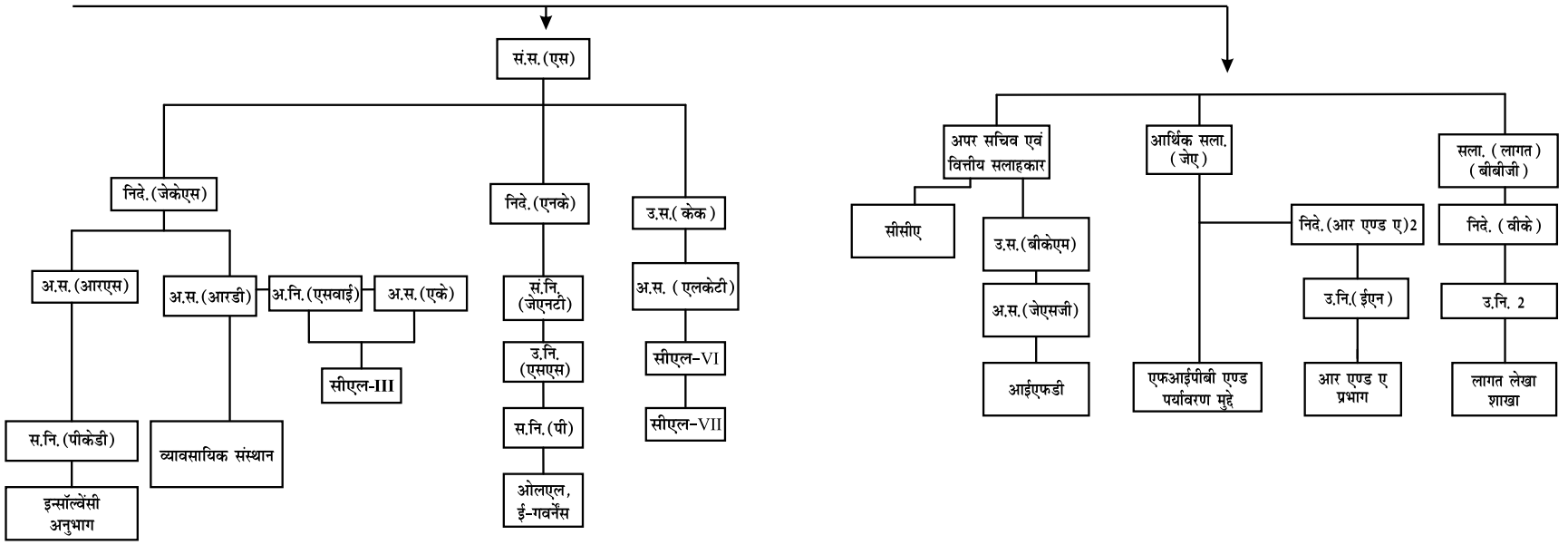
सं.स.(एस)
निदे.(जेकेएस)
अ.स.(आरएस)
अ.स.(आरडी)
अ.नि.(एसवाई)
अ.स.(एके)
सीएल-III
स.नि.(पीकेडी)
इन्सॉल्वेंसी अनुभाग
व्यावसायिक संस्थान
निदे.(एनके)
सं.नि.(जेएनटी)
उ.नि.(एसएस)
स.नि.(पी)
ओलएल, ई-गवर्नेंस
उ.स.(केक)
अ.स. (एलकेटी)
सीएल-VI
सीएल-VII
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
सीसीए
उ.स.(बीकेएम)
अ.स.(जेएसजी)
आईएफडी
आर्थिक सला. (जेए)
एफआईपीबी एण्ड पर्यावरण मुद्दे
निदे.(आर एण्ड ए)2
उ.नि.(ईएन)
आर एण्ड ए प्रभाग
सला. (लागत) (बीबीजी)
निदे. (वीके)
उ.नि. 2
लागत लेखा शाखा

मुरली देवड़ा
मंत्री
आर. पी. एन. सिंह
राज्य मंत्री
डी.के. मित्तल
सचिव
सुधीर मित्तल
अपर सचिव

अपर सचिव, सुधीर मित्तल		संयुक्त सचिव (एकेएस) ए.के. श्रीवास्तव		संयुक्त सचिव (आरके) रेणुका कुमार		संयुक्त सचिव (एस) टी.वी. सोमनाथन		आर्थिक सलाहकार (जेए) डॉ. जोसेफ अब्राहम		सलाहकार (लागत) बी.बी. गोयल
डीआईआई (डीआर)	धनरजा	निदे. (एन.के.)	निरूपमा कोतरू	डीआईआई (ईएस)	ई सेल्वराज	निदे(जेकेएस)	जय कांत सिंह	निदे.(एसएनटी)	ए.एन.तोबरिया	निदेशक (वीके) वी.के. अग्रवाल
जेडी (एनएस)	नौबत सिंह	निदे. (एबी)	अनिल भारद्वाज	उ.स.(बीआरवी)	बी.आर. विज	निदे(एनके)	निरुपमा कोतरू	निदे.(आरएस)	राधे श्याम	उप निदेशक (वी) जी. वेंकटेश
जेडी (आरकेएम)	आर.के. मीणा	निदे. (एके)	अलोक कुमार	सं.नि. (एएस)	ए.सामंतराय	उप.स.(केके)	के.के.नाथ	उप निदे.(ईएन)	ई. नागचन्द्रन	उप निदेशक (डी) तरूण दास
डीडी(पीएस)	पी.शीला	उ.स.(वी.के.)	वी.के. कपूर	उ.नि.(एल)	बीकेएल श्रीवास्तव	सं.निदे.(जेएनटी)	जे. एन. टिक्कु			
एडी (एमएसपी)	एम.एस. पचौरी	उ.स.(वी.के.एम)	वी.के. मल्होत्रा	उ.नि. (आरकेएस)	राज कुमार साह	उप निदे (एसवाई)	संजय यादव			मुख्य सतर्कता अधिकारीः
एडी (आरकेडी)	आर.के. बक्शी	उ.न.(एसएस)	संजय सौरी	अ.स. (जेबीके)	जे.बी. कौशिश	अ.स.(आरएस)	राजिन्दर सिंह			
एडी (पीएस)	परमिंदर सिंह	अ.स.(जीवीएस)	जी.बी. सुबैय्या	उ.नि.(एनकेडी)	एन.के.दुआ	अ.स.(आरडी)	रीता डोगरा			ए.के. श्रीवास्तव
एडी (एटी)	आलोक टंडन	अ.स. (जेएसजी)	जे एस गुप्ता	उ.नि(वीएस)	विनोद शर्मा	अ.स.(एलकेटी)	एल.के.त्रिवेदी			संयुक्त सचिव
एडी (एकेबी)	ए.के. बुनकर	अ.स. (आरसीटी)	आर सी टली	स.नि.(एमजी)	मोनिका गुप्ता	स.नि.(पीकेडी)	पुनीत कुमार दुग्गल			
		अ.स.(बीपीबी)	वी.पी. विमल	स.नि. (एसआर)	सीमा रथ	अ.अनु.(इंसोलवेंसी)				वेब मास्टरः
		अ.स.(जीपीएस)	जी.पी. सरकार	अ.अ. (सीए-III)	महा सिंह	अ.अनु.(पीआई)	ललित ग्रोवर			
		स..नि.(आईईपीएफ)	मंजीत सिंह	अ.अ. (कम्पिटी.)	विनोद कुमार	अ.अनु.(सीएल-VI)	आर.एल. अरोरा			निरूपमा कोतरू
		अ.अ. (इन्फ्रा)	क्षितिज कुमार	अ.अ. (विधि)	सरला अग्रवाल	अ.अनु.(सीएल-VII)	कैलाश चन्द्र			निदेशक
		अ. अ. (प्रशा-I)	अशुतोष आनंद	अ.अ. (आईजीएम)	शालिनु जुनेजा					
		अ. अ. (प्रशा-II)	संदीप जैन							अनुभाग अधिकारी प्रोटोकॉलः
		अ. अ. (प्रशा-III)	रामबचन							विनोद कुमार
		अ. अ. (प्रशा-IV)	सुरेन्द्र कुमार							
		अ.अ. (सा.)	कमलेश मक्कड							कल्याण अधिकारीः
		अ.अ. (रोकड़)	मनवर सिंह							एल. के. त्रिवेदी
		अ.अ. (बजट)	एस एल मेघवाल							
		अ.अ. (सतर्कता)	पी.के. प्रभात							
		अ.अ. (समन्वय)	बीना बत्रा							
		अ.अ. (संसद)								
		अ.अ. (सीएल-II)								
		अ.अ. (अंतर्रा. सह)	एस के कौशिक							
		स.नि. (रा.भा.)	आर के धर							
		कनिष्ठ वि.	रीता सूद							
			एस श्रीधरन							

एकीकृत वित्त एवं लेखा स्कंध

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकारः	सौरभ चन्द्रा
मुख्य लेखा निरीक्षकः	वी.आर. घोडेश्वर
उप सचिव (आईएफडी):	बी.के. मल्होत्रा
अवर सचिव (आईएफडी):	जे.एस. गुप्ता
अनुभाग अधिकारी (आईएफडी):	कांति प्रसाद

अनुलग्नक–V

लेखापरीक्षा टिप्पणियां एवं कार्यवाही रिपोर्ट

वर्ष	पैरा संख्या	लेखापरीक्षा पैरा	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
2004–05	3.1.1 से 3.1.3	वर्ष 2004–05 के लिए कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा लेवी और शुल्क वसूली का प्रणाली का मूल्यांकन।	व्यय विभाग को अंतिम उत्तर भेजा गया।
2005–06	3.1	वर्ष 2005–06 के लिए सरकारी खातों (शासकीय समापक, दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बंगलोर, इलाहाबाद और जयपुर की समापन में आई कंपनियों से वसूले गए शुल्क को सरकारी खातों में जमा करने में असफल रहने से 1 माह से 5 वर्ष के लिए 6.13 करोड़ रुपए सरकारी राशि सरकारी खाते से बाहर रही जिसके परिणामस्वरूप 66.53 करोड़ रुपए के ब्याज का नुकसान हुआ) से बाहर जनता का धन रखना।	व्यय विभाग को अंतिम उत्तर भेजा गया।
2006–07	6.10	वर्ष 2006–07 के मार्च माह/अंतिम तिमाही के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मांग संख्या 16 के संबंध में अत्यधिक व्यय।	व्यय विभाग को अंतिम उत्तर भेजा गया।
	7.16	वर्ष 2006–07 के मार्च माह/अंतिम तिमाही के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय की मांग के संबंध में अवास्तविक बजटीय अनुमान।	व्यय विभाग को अंतिम उत्तर भेजा गया।
	50, 51, 52, 58, 59 एवं 60	95स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय और प्रभारित विनियोग (2006–07) पर लोक लेखा समिति (पीएसी) (14वीं लोक सभा) सचिवालय की 80वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई।	लोक सभा सचिवालय को अंतिम उत्तर भेजा गया।
2007–08		कोई लेखापरीक्षा नहीं।	
2008–09		कोई लेखापरीक्षा नहीं।	

एन.बी. – आज की तिथि में मंत्रालय के पास कोई लेखापरीक्षा पैरा लंबित नहीं है।